

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/4478

भोपाल, दिनांक 10-10-22

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,

जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:-जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे० वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-16/2023-FC दि. 20.09.2023

—0—

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से चाही गई (xiv) बिन्दुओं की जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :-

S.No	Conditions	Compliance
i	A detailed report along with justification as to why the project cannot be located in nonforest area has not been submitted.	<p>इस संबंध में आवेदक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि इस परियोजना का विस्तृत अध्ययन एनवीडीए द्वारा किया गया है। सभी वैकल्पिक स्थलों की जांच करने पर परियोजना हेतु उपयुक्त स्थल वनक्षेत्र में पाए गए हैं जिनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सर्वोत्तम पायी गयी है। वैकल्पिक स्थलों की अध्ययन रिपोर्ट परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।</p> <p>केंद्रीय जल आयोग द्वारा पूर्व में ही परियोजना की विस्तार से जांच करने पर इस परियोजना की अनुमति प्रदान की है। परियोजना को Hydrology Directorate of CWC द्वारा सटीक निर्धारण एवं मूल्यांकन करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है अनुमोदन की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।</p> <p>मोरण्ड बांध - इसका प्रस्तावित संरक्षण मोरघाट गांव के पास स्थित है। बांध का स्थान मोरण्ड के साथ भाजी नाला के संगम के बीच क्षेत्र तक सीमित है जो नदी में लूप को कवर करते हुए नदी के निचले हिस्से तक है।</p> <p>गंजाल बांध - इसका प्रस्तावित संरक्षण जवर्धा गांव के ठीक उपर स्थित है। जहां से नदी पहाड़ियों से निकलते हुए नीचे घाटी की ओर जाती है यहां पानी की उपलब्धता बांध स्थल के दृष्टिकोण से एवं निर्माण प्रबंधन की दृष्टि से अच्छी प्रतीत होती है।</p>

-2-


ii	The detail of the alternative sites examined along with KML files has not been submitted.	<p>केंद्रीय जल आयोग ने प्रस्तावित स्थल का दौरा करने और सभी पहलुओं की जांच करने के बाद स्थान की अनुमति दी है। अनुमोदन की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।</p> <p>मोरण्ड और गंजाल दोनों बांधों की वैकल्पिक साइटों की KML files प्रस्ताव के आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-C वनमण्डल होशंगाबाद की टेबल के बिन्दु क्रमांक-2 में 0 हेक्टेयर के रूप में अपलोड की गई है।</p>
iii	The plan along with details for further distribution of water to end users has not been submitted.	इस बिन्दु के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा विस्तृत विवरण योजना को आनलाईन भाग-1 की अतिरिक्त जानकारी की टेबल में बिन्दु क्रमांक-9 में अपलोड की गई है। योजना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
iv	The CAT plan was prepared in the year 2014 and cost estimated for the implementation of CAT plan was estimated Rs 1944.26 Lakhs. Now, in the year 2023 the State Govt. approved the CAT plan which was prepared in the year 2014 with reduced financial outlay of Rs. 1781.62/- Lakhs. This needs clarification.	आवेदक संस्थान द्वारा CAT plan को संशोधित कर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी संशोधित तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07.08.2023 से जारी की गई है। संशोधित CAT plan मय तकनीकी स्वीकृति सहित परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। संशोधित CAT plan की प्रति आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-M(a),(b) में अपलोड की गई है।
v	The detail of revised proposal of 2250.05 ha along with KML files has not been submitted.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि की संशोधित KML files को आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-C वनमण्डल होशंगाबाद की टेबल के बिन्दु क्रमांक-3 में 0 हेक्टेयर के रूप में अपलोड की गई है। प्रस्तावित वनभूमि का घटकवार विवरण आवेदक संस्थान के पत्र में दिया गया है।
vi	The comment of the Chief Wildlife Warden along with availability of alternative wildlife corridors in order to mitigate the detrimental effects of submergence of proposed forest land has not been submitted.	इस संबंध में लेख है, कि प्रस्ताव में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है। भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 07/06/2022 में भी यह प्रावधान है कि सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरांत वन्य प्राणी प्रबंधन योजना प्रस्तुत कर राशि जमा कि जा सकती है। अतः प्रस्ताव में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरांत प्रस्तुत कर दी जावेगी तथा तदनुसार राशि कैम्पा मद में जमा करवाई जावेगी।
vii	The Cost Benefit analysis shows that the cost of proposed forest land has not been calculated as per the revised NPV rates vide Ministry letter dated 06.01.2022. Moreover, details about deriving the benefits of forest diversion in monetary terms has not been mentioned in the Cost-Benefit analysis.	आवेदक संस्थान द्वारा संशोधित लागत लाभ विश्लेषण पत्रक की प्रति को आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-G(i),(a) में अपलोड किया गया है।
viii	The KML files of the phase-wise and components wise activities proposed to be carried in the forest land proposed for diversion. Moreover, correction in the KML files of the proposed forest land located under different forest divisions has not been carried out.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि की संशोधित KML files को आनलाईन वेबपोर्टल के भाग-1 में अपलोड कर दी गयी है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की चरणबद्ध एवं घटकवार KML files को प्रस्ताव के आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-C के नीचे वनमण्डल होशंगाबाद की टेबल के बिन्दु क्रमांक-5, 6 एवं 7 में 0 हेक्टेयर के रूप में अपलोड की गई है।

ix	The State Govt. has not clarified that whether such lands proposed for CA does not comes in the ambit of Forest (Conservation) Act, 1980 and justify these lands as NFL.	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमियों का सत्यापन संबंधित जिला कलेक्टर एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया है यह सभी भूमि राजस्व भूमि है। संबंधित जिला कलेक्टर के आदेश पत्र आनलाईन पोर्टल भाग-1 में अपलोड किये गये है सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।
x	The approved CA scheme along with site suitability certificates from the concerned DFO has not been submitted.	<p>प्रकरण में आवेदक संस्था ने क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये अलग-अलग जिलों में गैर वनभूमि उपलब्ध कराई है। इस गैर वनभूमि का अभी अधिपत्य एवं रोपण योजना नहीं बनाई गई है।</p> <p>प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा प्रथम चरण में 116.27 हेक्टेयर वनभूमि ही चाही गई है। जिसके एवज मे समतुल्य 170.00 हे0 गैर वनभूमि का अधिपत्य जबलपुर जिले में प्राप्त कर रोपण योजना तैयार की गई है परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।</p> <p>निकट भविष्य में आवेदक संस्था द्वारा अन्य चरणों में जितनी वनभूमि की आवश्यकत होगी उसके अनुरूप समतुल्य गैर वनभूमि का अधिपत्य तत्समय आवेदक विभाग से प्राप्त कर क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक चरण में इसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा।</p> <p>ऐसा करना इसलिये भी उचित होगा क्योंकि यदि गैर वनभूमि का अधिपत्य अभी प्राप्त कर लिया जाता है तो इसमें अतिक्रमण होने की सम्भावना बनी रहेगी।</p>
xi	The State Govt. has uploaded the KML file of Non-forest land involved in the project on the PARIVESH. However, its calculated area is found 1299.887 ha instead of 1277.694 ha as mentioned in the Part-I of the online proposal.	इस बिन्दु के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा संशोधित KML files को प्रस्ताव के आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-C के नीचे वनमण्डल होशंगाबाद की टेबल के बिन्दु क्रमांक-4 में 0 हेक्टेयर के रूप में अपलोड की गई है।
xii	The State Govt. has not submitted the justification for proposed CA area which are not free from encumbrances as per the observations from DSS analysis. Also the State Govt. has not submitted the comment that is there any requirement for rehabilitation & resettlement of people from the identified CA lands.	<p>परियोजना को चरणबद्ध तरीके से बनाया जाना प्रस्तावित है। अभी आवेदक संस्थान को 116.27 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है इसलिए प्रथम चरण हेतु 116.27 हे0 वनभूमि के विरुद्ध 170.00 गैर वनभूमि की वृक्षारोपण योजना मय उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित संलग्न है।</p> <p>परियोजना मे क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त शेष गैर भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार संबंधित वनमण्डलाधिकारी से तत्समय प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा।</p>
xiii	A detailed plan to protect the identified CA land from encroachment in future has not been submitted.	इस संबंध में आवेदक संस्थान ने लेख किया है, कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चिन्हित सभी गैर वनभूमियों को अतिक्रमण मुक्त करा कर एवं चैनलिंग फॉसिंग के माध्यम से सुरक्षित कर वन विभाग को हस्तांतरित की जावेगी।

xiv	The KML files indicating proposed components over the Forest as well as the Non-forest land along with the KML files and Map showing the phase wise activities proposed to be carried out over the forest as well as the Non-forest land involved in the project needs submission.	आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि एवं गैर वनभूमि को दर्शाने वाली KML files को प्रस्ताव के आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-C के नीचे वनमण्डल होशंगाबाद की टेबल के बिन्दु क्रमांक-3 एवं 4 में 0 हेक्टेयर के रूप में अपलोड की गई है।
-----	--	---

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


10.10.23
(एच.एस.मोहन्ता)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक/०-1०-23

पृ. क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/4479
प्रतिलिपि:-

1. उप वन महानिदेशक, (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5, लिंक रोड़ नं. 3 रविशंकर नगर भोपाल की ओर भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.10.2023 (छायाप्रति संलग्न है) के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वृत्त होशंगाबाद/वृत्त खण्डवा/वृत्त बैतूल/वृत्त जबलपुर, मध्यप्रदेश।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, हरदा/होशंगाबाद/खण्डवा/उत्तर बैतूल/पश्चिम बैतूल/जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, पी.आई.यु. सिवनी मालावा, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


10.10.23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.: 07570299010

ई-मेल:-piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र. 1180

सिवनी मालवा, दिनांक 23/09/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंधक)
वन भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में 2250.05 हेक्टे.
वन भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत। (वन प्रस्ताव क्र. FIP/MP/IRRIIG/36231/2018)

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्र. / एफ- 3 / 16 / 2018 / 10-11 / 4270, दिनांक 22.09.2023


2. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC
दिनांक 20.09.2023

-----00-----

उपरोक्त संदर्भित में निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने
जिला होशंगाबाद, बैतूल हरदा एवं खंडवा के अंतर्गत मोरंड गंजाल संचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि
के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (XIV) बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी है।

अतः भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार वांछित अतिरिक्त (XIV) बिन्दुओं की जानकारी का पालन प्रतिवेदन
सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न - पालन प्रतिवेदन एवं संबंधित अनुलग्नक।


(आर.एल.बावरिया)

परियोजना प्रशासक,


मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

सिवनी मालवा, दिनांक 23/09/2023

पत्र क्र. 1181

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम, / वृत्त खंडवा / वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल होशंगाबाद / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल / खंडवा / जबलपुर,
(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावंद,
जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(आर.एल.बावरिया)

परियोजना प्रशासक

मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.)



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

25-9

Morand Ganjal Dams & Pressurised Pipe Irrigation Project Compliance Report

MoEF File No. 8-16/2023-FC

Proposal No. FP/MP/IRRIG/36231/2018

S No.	DESCRIPTION OF SHORTCOMINGS OBSERVED	COMPLIANCE OF SHORTCOMING OBSERVED
1	A detailed report along with justification as to why the project cannot be located in non-forest area has not been submitted.	<p>Detailed studies of this project has been done by NVDA. All the suitable sites for this project were found to be in forest area only. Alternative Sites has been examined and proposed. Suitable site where the techno economic feasibility is best is selected. <i>(Enclosed note on alternate alignment studies Annexure – 1)</i></p> <p>Central water commission has already examined the hydrology and water use of the entire project in details and has approved the same. Project has been accurately determined, assessed and approved by the Hydrology Directorate of CWC. <i>(Letter of CWC enclosed as Annexure – 2)</i></p> <p>Morand Dam - The proposed alignment of the Morand dam is near Morghat village. The Dam location is restricted to the region between the confluences of Bhaji Nala with Morand to some distance downstream covering the loop in the river. A comparative account of the basic parameters relating to the three sites.</p> <p>Ganjal Dam - The proposed alignment of the Ganjal Dam is just upstream of Jawardha village and it is the site at which the river comes out of the hills and the valley opens out downstream and this site appears to be the best in terms of availability of water, approach to dam site and construction management.</p>
2	The detail of the alternative sites examined along with KML files has not been submitted.	<p>Central Water Commission has approved the location after visiting the proposed site and examining all the relevant aspect.</p> <p>KML files of all 03 alternative sites both of Morand & Ganjal Dams are uploaded on portal in Point No. C(2) in Hoshangabad Division at Serial No.2 as 0 Ha. file .</p>
3	The plan along with details for further distribution of water to end users has not been submitted.	<p>Approved BCP along with Map is enclosed. <i>(Annexure – 3)</i></p>
4	The CAT plan was prepared in the year 2014 and cost estimated for the implementation of CAT plan was estimated Rs 1944.26 Lakhs. Now, in the year 2023 the State Govt. approved the CAT plan which was prepared in the year 2014 with reduced financial outlay of Rs. 1781.62/- Lakhs. This needs clarification.	<p>Revised Plan of Rs. 60.80 Crores has been uploaded in Part-I. This CAT Plan is prepared at current wages rate.</p>

Morand Ganjal Dams & Pressurised Pipe Irrigation Project Compliance Report

MoEF File No. 8-16/2023-FC

Proposal No. FP/MP/IRRIG/36231/2018

5	The detail of revised proposal of 2250.05 ha along with KML files has not been submitted.	Component wise breakup			
		S.no	Component	Forest Land (ha.)	Colour of Component
		1	Dam Seat and Sluice	29.32	Red
		2	Submergence	2133.78	Green
		3	Pipeline PH/DC	15.76	Yellow
		4	Spillway channel with Fish Ladder	38.09	Pink
		5	Transmission Line	5.95	Blue
		6	Approach & Diversion Road	27.15	Brown
		Total	2250.05		
KML file are <i>uploaded on portal in Point No. C(2) in Hoshangabad Division at Serial No.3 as 0 Ha. file.</i>					
6	The comment of the Chief Wildlife Warden along with availability of alternative wildlife corridors in order to mitigate the detrimental effects of submergence of proposed forest land has not been submitted	This query is related to Forest Department. We hereby agree to accept to all conditions imposed by CWLW.			
7	The Cost Benefit analysis shows that the cost of proposed forest land has not been calculated as per the revised NPV rates vide Ministry letter dated 06.01.2022. Moreover, details about deriving the benefits of forest diversion in monetary terms has not been mentioned in the Cost-Benefit analysis	Revised Cost Benefit Analysis has been uploaded on the portal. This analysis has been done with revised NPV rates as well as the derived monetary value of benefit are also explained in Cost Benefit Analysis.			
8	The KML files of the phase-wise and components wise activities proposed to be carried in the forest land proposed for diversion. Moreover, correction in the KML files of the proposed forest land located under different forest divisions has not been carried out.	S No.	Phase	Component	Proposed area in Ha.
		1	First	Dam Seat and Sluice, Pipeline PH/DC, Spillway channel with Fish Ladder, Approach & Diversion Road, Transmission Line	116.27
		2	Second	(FRL-4)	1135.57
		3	Third	(FRL-4)	616.748
		4	Fourth	(FRL)	381.462
					Total
<i>KML are uploaded on portal in Point No. C(2) in Hoshangabad Division at Serial No.5,6 and 7 as 0 Ha. file.</i> The KML file of Phase-IV is not uploaded. The remaining area will be covered in Phase-IV					
9	The State Govt. has not clarified that whether such lands proposed for CA does not comes in the ambit of Forest (Conservation) Act, 1980 and justify these lands as NFL	All CA lands proposed as per revenue department are Non forest Land and same has been verified by District Collector, Revenue Officers and same has been uploaded on portal. Enclosed Collector Order.(Annexure -4)			
10	The approved CA scheme along with site suitability certificates from the concerned DFO has not been submitted.	For Phase – 1 Forest land required is 116.24 ha. In lieu that land of Jabalpur District is 170 ha.is proposed. This query is related to Forest Department. We hereby agree to accept to all conditions imposed by forest department.			

Morand Ganjal Dams & Pressurised Pipe Irrigation Project Compliance Report

MoEF File No. 8-16/2023-FC

Proposal No. FP/MP/IRRIG/36231/2018

11	The State Govt. has uploaded the KML file of Non-forest land involved in the project on the PARIVESH. However, its calculated area is found 1299.887 ha instead of 1277.694 ha. as mentioned in the Part-I of the online proposal.	KML file of Non Forest Area has been <i>uploaded on portal in Point No. C(2) in Hoshangabad Division at Serial No.4 .</i>																																																						
12	The State Govt. has not submitted the justification for proposed CA area which are not free from encumbrances as per the observations from DSS analysis. Also the State Govt. has not submitted the comment that is there any requirement for rehabilitation & resettlement of people from the identified CA lands.	As proposal is applied in phased manner CA land requirement will arise in the phases CA Scheme suitability certification from concern DFO is in process. For First Phase CA Land of Jabalpur District is proposed against requirement of 116.27 ha. forest land in First Phase. <i>(Ref. Notification No. GoI MoEF FC - F. No.10-125/2013-FC(pt.-III) Dated 25/02/2014 and our letter is enclosed. All the non-forest land provided to forest department after vacating all encroachments (Annexure – 5)</i>																																																						
13	A detailed plan to protect the identified CA land from encroachment in future has not been submitted.	Identified CA site shall be properly fenced and will be transferred and handed over to Forest Department.																																																						
14	The KML files indicating proposed components over the Forest as well as the Non-forest land along with the KML files and Map showing the phase wise activities proposed to be carried out over the forest as well as the Non-forest land involved in the project needs submission.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">Component wise breakup</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">S.no</th> <th style="width: 20%;">Component</th> <th style="width: 10%;">Forest Land (ha.)</th> <th style="width: 15%;">Colour of Component</th> <th style="width: 15%;">Non-Forest Land (ha.)</th> <th style="width: 10%;">Colour of Component</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dam Seat and Sluice</td> <td>29.32</td> <td>Red</td> <td>2.956</td> <td>Orange</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Submergence</td> <td>2133.78</td> <td>Green</td> <td>811.272</td> <td>Neon Blue</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pipeline PH/DC</td> <td>15.76</td> <td>Yellow</td> <td>435.901</td> <td>Red</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Spillway channel with Fish Ladder</td> <td>38.09</td> <td>Pink</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Transmission Line</td> <td>5.95</td> <td>Blue</td> <td>23.76</td> <td>Purple</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Approach & Diversion Road</td> <td>27.15</td> <td>Brown</td> <td>3.805</td> <td>Brown</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>2250.05</td> <td></td> <td>1277.694</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>KML file of Forest Area has been <i>uploaded on portal in Point No. C(2) in Hoshangabad Division at Serial No.3 . KML file of Non Forest Area has been uploaded on portal in Point No. C(2) in Hoshangabad Division at Serial No.4.</i></p>	Component wise breakup						S.no	Component	Forest Land (ha.)	Colour of Component	Non-Forest Land (ha.)	Colour of Component	1	Dam Seat and Sluice	29.32	Red	2.956	Orange	2	Submergence	2133.78	Green	811.272	Neon Blue	3	Pipeline PH/DC	15.76	Yellow	435.901	Red	4	Spillway channel with Fish Ladder	38.09	Pink	0		5	Transmission Line	5.95	Blue	23.76	Purple	6	Approach & Diversion Road	27.15	Brown	3.805	Brown	Total		2250.05		1277.694	
Component wise breakup																																																								
S.no	Component	Forest Land (ha.)	Colour of Component	Non-Forest Land (ha.)	Colour of Component																																																			
1	Dam Seat and Sluice	29.32	Red	2.956	Orange																																																			
2	Submergence	2133.78	Green	811.272	Neon Blue																																																			
3	Pipeline PH/DC	15.76	Yellow	435.901	Red																																																			
4	Spillway channel with Fish Ladder	38.09	Pink	0																																																				
5	Transmission Line	5.95	Blue	23.76	Purple																																																			
6	Approach & Diversion Road	27.15	Brown	3.805	Brown																																																			
Total		2250.05		1277.694																																																				


Project Administrator,

Project Implementation Unit – (PIU)
Morand Ganjal & Hoshangabad Barrage,
Seoni Malwa Dist. Narmadapuram (M.P.)

Note on Ganjal Dam Alternate alignment studies

In the proposed Ganjal Dam depending upon the topography and Geological condition three different alternate dam sites have been explored whose details are shown in the below mentioned table.

S. No.	Particulars	Latitude/Longitude	Length in (m)	Catchment Area in Sq. Km.	Storage in MCM	Submergence area in Ha.	
						Forest Land	Other Land
1	Alternate Dam Alignment No.1	22° 14' 7.8" 77° 19' 58.3"	2528	415.20	91.50	1015.85	97.17
2	Alternate Dam Alignment No.2	22° 13' 11.0" 77° 20' 13.8"	920	406.37	86.00	838.32	97.17
3	Final Dam Alignment	22° 13' 47.27" 77° 19' 50.58"	1148	413.49	86.803	736.07	97.17

Alternate Dam Alignment No.1:

This alignment is having Dam length of 2.528 Km and proposed storage of this dam alignment is 91.50 MCM with F.R.L of 377.00m, the submergence area works out to 1015.85 Ha. As compared to its storage its submergence area is more. Moreover it's also submerges two village habitations. This alignment is techno economically not feasible.

Alternate Dam Alignment No.2:

This alignment is having Dam length of 0.920 Km proposed storage of this dam alignment is 86.00 MCM with F.R.L of 380.00m, the submergence area works out to 838.32 Ha. This alignment is having shorter length but its foundation is coming in weaker zone, moreover in the initial reach of proposed left bank canal 2 to 3 Km length the may have to run in the steep terrain which will not be technically feasible.

Considering its foundation aspects of Dam and steep terrain involvement in the initial reach of canal this proposed alignment is Techno economically not found feasible.

Final Dam Alignment:

This alignment is having Dam length of 1.148 Km and proposed storage of this dam alignment is 86.803 MCM with F.R.L of 376.067m, the submergence area works out to 833.24 Ha. This alignment submerges only one village.

Compared to other two alternate dam alignment, this alignment is having lesser submergence area and its foundation is very good and this alignment is Techno economically found feasible.

Note on Morand Dam Alternate alignment studies

In the proposed Morand Dam depending upon the topography and Geological condition three different alternate dam sites have been explored whose details are shown in the below mentioned table.

S. No.	Particulars	Latitude/ Longitude	Length in (m)	Catchment Area in Sq. Km.	Storage in MCM	Submergence area in Ha.	
						Forest Land	Other Land
1	Alternate Dam Alignment No.1	22° 20' 18.7" 77° 28' 30.2"	2320	1043.10	226.00	1502.04	756.31
2	Alternate Dam Alignment No.2	22° 19' 15.0" 77° 28' 28.6"	1720	1031.00	226.00	1368.92	807.43
3	Final Dam Alignment	22° 19' 17.25" 77° 28' 55.51"	1055	1031.99	226.124	1437.65	763.03

Alternate Dam Alignment No.1:

This alignment is having Dam length of 2,320 Km and proposed storage of this dam alignment is 226.00 MCM with F.R.L of 364.00m, the total submergence area works out to 2258.35 Ha. This alignment submerges the forest area of 1502.04 Ha. In this alignment the Hard rock is met at deeper depth. This alignment is techno economically not feasible.

Alternate Dam Alignment No.2:

This alignment is having Dam length of 1,720 Km and proposed storage of this dam alignment is 226.00 MCM with F.R.L of 366.50m, the total submergence area works out to 2176.35 Ha. This alignment submerges the forest area of 1368.92 Ha. In this alignment the Hard rock is met at deeper depth. This alignment is techno economically not feasible.

Final Dam Alignment:


This alignment is having one Main Dam & one Saddle Dam and its length are 455m & 600m respectively. Proposed storage of this dam alignment is 226.124 MCM with F.R.L. of 366.23m, the total submergence area works out to 2200.68 Ha.

Compared to other two alternate dam alignment, this alignment is having lesser Dam length and its foundation is very good and cost effective and this alignment is Techno economically found feasible.

The Dam site of Morand and Ganjal draw of catchment of 1031.99 sq km and 413.43 sq km respectively at the proposed site of the dams. The command of the project is closely located to dam sites as approximately 5 km wide strip between existing Tawa Left Bank Canal and the main canal emanating from the Dams.

The geo-physical investigations suggest economical availability of foundation grade strata on the proposed dam sites.

Central Water Commission has approved the locations after visiting the proposed sites and examining all the relevant aspects.



(Rajesh Haridas)

Executive Engineer

Narmada Development Division No 23

Narmada Bhawan, Bhopal

LEGEND

Main Road/Other Roads/Mud Road	...
Cart-track/Path	...
Buildings/Permanent/Temporary/Tree	...
Subsidiary/Brace/Watercourse/bridge	...
Hydro Transformer/Power Telephone line/D.C.	...
Embankment/Cuttings/Quarry/Brick Kiln	...
Streams/Perennial/Non-perennial/Single line/ditch	...
Wells/Handpump/Tube well/Hand Pump	...
Contours/Sheet rock/Rocky ground/Boulders	...
Boundary/stops/offset	...
Takul village boundary/Survey number	...
Catchment area limit/Forest boundary/Cultivation	...
GPS Bench-mark/Triangulation station/Spot level	...

---	Ganjal Dam Approved Alignment
---	Ganjal Dam Alternate -1
---	Ganjal Dam Alternate -2
---	Full Reservoir Level (Approved Alignment)
---	Full Reservoir Level (Alternate -2)



CLIENT	NARMADA VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY (NVDVA) BHOPAL, M.P.
PROJECT	MORAND & GANJAL COMPLEX PROJECT
TITLE	GANJAL DAM SITE ALTERNATE ALIGNMENT
CONSULTANT	SECON PRIVATE LIMITED BANGALORE-66
SCALE	1:15,000 OR 1 CM = 150.0 M
CONTOUR INTERVAL	0.5 METRE

FIGURE-2.5



GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL WATER COMMISSION
ND&HW DIRECTORATE

W B-2, 2nd Flr, wing 7,
R.K. Puram, New Delhi

Subject: Detailed Project Report of MORAND & GANJAL Multi Complex project,
NVDA, MP - Technical Examination of revised compliance report,

Ref:


1. CWC ID no. MP/86/2009-PAC/26, dated 16.01.2013
2. CWC letter no. 14/3/2011/NW&HW/1493, dated 12th Jan'2012,
3. CWC letter no. 14/3/2011/NW&HW/1695-961, dated 9th July'2012
4. CWC ID no. MP/86/2011/PAC/431-42, dated 5.10.2012 enclosing the summary record of meeting held on 1.10.2012 in CWC.

The "REVISED COMPLIANCE REPORT - DESIGN" in response to CWC observations on the subject cited DPR forwarded to this office vide PA - C letter cited under reference (1) above has been examined. It is observed that most of the suggestions and data's as desired vide CWC letters cited under reference at sl.no's 2,3 & 4 above have been incorporated.

Keeping in view the constraints of the project authorities in drilling additional bore holes at the proposed dam alignments, the CWC team after a site visit suggested modifications in the layout of both the dams based on the investigation reports of the earlier DPR dated 1972 when intensive foundation investigations had been carried out. The proposed alignment of both Morand & Ganjal Dam lies very close to the alignment recommended by the department during 1972. The project layout now proposed by CWC is an optimized layout with a reduced cost. Project authorities have also ensured that before taking up the construction of both the dams, the foundation profile shall be further firmed up by additional boreholes as soon as the forest area is transferred to the department.

Accordingly, the DPR may be cleared in so far as the design and overall planning aspects / issues are concerned.

This issue with the approval of GE, NBP, CWC


A. Anilwaraj
Director

DIRECTOR, PA (C), CWC, 408(S), Sewa Bhawan New Delhi
F.no. 14/3/2011/ND & HW/1393 / Dated: 21st Jan'2013




GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH



**Broad Conceptual Plan, Design and GAD Report for
Morand and Ganjal Dams Pressurized Pipe Irrigation Project**

Morand and Ganjal Project - Total Area = 64,111 Ha CCA



TEHSIL: Khalwa, Seoni Malwa, Rahatgaon, Harda, Sirali, Khirkiya and Harsud

DISTRICT: Hoshangabad, Harda and Khandwa

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report	
	Revision: 0	1 of 566

INDEX:

S.No	Particulars	Page No	
		From	To
1.0	Introduction	03	
1.1	Background	03	
1.2	Intake Location details	03	
1.3	Scope & Salient Features	03	06
1.4	Area Selection	07	
1.5	Survey, Investigation & Chak Planning	09	
2.0	Design of Rising Main and Distribution Network up to 20Ha Chaks	10	17
2.1	Design Philosophy	20	
2.2	Design Criteria	12	
2.3	Network Modelling Philosophy	14	
2.4	Building of Pipe Network Model	14	
2.5	Methodology of Calculations	14	
2.6	Outlet Management system	15	15
3.0	Summary of Results	16	17
	Table-1.0 – Village wise Area Statement	18	25
	Table -2.0 -Pump Head and Power calculations	26	30
	Table -3.0 -Design of Rising mains	31	
	Table -4.0 -Abstract of Diameter Wise Pipe Lengths up to 20 ha chak	32	
	Table -5.0-Pipeline Thickness Allowable pressures	33	
	Table -6.0 Head loss calculations for Disnet Systems	34	42
	Table -7.0-HGL STATEMENTS from Pump house to 20 ha chak	43	566

Client: Narmada Valley Development Authority
(NVDA)

MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE
IRRIGATION PROJECT

Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore

Broad Concept Design and Layout Report

Revision 0

2 of 566

Figure 1.2 shows the Google earth over view of the project.




Figure 1.2 Scheme Boundary of Morand and Ganjal Dams Pressurized Pipe Irrigation Project

1.3.1 SALIENT FEATURES OF THE PROJECT:

Total 22,438 Cumecs of water lifted in this scheme which will be used for irrigating 64,111 hectare of command area. The details of distribution system are as below:

Pump House	Morand Dam	Ganjal Dam	ISP Reservoir	TOTAL
Area (In CCA ha) for Irrigation	18490	21407	24214	64111
Irrigation module	0.35	0.35	0.35	0.35
Irrigation Discharge (m ³ /s)	6.471	7.492	8.475	22.438

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT		
Contractor: M/S. NEC-PEL (IV), Indore	Broad Concept Design and layout Report		
	Revision 0		4 of 566

1.3.2 Morand and Ganjal Dam Details :

Sl. No	Name	Gross Capacity (MCM)	Dead Storage & Evaporation Loss (MCM)	Live Capacity (MCM)	Water considered for Drinking and Industrial Supply (MCM)	E-Flow (MCM)	Water available for Irrigation (MCM)
1	Morand Dam	249.85	23.72	226.13	9.18	8.0	208.95
2	Ganjal Dam	96.35	9.55	86.80	6.0	3.0	77.80
	Total	346.20	33.27	312.93	15.18	11.0	286.75

Note:

1. Complete Drinking and industrial purpose water will be taken from Morand and Ganjal Dam.
2. Drinking , Industries ,E-Flow water requirements considered as per DPR submitted by SECON, Bangalore, (Refer Annexure-1)

Sl. No	Dam / Reservoir	Number of villages in command	ICA Proposed within Command Boundary (Ha)	ICA Proposed Outside of Command Boundary (Ha) in place of Killod LIS as shown in Tender boundary	Total Proposed ICA (Ha)	Water Requirement (MCM)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indira Sagar Reservoir	60	15920	8261	24181	87.75
2	Ganjal Reservoir	72	18464	2976	21440	77.80
3	Morand Reservoir	68	18490	00	18490	67.10
	Total	200	52874	11237	64111	232.66

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report	
	Revision: 0	5 of 566

SALIENT FEATURES COMPARISON :

S.no.	Description	Unit	As Per Tender	As per Actual
1	Source		Morand Dam, Ganjal Dam and ISP Reservoir	Morand Dam, Ganjal Dam and ISP Reservoir
2	Amount Of Contract	Crs	1753.50	2193.23
3	Completion Period	Months	48	48
4	Total Culturable Command Area	Ha	48874	64111
5	Total Discharge	m ³ /s	18.13	22.438
6	Discharge Rate	lps/ha	0.35	0.35
7	Power Allotted	MW	15.36	20.15
8	WUA Chak size	Ha	500 / 20	500 / 20
9	Automatic control chak size	Ha	20	20
10	Flow control chak size	Ha	500	500
11	Last chak size	Ha	2.5	2.5
12	Minimum Residual head at last chak size	m	23	23
13	Rising main velocity limit	m/s	2.1	2.1
14	Total Rising main	nos.	3	3
15	Total Pump House	nos.	3 for Rising main + 1 in command area for disnet = 4 nos. in total	4
16	Low water level -Morand Dam	m	352	352
17	Low water level -Ganjal Dam	m	355.4	355.4
18	Low water level -ISP Reservoir	m	248	247
19	Highest Elevation in command area	m	355	365
20	No. of Villages	nos.	191	200
21	GCA /CCA Ratio	Ha	63263 / 48874	86660 / 64111
22	Tehsil		Seoni Malwa, Rahatgaon, Harda, Sirali, Khirkiya & Harsud	Seoni Malwa, Rahatgaon, Harda, Sirali, Khirkiya, Harsud & Khalwa
23	District		Hoshangabad, Harda & Khandwa	Hoshangabad, Harda & Khandwa

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)

MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT

Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore

Broad Concept Design and Layout Report

Revision 0

6 of 566

1.4 AREA SELECTION:

System description : Water will be lifted from three different sources namely Morand Dam, Ganjal Dam and existing Indirasagar Reservoir through Approach channel / connecting pipeline to pumphouse. From respective pump houses, water will be pumped to 20 ha chaks directly. Low water level for pumping considered is 247m for ISP Reservoir, 352 m for Morand Dam and 355.4 m for Ganjal Dam respectively.

Morand Dam side command Area = 18490 Ha
Ganjal Dam side command Area = 21407 Ha
ISP Reservoir side command Area = 24214 Ha
Total Culturable command Area = 64111 Ha CCA

Scheme -1: Scheme -1 will get water from Morand Dam. Out of total 18490 ha from Morand side command, scheme-1 will cater irrigation for 7875 ha and balance water of 10615 ha (18490 - 7875 ha) will be delivered to Delivery chamber (DC) located at 383m GL. Total discharge from Morand Dam side Pump house (PH1) will be 6.471 m³/s and out of this Scheme 1 will cater for 2.756 m³/s which will be pumped from PH1 directly to the chaks size of up to 20 ha. Total 415 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 1 will be 3.775 MW. Average Elevation with in this command area ranges from 306m to 362m.

Rising Main 1 (RM1): Rising main -1 will be connected from Ganjal Dam side pump house (PH2). Total culturable command Area from Ganjal Dam is proposed for 21407 Ha. From this, area of 16707 ha will be pumped through Rising main-1 pipeline with discharge of 5.847 Cumecs and with pump head of 31.0m to lift water from Pump house 2 (PH2) to Delivery Chamber (DC) through 1900mm MS Pipeline. Lifting level at PH2 will be 355.4m and delivery level at DC will be 383m. Total Power required for this Rising main 1 will be 2.115 MW

From PH2 command area of 4700 ha CCA (21407-16707 ha) will also be irrigated by direct pressurized system to scheme-2 directly up to 20 ha chaks.

Scheme -2: Scheme -2 will get water from Ganjal Dam. Out of total 21407 ha from Ganjal side command, scheme-2 will cater irrigation for 4700 ha and balance water of 16707 ha (21407 - 4700 ha) will be delivered to Delivery chamber (DC) located at 383m GL through Rising main-1 pipeline. Total discharge from PH2 towards scheme-2 direct pressurized system will be 1.645 m³/s which will be pumped from PH2 directly to the chaks size of up to 20 ha. Total 239 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 2 will be 1.363 MW. Average Elevation with in this command area ranges from 315m to 365m.

Scheme -3: Scheme -3 will get water from Delivery chamber (water received from Morand Dam and Ganjal Dam respectively). Total Morand side command area will be 18490 ha and from Ganjal Dam command area will be 21407 and total area will be 39897 ha. Out of total 39897 ha, Scheme1 will be irrigating 7875 ha and scheme2 will

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report	
	Revision 0	7 of 566

be irrigating 4700 ha and balance area to be irrigated will be 27322 Ha. The water for 27322 ha will be available at Delivery chamber (DC) by receiving water equivalent to 10615 ha from Morand Dam and 16707 ha from Ganjal Dam respectively.

Scheme -3 will receive water from DC directly to 20 ha chaks through Gravity distribution system. Out of 27322 ha, scheme-3 will be irrigating about 13150 ha only and balance area 14171 ha equivalent water will go to Pump house-3 (PH3) situated in Kothami village. Total discharge from scheme-3 will be 9.563 m³/s, and Scheme 3 will cater for 4.603 m³/s which will be from DC directly to the command area of total 13151 Ha CCA with chaks size of up to 20 ha. Total 689 chaks catered from this scheme. Average Elevation with in this command area ranges from 300m to 347m. From scheme-3, balance water for 14171 ha will go to Pump house-3 (PH3).

Scheme -4: Scheme -4 will get water from Pump house -3 (PH3). Area to be irrigated from this scheme will be 9365 Ha. Discharge of 3.277 m³/s which will be pumped from PH3 directly to the command area of total 9365 Ha CCA with chaks size of up to 20 ha. Total 497 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 4 will be 1.032 MW. Average Elevation with in this command area ranges from 271m to 348m.

Scheme -5: Scheme -5 will get water from Pump house -3 (PH3). Area to be irrigated from this scheme will be 4806 Ha. Discharge of 1.682 m³/s which will be pumped from PH3 directly to the command area of total 4806 Ha CCA with chaks size of up to 20 ha. Total 249 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 5 will be 1.089 MW. Average Elevation with in this command area ranges from 309m to 372m.

Scheme -6: Scheme -6 will get water from Pump house -4 (PH4) from ISP Reservoir as source. Out of total 24214 ha from ISP Reservoir side command, scheme-6 will cater irrigation for 7925 ha. Total discharge for this Scheme 6 will be 2.774 m³/s which will be pumped from PH4 directly to the chaks size of up to 20 ha. Total 415 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme -6 will be 2.977 MW. Average Elevation with in this command area ranges from 262m to 301m.

Scheme -7: Scheme -7 will get water from Pump house -4 (PH4) from ISP Reservoir as source. Out of total 24214 ha from ISP Reservoir side command, scheme-7 will cater irrigation for 11080 ha. Total discharge for this Scheme 7 will be 3.878 m³/s which will be pumped from PH4 directly to the chaks size of up to 20 ha. Total 567 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 7 will be 4.705 MW. Average Elevation with in this command area ranges from 262m to 300m.

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT		
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report		
	Revision 0		8 of 566

Scheme -8: Scheme -8 will get water from Pump house -4 (PH4) from ISP Reservoir as source. Out of total 24214 ha from ISP Reservoir side command, scheme-8 will cater irrigation for 5210 ha. Total discharge for this Scheme 8 will be 1.823m³/s which will be pumped from PH4 directly to the chaks size of up to 20 ha. Total 284 chaks catered from this scheme. Total Power required for this scheme 8 will be 1.957 MW. Average Elevation with in this command area ranges from 262m to 297m.

Total command area from scheme 1, scheme 2, Scheme 3 , Scheme 4, scheme 5, scheme 6, scheme 7 and scheme 8 will be 7875+ 4700+ 13150+ 9365+ 4806+7925+11080+5210 = 64111 Ha CCA.

1.5 Survey ,Investigation & Chak Planning:

The general methodology followed for Survey and Investigation of this lift irrigation scheme is illustrated in the following.

- a. Spreading and constructing Temporary Bench Marks (TBM) in the command area from Great Trigonometric Survey (GTS) values.
- b. Alignment survey with level at every 15m interval and preparation of combined revenue village map of the command area showing contours and prominent field details as per the detailed specifications.

The design of the Morand and Ganjal Project is prepared with the help of the survey data which includes fixation of headwork location and alignment. This data will be utilized in the pipe hydraulics software for determining the diameter of the pipeline. Layout and design of the distribution network is prepared which as well includes command area finalization, chak planning, alignment planning, and diameter fixation of the rising main and distribution network.

Survey data includes the following details.

- a. Grid survey at the headwork location as per the network analysis made as per the survey details.
- b. L-section of the rising main with all crossing details.
- c. Demarcation of outlet points for each chak with verification and confirmation of the ground levels.
- d. L-section of distribution network lines with all the crossing details.

As far as possible, average chak size is kept close to 20Ha (CCA). However, the CCA for each chak will be varying due to natural topographical features and other conveyance and boundary constraints. All the pipelines of Rising main and distribution network will be laid below ground with minimum depth of soil cover as 1.2m. Accordingly, the alignment of pipelines will not interfere with chak formation and its boundaries.

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report	
	Revision: 0	9 of 566

2.0 DESIGN OF RISING MAIN LINE AND DISTRIBUTION NETWORK:

Average ground levels from command within the culturable land range from 262m to 365m. Total of 22.438 cumecs of water will be delivered through various pipe diameter ranging from 63 mm to 2600mm till 20 ha chak outlets and from there water is diverted to cater up to 2.50 ha chak outlet.

The entire pipeline system is designed to take 0.35 lps/ha and to meet minimum of 23m pressures at each 2.50-ha chak outlet and accordingly hydraulic design at 20 ha level is done. Total of 3355 chaks size each varying from 5 to 40 ha and averaging close to 20 ha covering total area of 64,111 ha is covered under this Project.

A minimum residual pressure of 27m will be maintained at all 20 Ha chak outlets and also restricting maximum of 2.1 m/s velocity in the entire network system. Minimum of 63mm and maximum of 2600mm pipe diameter been used for distribution network. An outlet management system that does not require any external source of electric power will be placed at 20 Ha chak outlets in order to ensure suitable supply of water. An efficient air management system with feedback control (connected to SCADA) will be designed to ensure trouble free operation of the lift irrigation scheme and protect the pipeline system from dangerous air slam pressures.

2.1 Design Philosophy:

The main objective of the Morand and Ganjal Project is to empower the farmers in the Hoshangabad, Harda and Khandwa district with reliable and equitable supply of water for irrigating Agriculture. At the same time, the lift irrigation schemes should be designed to satisfy other criteria mentioned in the tender documents while keeping the power requirements to the lowest possible levels. This can be achieved by performing optimal design and life cycle cost analysis, so the farmers will receive right quantities of water at adequate pressures, while the government will conserve precious electrical energy and save on annual electricity expenditure. The design should also look at the potential pitfalls associated with piped irrigation systems and make use of advanced design and other technological solutions to avert such pitfalls and ensure reliable and equitable supply of water to all farmers identified under the lift irrigation scheme. The most critical component of the LIS is the pipe distribution network. A careful and efficient design of this component is essential for long-term trouble-free and fail-safe performance of the lift irrigation scheme. Efficient design of a piped irrigation system always starts at the consumer end.

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report	
	Revision 0	10 of 566

Higher residual pressures are naturally available at many chak outlets because of the undulating terrains of upland agricultural areas and careful design can ensure higher residual heads at most chak outlets. Further increase in residual heads can drop the water requirements at chak outlets dramatically as the farmers can then go for micro irrigation systems without the need for additional pumping and the associated energy burden. As micro irrigation boosts crop yield significantly, the best and most efficient design for the lift irrigation scheme would be the one that delivers crop water requirements at higher residual heads while keeping the energy requirements to the lowest possible levels (and certainly below the tender time estimates). In general, the minimum residual head at chak outlet for drip or sprinkler irrigation would be around 20m and this can ensure adequate residual pressure at drip/sprinkler emitters after all the pressure losses downstream of chak outlets.

Whether the distribution system is designed for a minimum residual pressure of 0m, 2m, or 20m, the actual residual pressures available at different chak outlets for specified demand conditions will always be greater than the minimum required value (except at one or two outlets where the minimum residual pressure is maintained). Unless the additional residual pressure at outlets is dissipated by some smart technology, water will NOT be delivered equitably to all chaks. Lack of proper outlet management system can result in many unforeseen problems and eventual declaring of failure of the entire lift irrigation scheme. Some of these problems include; periodic filling and draining of pipelines leading to air lock, pipe joint failure and eventual leakage; pumps operating well beyond rated conditions resulting in premature breakdown from excessive heating, vibration etc.; longer travel times to chak outlets; significant inequity in supply of water. Orifice or manual/motorized control valves based dissipation of residual pressures cannot work, as the water supply system will be designed for peak demand conditions but the system must work for many variable demand conditions - demands vary significantly during different stages of crop growth. The use of rugged field channels for delivery of water from chak outlet to farm boundary can make the matters worse with orifice control. Outlet Management System is essential to ensure equitable supply of water during the entire growth period without having to run pumps beyond rated conditions. However, Outlet Management System that requires little or no maintenance requirement and no additional energy requirement (that is, hydraulically actuated) can also be expensive and might only be possible with exceptionally good optimized pipe network design satisfying the tender conditions.

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report	
	Revision 0	11 of 566

Pump station flowrates will be designed based on bottom-up approach starting at the field channel level downstream of chak outlet working towards the pump station. The design flowrate for each chak will be at the rate of 0.35 lps/ha. This flowrate will ensure minimum required flowrate condition for efficient delivery of water from chak outlet to individual farms when the minimum chak size is not significantly below 20 ha (20×0.35) = 7:00 lps/chak, while 12-15 lps is the suggested lower limit for field channel flow. Reference: Design and operation of irrigation systems for smallholder agriculture in South Asia by D. E. Campbell, FAO, ISBN: 9789251024812, 1987). The proposed chak outlet management system will provide flexibility to run the LIS similar to Warabandi system as practiced in M.P. For example, the group of Pani Panchayats under the LIS may decide on the rotation of water supply on a weekly basis (that is a group of chaks will receive water for one week continuously and water will be directed to another group of chaks the following week), biweekly basis, or even on an alternate day basis per crop water requirement and availability of water. Supply of water on longer time intervals (one week on and week off) is suitable for flood irrigation while water should be supplied at closer intervals (alternate day basis for example) for micro-irrigation systems. This provides flexibility for farmers within the chak that offers adequate residual pressure head to collectively switch from flood irrigation to micro irrigation whenever they are ready.

2.2 Design criteria

The general design criteria for this LIS are listed in the following:

- Water will be lifted from three different resources namely Morand Dam, Ganjal Dam and Existing Indra Sagar Reservoir Right side through an pump house, and pressurized pipe network to approximately 20 ha chaks of the command area.
- Each chak outlet should be designed for the respective flow rate based on total area under the chak and a duty flow rate of 0.35 lps per hectare.
- Minimum pressure head at each 20 ha chak outlet should be 27m and at 2.50 ha pressure will be 23m, so the farmers can go for micro irrigation whenever they are ready without the need for additional power supply and pump set.
- The network system will use MS, DI, GRP and HDPE pipes of appropriate pressure ratings will be used for distribution network and following size limitations stipulated in tender specifications. Pipe diameter up to 280 mm will be HDPE pipe diameter and from 300 mm and above will be Mild steel /DI/GRP with suitable thickness mentioned as per tender.
- Hazen-William friction equation will be used for computing head loss within the pipelines with a roughness coefficient C_r value of 140.

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT		
Contractor: M/S. NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report		
	Revision 0		12 of 566

- Chak markings will be done making use of manual command area survey, digital contour maps, village maps and RoRs.
- Chak and distribution system layouts will be marked in such a way as to minimize the railway, highway and major stream crossings.
- Detailed field alignment survey will be carried out from source to all chak outlets to obtain accurate elevations along all critical areas of the piped distribution system.
- All Chaks (20 ha level) with residual pressures of 27m will be provided with Outlet Management System (OMS) to ensure equitable supply of water to all chaks. The OMS will be capable of measuring the volume of water delivered, limit the flow rate to designed capacity of the chak outlet, automatically close the valve when pumps are turned off thereby preventing periodic filling and draining of the pipelines which ensures enhanced project life. In addition, the opening and closing of these valves will be automatically done in a controlled manner so as to eliminate dangerously high surge pressures associated with rapid changes in velocity and hence enhanced life for the project. Unlike orifice plate based flow control, OMS will preserve the available residual head (while limiting the flow rate at chak outlet to required value) so the farmers can go for micro irrigation whenever they are ready. Orifice plate based flow control will also necessitate massive redesign and replacement of orifice plates in order to make use of available residual head and this process may need to be undertaken every time one water user association is ready for migrating to micro irrigation system.
- A detailed air management system will be designed and this will help eliminate air blockages and reduce travel time from pump start to flow reaching the tail end chak outlets.
- Adequate number of Isolation valves and scour valves of appropriate size will be provided throughout the distribution network to enhance the operational feasibility and periodic flushing of pipes preventing siltation problems.
- Bladder Vessel based Surge protection arrangements will be provided to the entire network of the pipeline system.
- User friendly SCADA and Outlet management system with automation system will be designed for seamless integration and operation of pump station and outlet management system for efficient and most cost effective operation of each LIS. The proposed system will be capable of providing periodic updates and the overall operation of the LIS to all concerned officials.

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT		
Contractor: M/S. NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report		
	Revision 0		13 of 568

2.3 Network modeling philosophy

The rising main and distribution network models will be designed using the latest version of the most popular hydraulic network modeling software – Pipe2000 developed at University of Kentucky, USA. The entire network pipeline system associated with the distribution will be designed in such a way to minimize the life cycle costs of the project. Once the chak formation is complete following the procedure outlined in the tender specifications, a layout for the network model will be prepared that ensures minimal railway, highway and major stream crossings. The Pipe2000 software will be used to analyze the model as well as to optimize the annualized capital and operational costs of the project. Use of well-established network modeling software will not only ensure accurate results but also the most cost effective solution which can potentially provide significant savings in energy costs. The velocity considered for pipeline is maximum 2.1 m/sec and minimum 0.3 m/sec (subject to diameter constraint).

2.4 Building of pipe network model

After completion of chak planning, a detailed CAD map showing all salient and relevant features within the command area (including ground level contours) was prepared. This map included chak boundaries, highest elevations points within the chak boundaries, CCA of each chak etc. These maps were used for building the pipe network model in Pipe2000 software. Automated CAD to model conversion tools were used wherever possible in order to eliminate errors in model development. The pipe network model is comprised of a reservoir node representing the Pump house, an intricate network of rising, gravity mains, and a distribution system.

2.5 Methodology of calculations

Following methodology is adopted for the optimization study,

- Minimum required velocity in M.S./HDPE Pipeline = 0.3m/sec as per CPHEEO Manual.
- Maximum permissible velocity in M.S./HDPE pipeline = 2.1m/sec as per CPHEEO Manual.
- Head loss in friction in rising and gravity mains is worked out using Hazen William formula:
- Other losses in bends, valves etc are taken as 10 % of pipe frictional losses.

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report
	Revision 0

2.6 Outlet Management System

Chaks are designed for covering around 20Ha area and precautions will be taken that farmer gut boundary will come in the maximum one chak only. The residual pressures at chak outlets are maintained to be no less than 27m. On a peak demand day, it is very highly likely that all outlets in distributaries are fully open and deliver peak flows to chak outlets. On the other hand (for example the days of unexpected heavy rains during a peak demand period) all outlets may need to be turned off to prevent excess watering and consequent damage to crops.

In between these two extremes, the number of outlets operating at any given time may vary from 0 to total number of outlets in the distributaries. In addition, the outlets may be operated only for certain number of hours in a day depending on their consumption etc. so it is required to control and monitor the chak outlet with effective control system. Also, operation of the system during non-peak demand months is the most critical to implement as outflow to chak from an outlet depends on the available residual pressure at that outlet and higher residual pressure at outlet means higher flow to chak unless there is a control to restrict the flow to the maximum allowable value. Therefore, it is essential to have control at all chak outlets and more importantly these controls should be set to maximum flow limits so the outlets cannot draw more water even when there is higher residual pressure at that location and so sufficient flow will be available at the outlets where pressure is low or at the higher elevation.

An outlet management system, which will control the maximum flow at the chak outlets wherever necessary irrespective of pressure available at that outlet, will be provided for all lift irrigation schemes under this cluster. The outlet management system will have the feature of anti-drain to enable to keep the network always full of water which will avoid the air entry in the pipe and will keep the network full of water. This will enable to start the flow from the outlet immediately when the outlet will be started again in operation. We will control and monitor the distribution network at downstream instead of control at upstream as it has many more advantages such as,

1. Outlet management system with downstream control will prevent the draining of water from the network.
2. Outlet management system avoid the air entry in pipeline and so reduces the problems associated with air lock such as less/partial flow, leakages etc.
3. Outlet management system enables the uniform & equitable distribution of water irrespective of its elevation and distance from the supply source. In Upstream Control the

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report
	Revision 0

outlets at lower elevation and near to supply source will get the more water and other will get may be less or NIL water.

4. In Outlet Management System, the water will be immediately available at outlet once the supply will start. In Upstream Control due to draining of network it will take time to for the water to reach the outlets.
5. In Outlet Management system as water always remains in pipe network it will increase the life and efficiency of pipeline.

Entire Distribution Network System will cover through Outlet Management System, Air Management System, Washout / Scour System.

In summary, the pipe network designed as per tender requirement of 0.3204 lps/ha for this LIS. The salient features of the design pertaining to this LIS are shown in the following:

- Each 20 Ha chak outlet is designed for 0.35 lps/ha
- Outlet management system is provided to allow for rotation of water similar to Warabandi system at 20 ha chak level.
- Problems associated with field channels are minimized
- Minimum pressure at 20 ha chak outlet is minimum 27m.
- Minimum pressure at 2.50 ha chak outlet is minimum 23m.
- Highest steady state pressures and pump head is 104m (for Scheme 8 Pumping).
- Highest steady state pressures in the entire Distribution network is 90m.

3.0 Summary of results

As per the above mentioned design criteria and the guidelines, the Broad conceptual design & layout hydraulic design of distribution system is prepared, showing the following and presented in various tables and drawings section of this report.

- Chak boundaries.
- GCA/CCA of each Chak.
- Location of outlet for each Chak.
- Horizontal alignments of the distribution network along with its nomenclature.
- Node numbers at each offtake point and Irrigation outlet point.
- Discharge between nodes.
- Diameter of the pipe between nodes.

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GAÑJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report
	Revision 0

After this report, the detailed engineering report of distribution network with kilometer wise L-sections along each alignment will be prepared and will be submitted separately (after approval of this Report) including the following details.

- Chainage, G.L., Invert R.L of Pipe, H.G.L.
- Location of various types of valves such as air valves, scour valves (washout valves), sluice / butterfly valves for discharge control etc. and its diameters.
- Position of various structures at crossings of Nallas, Roads etc. & its typical design.
- Design of surge protection system.
- Pipe Pressure classification of Pipes.
- Typical outlet management /Air management /SCADA (wireless and energyless based) arrangement at 20 ha chak head.
- Position of thrust blocks / anchor blocks & their typical design.

3/9/21
 Assistant Engineer
 Narmada Development
 Division No.23, Bhopal
 Hydrometeorology Sub-Division
 (M.V.D.A.) Hoshangabad (M.P.)
 Syadav
 SIB

Executive Engineer
 Narmada Development
 Division No.23, Bhopal

Chief Engineer
 Indira Sagar Project (Canals)
 Sanawad, Distt. Khargone (M.P.)

Superintending Engineer
 N.D. Circle No. 08
 Sanawad Distt. Khargone

Project Administrator
 Morand, Ganjal And Hoshangabad Barrage
 Project Implementation Unit
 Seoni Malwa Distt. Hoshangabad (M.P.)

Project manager

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
Contractor: M/S. NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report	
	Revision 0	17 of 566

TABLE 1- VILLAGEWISE AREA STATEMENT:

Sl. No.	SN of DPR/ Additional Village	Village Name	Name of Tehsil & Name of District	GCA in Hac (As per Survey land record)	Govt. Land in Hac (As per Survey land record)	CCA in Hac (As per Survey land record) (5-6)	ICA considered (in Hac) under the proposal
1	DPR-1	Srijupura	Seoni Malwa & Hoshangabad	428.42	252.28	176.14	176.14
2	DPR-2	Moriya	Seoni Malwa & Hoshangabad	495.64	331.19	164.45	83.04
3	DPR-3	Lokhartalaj	Seoni Malwa & Hoshangabad	551.15	233.68	317.47	291.93
4	DPR-4	Saintaj	Seoni Malwa & Hoshangabad	850.81	325.33	525.48	525.48
5	DPR-5	Ranipur	Seoni Malwa & Hoshangabad	166.17	47.00	119.17	124.23
6	DPR-6	Ghana	Seoni Malwa & Hoshangabad	467.87	114.80	353.07	353.07
7	DPR-7	Bandar khoh	Seoni Malwa & Hoshangabad	288.424	53.99	234.43	234.44
8	DPR-8	Gangia	Seoni Malwa & Hoshangabad	423.63	185.68	237.94	237.94
9	DPR-9	USKALLI	Rahatgaon & Harda	499.44	259.24	240.20	240.24
10	DPR-10	BARURGHAT	Rahatgaon & Harda	403.78	124.25	279.53	279.53
11	DPR-11	BHADUGAON	Rahatgaon & Harda	445.75	27.57	418.18	418.54
12	DPR-12	KAPASI	Rahatgaon & Harda	441.15	220.00	221.15	221.15
13	DPR-13	TEMAGOV	Rahatgaon & Harda	974.87	77.29	897.58	897.58
14	DPR-14	UNDRAKUTCH	Rahatgaon & Harda	110.33	3.10	107.22	107.22
15	DPR-15	JOGIKHEDA	Rahatgaon & Harda	273.44	23.09	250.35	250.35
16	DPR-16	JHIRIKHEDA	Rahatgaon & Harda	229.17	14.13	215.04	215.04
17	DPR-17	DOLARIA	Rahatgaon & Harda	411.77	28.13	383.64	383.64
18	DPR-18	JINWANI	Rahatgaon & Harda	450.01	180.31	269.70	269.70
19	DPR-19	PADAWAN	Rahatgaon & Harda	246.82	20.41	226.41	250.10
20	DPR-20	NANDWA	Rahatgaon & Harda	166.38	5.43	160.95	160.95
21	DPR-21	JAMDHAR (VEERAN)	Rahatgaon & Harda	98.77	5.04	93.73	93.73

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
	Broad Concept Design and Layout Report	
Contractor : M/S NEC-PEL (JV), Indore	Revision 0	18 of 566

After this report, the detailed engineering report of distribution network with kilometer wise L-sections along each alignment will be prepared and will be submitted separately (after approval of this Report) including the following details.

- Chainage, G.L., Invert R.L. of Pipe, H.G.L.
- Location of various types of valves such as air valves, scour valves (washout valves), sluice / butterfly valves for discharge control etc. and its diameters.
- Position of various structures at crossings of Nallas, Roads etc. & its typical design.
- Design of surge protection system.
- Pipe Pressure classification of Pipes.
- Typical outlet management / Air management / SCADA (wireless and energyless based) arrangement at 20 ha chak head.
- Position of thrust blocks / anchor blocks & their typical design.

[Signature]
1/5/21

[Signature]
Assistant Engineer
Narmada Development
Division No.23, Bhopal

[Signature]

[Signature]
1/5/21

[Signature]
SIB

[Signature]

[Signature]
Chief Engineer
Indira Sagar Project (Canals)
Sarnawa, Distt. Khargone (M.P.)

[Signature]
Project Administrator
Morand, Ganjal And Hoshangabad Barrage
Project Implementation Unit
Seoni Mahwa Distt. Hoshangabad (M.P.)

[Signature]
Project Manager
P.D.O.

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT
Contractor: M/S. NEC-REL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report
	Revision-0
	1/ of 566

TABLE 1- VILLAGEWISE AREA STATEMENT:

Sl.No.	S.N. of DPR/ Additional Village	Village Name	Name of Tehsil & Name of District	GCA in Hac (As per Survey land record)	Govt. Land in Hac (As per Survey land record)	CCA in Hac (As per Survey land record) (5-6)	ICA considered (in Hac). under the proposal
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DPR-1	Strupura	Seoni Malwa & Hoshangabad	428.415	252.278	476.137	176.137
2	DPR-2	Morigva	Seoni Malwa & Hoshangabad	495.635	331.185	164.450	164.450
3	DPR-3	Lokharatalai	Seoni Malwa & Hoshangabad	551.147	233.682	317.465	317.465
4	DPR-4	Santaj	Seoni Malwa & Hoshangabad	850.806	325.329	525.477	525.477
5	DPR-5	Renipur	Seoni Malwa & Hoshangabad	166.166	46.995	119.171	119.171
6	DPR-6	Ghana	Seoni Malwa & Hoshangabad	467.865	114.799	353.066	353.066
7	DPR-7	Bandarkhoh	Seoni Malwa & Hoshangabad	742.405	249.397	493.008	234.432
8	DPR-8	Gangia	Seoni Malwa & Hoshangabad	423.626	185.682	237.944	237.944
9	DPR-9	USKALLI	Rahatgaon & Harda	499.437	259.235	240.202	240.202
10	DPR-10	BARURGHAT	Rahatgaon & Harda	403.781	124.249	279.532	279.532
11	DPR-11	BHADUGAON	Rahatgaon & Harda	1007.256	142.135	865.121	418.179
12	DPR-12	KAPASI	Rahatgaon & Harda	441.147	220.000	221.147	221.147
13	DPR-13	TEMAGOV	Rahatgaon & Harda	974.870	77.290	897.580	897.580
14	DPR-14	UNDRAKUTCH	Rahatgaon & Harda	622.882	78.883	543.999	107.224
15	DPR-15	JOGIKHEDA	Rahatgaon & Harda	273.440	23.087	250.353	250.353
16	DPR-16	JHIRIKHEDA	Rahatgaon & Harda	229.172	14.133	215.039	215.039
17	DPR-17	DOLARIA	Rahatgaon & Harda	419.097	28.125	390.972	383.643
18	DPR-18	JINWANI	Rahatgaon & Harda	450.005	180.306	269.699	269.699
19	DPR-19	PADAWAN	Rahatgaon & Harda	388.345	55.022	333.323	226.413
20	DPR-20	NANDWA	Rahatgaon & Harda	395.695	73.541	322.154	160.952
21	DPR-21	JAMDHAR (VEERAN)	Rahatgaon & Harda	98.771	5.039	93.732	93.732

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report
	Revision 0 / 18 of 566

22	DPR-22	JHARBERA	Rahatgaon & Harda	721.688	209.346	512.342	512.342
23	DPR-23	PANDERMATI	Rahatgaon & Harda	699.385	171.224	528.161	528.161
24	DPR-24	UMRADHA	Rahatgaon & Harda	534.900	32.766	502.134	502.134
25	DPR-25	KALPI	Rahatgaon & Harda	260.508	48.271	212.237	93.012
26	DPR-26	KHATMAKHEDA	Rahatgaon & Harda	191.284	75.085	116.199	116.199
27	DPR-27	CHHIRPURA	Rahatgaon & Harda	660.027	81.447	578.580	578.580
28	DPR-28	NAZARPURA(MOHANPURA)	Rahatgaon & Harda	500.995	58.011	442.984	442.984
29	DPR-29	MALAGAVKHURD	Rahatgaon & Harda	308.213	27.319	280.894	80.740
30	DPR-30	DHANGAON	Rahatgaon & Harda	405.961	61.810	344.151	66.097
31	DPR-31	DHANPADA	Rahatgaon & Harda	339.693	15.702	323.991	323.991
32	DPR-32	JUNAPANI	Rahatgaon & Harda	178.824	5.848	172.976	172.976
33	DPR-33	RAHATGAON	Rahatgaon & Harda	1032.184	106.949	925.235	925.235
34	DPR-34	PHULADI	Rahatgaon & Harda	700.802	90.854	609.948	34.442
35	DPR-35	DOKERTALAI	Rahatgaon & Harda	130.670	14.371	116.299	41.320
36	DPR-36	KHAMGAON	Rahatgaon & Harda	542.431	65.720	476.711	295.207
37	DPR-38	LUGHGAON (VEERAN)	Rahatgaon & Harda	325.191	36.257	288.934	163.556
38	DPR-39	KASRANI	Rahatgaon & Harda	636.560	105.574	530.986	530.986
39	DPR-40	NARANPURA	Rahatgaon & Harda	381.446	199.146	182.300	182.300
40	DPR-41	SINGANPUR	Rahatgaon & Harda	287.028	35.835	251.193	251.193
41	DPR-42	RAISALPUR	Harda & Harda	679.100	354.512	324.588	324.588
42	DPR-43	JHADAPA	Harda & Harda	1070.025	69.882	1000.143	1000.143
43	DPR-44	GUTHANIA	Harda & Harda	352.553	95.888	256.665	256.665
44	DPR-45	JHIRI	Harda & Harda	648.795	157.859	490.936	490.936
45	DPR-46	JHUNDSGAON	Harda & Harda	374.683	27.862	346.821	346.821
46	DPR-47	BARKHEDI	Harda & Harda	352.807	15.150	337.657	337.657
47	DPR-48	SIRKAMBAN	Harda & Harda	641.944	37.997	603.947	603.947
48	DPR-49	DINKARPURA	Harda & Harda	309.633	44.009	265.624	17.047
49	DPR-50	NAKWADA	Harda & Harda	376.202	42.171	334.031	154.313
50	DPR-51	JJUGAON KHURD	Harda & Harda	627.077	62.850	564.227	9.744

32

Client: Narmada Valley Development Authority
(NVDA)

MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE
IRRIGATION PROJECT

Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore

Broad Concept-Design and Layout Report

Revision 0

19 of 566

51	DPR-52	GAHAL	Harda & Harda	1385.373	153.207	1232.166	21.644
52	DPR-53	JAMNIYA	Harda & Harda	204.114	11.744	192.370	4.200
53	DPR-54	MOHANPUR	Harda & Harda	431.067	33.148	397.919	167.859
54	DPR-55	DULIYA	Harda & Harda	355.120	60.680	294.440	232.823
55	DPR-56	KUNJURA	Harda & Harda	282.854	36.296	246.558	246.558
56	DPR-57	KOSAGHATI	Harda & Harda	85.677	11.114	74.563	74.563
57	DPR-58	MAGARADHA	Harda & Harda	875.849	98.064	777.785	777.785
58	DPR-59	JAMANIYA KALAN	Sirali & Harda	395.791	161.552	234.239	204.239
59	DPR-60	RATANPUR	Sirali & Harda	299.507	256.612	42.895	42.895
60	DPR-61	AMAKHAL	Sirali & Harda	261.781	82.032	179.749	78.749
61	DPR-62	KHUTWAL	Sirali & Harda	412.198	52.690	359.508	359.508
62	DPR-63	CHAIKADI	Sirali & Harda	288.361	8.867	279.494	167.494
63	DPR-64	MAHANDGAON	Sirali & Harda	405.693	41.122	364.571	349.741
64	DPR-65	DEEPGAON KHURD	Sirali & Harda	483.203	17.503	465.700	22.351
65	DPR-66	BAWDIYA	Sirali & Harda	452.020	29.622	422.398	217.137
66	DPR-68	GOMGAON	Sirali & Harda	641.211	54.076	587.135	169.580
67	DPR-69	MORTALAI	Sirali & Harda	225.261	85.191	140.070	140.070
68	DPR-70	PIPAL PAANI	Sirali & Harda	135.323	36.867	98.456	98.456
69	DPR-71	UWRI	Sirali & Harda	670.939	203.099	467.840	467.840
70	DPR-72	DAGPALPUR	Sirali & Harda	147.373	77.295	70.078	70.078
71	DPR-73	PIPLA	Sirali & Harda	653.986	51.945	602.041	602.041
72	DPR-74	KASHIPURA	Sirali & Harda	285.945	8.437	277.508	277.508
73	DPR-75	GOMGAON VALI	Sirali & Harda	332.159	15.427	316.732	19.461
74	DPR-76	MALAPUR	Sirali & Harda	72.348	2.726	69.622	23.397
75	DPR-77	RAMPURI	Sirali & Harda	244.682	10.191	234.491	73.491
76	DPR-78	VIKRAMPUR KALAN	Sirali & Harda	404.125	24.951	379.174	379.174
77	DPR-79	KUDHIYA	Sirali & Harda	749.767	80.139	669.628	669.628
78	DPR-80	SONPURA	Sirali & Harda	240.229	120.999	119.230	66.230
79	DPR-81	Nani Makrai	Sirali & Harda	307.579	221.768	85.811	85.811

14

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
	Broad, Concept Design and Layout Report	
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Revision 0	20 of 566

80	DPR-82	JUNAPANI	Sirali & Harda	324.011	78.344	245.667	245.667
81	DPR-83	KEWALARI	Sirali & Harda	152.411	11.741	140.670	140.670
82	DPR-84	BAHADA MAL	Sirali & Harda	111.209	25.740	85.469	85.469
83	DPR-85	HINDALABAD	Sirali & Harda	307.169	6.470	300.699	300.699
84	DPR-86	MANPURA	Sirali & Harda	264.378	21.096	243.282	243.282
85	DPR-87	JINWANYA	Sirali & Harda	317.104	33.944	283.160	4.200
86	DPR-88	LOLAGRA	Sirali & Harda	676.884	28.939	647.945	79.170
87	DPR-89	PATKALA	Sirali & Harda	238.626	4.679	233.947	69.001
88	DPR-90	LALYA CHAPAD	Sirali & Harda	268.323	164.090	104.233	86.630
89	DPR-91	BICHIPURI CIRCULAR	Sirali & Harda	144.600	21.904	122.696	122.696
90	DPR-92	BICHIPURI RYOT	Sirali & Harda	96.566	36.941	59.625	59.625
91	DPR-93	BAHADA RYOT	Sirali & Harda	109.510	3.916	105.594	105.594
92	DPR-94	BICHIPURI MAL	Sirali & Harda	206.611	34.889	171.722	171.722
93	DPR-95	MUDASEL	Sirali & Harda	255.609	26.645	228.964	228.964
94	DPR-96	MADHISEL	Sirali & Harda	704.908	29.078	675.830	71.645
95	DPR-97	NAHALI KALAA	Sirali & Harda	337.763	26.395	311.368	177.198
96	DPR-98	BHAGWANPURA	Sirali & Harda	924.418	77.233	847.185	847.185
97	DPR-99	RICHADJA	Sirali & Harda	259.581	128.820	130.761	130.761
98	DPR-100	RAKTAYA	Sirali & Harda	314.551	19.335	295.216	295.216
99	DPR-101	SOMGAON KALAA	Sirali & Harda	585.294	38.856	546.438	546.438
100	DPR-102	DEEPGAON KALAA	Sirali & Harda	1518.351	157.634	1360.717	75.223
101	DPR-103	KADOLA RADHO	Sirali & Harda	895.584	100.482	795.102	200.085
102	DPR-104	GHOUKI	Sirali & Harda	412.476	29.779	382.697	254.697
103	DPR-105	HASANPURA RAIYAT	Sirali & Harda	584.819	35.969	548.850	496.850
104	DPR-106	RAMTEK RYOT	Sirali & Harda	551.731	68.014	483.717	457.717
105	DPR-107	KUKADA PANI	Sirali & Harda	792.272	249.549	542.723	412.790
106	DPR-108	MORGARHI	Khirkiya & Harda	729.608	42.007	687.601	557.178
107	DPR-109	CHURIKHAL	Khirkiya & Harda	884.901	151.589	733.312	672.780
108	DPR-110	RAJHUN	Khirkiya & Harda	819.185	91.123	728.062	640.930

48

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
	Broad Concept Design and Layout Report	
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Revision: 0	21 of 566

109	DPR-111	KHEDI CIRCULAR	Khirkiya & Harda	138.253	14.014	124.239	124.240
110	DPR-112	KHEDI MAL	Khirkiya & Harda	147.185	15.129	132.056	132.060
111	DPR-113	SHOBHAPUR	Khirkiya & Harda	311.805	28.760	283.045	283.050
112	DPR-114	DEGGAON MAAL	Khirkiya & Harda	396.512	26.337	370.175	370.170
113	DPR-115	DEGGAON CIRCULAR	Khirkiya & Harda	293.286	21.918	271.368	271.370
114	DPR-116	DAMODARPURA	Khirkiya & Harda	252.573	18.568	234.005	234.010
115	DPR-117	KANPURA	Khirkiya & Harda	825.534	91.291	734.243	734.240
116	DPR-118	TEMALWARI MAL	Khirkiya & Harda	824.497	50.731	773.766	773.770
117	DPR-119	TEMALWARI RAIYAT	Khirkiya & Harda	459.677	32.553	427.124	427.120
118	DPR-120	MAKTAPUR	Khirkiya & Harda	633.346	86.978	546.368	546.370
119	DPR-121	BHAWARDI RYT	Khirkiya & Harda	244.406	18.900	225.506	225.510
120	DPR-122	BHAWARDI MAL	Khirkiya & Harda	242.275	18.963	223.912	223.910
121	DPR-123	PRATAP PURA	Khirkiya & Harda	468.993	35.486	433.507	433.510
122	DPR-124	GANJI PURA	Khirkiya & Harda	230.562	6.949	223.613	223.610
123	DPR-125	HIRAPUR	Khirkiya & Harda	356.130	24.030	332.100	332.100
124	DPR-126	JAI MALAPURA	Khirkiya & Harda	304.528	26.972	277.556	277.560
125	DPR-127	GOPALPURA	Khirkiya & Harda	738.426	73.258	665.168	674.710
126	DPR-128	BHAWARDHA MAFI	Khirkiya & Harda	67.199	9.644	57.555	57.550
127	DPR-129	JUNAPANI	Khirkiya & Harda	628.871	77.033	551.838	551.840
128	DPR-130	Damdama	Harsud & Khandwa	609.660	109.020	500.640	369.960
129	DPR-131	Chapakund	Harsud & Khandwa	618.389	143.079	475.310	475.310
130	DPR-132	Bothia kalaa	Harsud & Khandwa	459.269	34.539	424.730	424.730
131	DPR-133	Bothia Khurd	Harsud & Khandwa	594.870	140.160	454.710	454.710
132	DPR-134	Dagad khedi maal	Harsud & Khandwa	1013.357	384.730	628.627	459.347
133	DPR-135	Bahedi riyat	Harsud & Khandwa	383.190	34.260	348.930	348.930
134	DPR-136	Chich Ryt	Harsud & Khandwa	545.467	180.167	365.300	365.300
135	DPR-137	Dhanora	Harsud & Khandwa	508.303	101.503	406.800	406.800
136	DPR-138	Kadooli	Harsud & Khandwa	660.980	82.260	578.720	578.720
137	DPR-139	igarva	Harsud & Khandwa	852.530	101.660	750.870	386.190

22

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
	Broad Concept Design and Layout Report	
Contractor : M/S NEC-PEL (JV), Indore	Revision: 0	22 of 566

138	DPR-140	Pipalani	Harsud & Khandwa	607.450	87.930	519.520	519.520	519.520
139	DPR-141	Bhawrali	Harsud & Khandwa	316.330	171.830	144.500	144.500	144.500
140	DPR-142	Chikali	Harsud & Khandwa	787.690	52.920	734.770	734.770	343.350
141	DPR-143	Sonkhedi	Harsud & Khandwa	597.220	131.000	466.220	466.220	466.220
142	DPR-144	Ramjipura	Harsud & Khandwa	866.250	123.650	742.600	742.600	742.600
143	DPR-145	Boti saray	Harsud & Khandwa	1334.390	102.370	1232.020	1232.020	1091.910
144	DPR-146	Dharukhedi	Harsud & Khandwa	805.220	35.370	769.850	769.850	769.850
145	DPR-147	Palani mal	Harsud & Khandwa	736.570	219.180	517.390	517.390	517.390
146	DPR-148	Shahpura Maal	Harsud & Khandwa	702.530	92.710	609.820	609.820	609.820
147	DPR-149	Palani Ryt	Harsud & Khandwa	174.620	38.500	136.120	136.120	136.120
148	DPR-150	Hathnaura Ryt	Harsud & Khandwa	643.360	358.560	284.800	284.800	284.800
149	DPR-151	Bhimhad Mal	Harsud & Khandwa	320.170	21.990	298.180	298.180	298.180
150	DPR-152	Maujwadi Raiyat	Harsud & Khandwa	232.340	30.640	201.700	201.700	201.700
151	DPR-153	Kashipura Ryt	Harsud & Khandwa	488.400	152.200	336.200	336.200	307.507
152	DPR-154	Mojwadi maal	Harsud & Khandwa	919.260	214.490	704.770	704.770	704.770
153	DPR-155	Mugal Ryt	Harsud & Khandwa	596.810	368.810	228.000	228.000	228.000
154	DPR-156	Badkhaliya mal	Harsud & Khandwa	839.063	136.560	702.503	702.503	329.320
155	DPR-157	Bailwadi	Harsud & Khandwa	337.650	43.220	294.430	294.430	294.430
156	DPR-158	Rewapur Ryt	Harsud & Khandwa	780.090	69.120	710.970	710.970	710.970
157	DPR-159	Sonpura	Harsud & Khandwa	641.146	285.786	355.360	355.360	355.360
158	DPR-160	Bharadi	Harsud & Khandwa	729.331	118.656	610.675	610.675	366.800
159	DPR-161	Imlani Ryt	Harsud & Khandwa	706.410	560.470	145.940	145.940	145.940
160	DPR-162	Khujia Ryt	Harsud & Khandwa	311.070	293.950	17.120	17.120	17.120
161	Within Command	RAMPURA	Sirali & Harda	667.439	35.816	631.623	631.623	125.210
162	- DO -	AIROOD RYT	Sirali & Harda	245.261	18.195	227.066	227.066	100.066
163	- DO -	MUHAL CIRCULAR	Sirali & Harda	241.577	111.174	130.403	130.403	89.403
164	- DO -	SAGWA CIRCULAR	Khirkhya & Harda	343.080	57.873	285.207	285.207	112.207
165	- DO -	AIROOD MAL	Khirkhya & Harda	124.006	17.239	106.767	106.767	18.767

33

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
	Broad Concept Design and Layout Report	
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Revision 0	23 of 566

166	-DO-	MØHI RYT	Harsud & Khandwa	431.475	156.753	274.722	274.722	274.722
167	-DO-	MØHI MAL	Harsud & Khandwa	107.108	4.158	102.950	102.950	102.950
168	-DO-	NAVALPURA	Harsud & Khandwa	527.170	396.690	130.480	130.480	130.480
169	Out of Command	SAVAL-KHEDI RYT	Sifali/Harda	609.724	75.092	534.632	534.632	429.510
170	-DO-	KOTHAMI	Sifali/Harda	458.223	323.429	134.794	134.794	126.794
171	-DO-	LAFANG DHANA	Sifali/Harda	292.936	89.132	203.804	203.804	203.804
172	-DO-	BHIMPURA	Sifali/Harda	746.159	541.016	205.143	205.143	201.143
173	-DO-	Khumbhi dhana	Khalwa & Khandwa	480.050	67.310	412.740	412.740	412.740
174	-DO-	Khamlay	Khalwa & Khandwa	511.190	94.360	416.830	416.830	416.830
175	-DO-	Jimarni	Khalwa & Khandwa	783.390	169.390	614.000	614.000	614.000
176	-DO-	Khari	Khalwa & Khandwa	551.210	50.620	500.590	500.590	500.590
177	-DO-	POKHARNI	Khirkiya & Harda	1026.266	68.215	958.051	958.051	958.051
178	-DO-	CHHIPABAD	Khirkiya & Harda	1854.828	143.746	1711.082	1711.082	774.638
179	-DO-	BASAT PURA	Khirkiya & Harda	344.568	13.913	330.655	330.655	279.655
180	-DO-	PADWA	Khirkiya & Harda	673.950	63.855	610.095	610.095	250.095
181	-DO-	TARAPUR	Khirkiya & Harda	575.625	13.943	561.682	561.682	171.682
182	-DO-	ATRALIYA	Khirkiya & Harda	213.808	8.596	205.212	205.212	125.212
183	-DO-	KALDHAD	Khirkiya & Harda	513.262	50.321	462.941	462.941	382.941
184	-DO-	HATHNORI	Khirkiya & Harda	88.080	2.611	85.469	85.469	64.469
185	-DO-	CHARUWA	Khirkiya & Harda	26.761	20.181	6.580	6.580	6.580
186	-DO-	HARIPURA MAL	Khirkiya & Harda	292.897	47.568	245.329	245.329	159.329
187	-DO-	Pipliya Bharat	Khirkiya & Harda	370.062	29.626	340.436	340.436	340.436
188	-DO-	MAHTYA KHEDI	Khirkiya & Harda	198.008	5.484	192.524	192.524	98.524
189	Out of Command	NISANIYA MAL	Harsud & Khandwa	1014.610	109.400	905.210	905.210	905.210
190	-DO-	RAMPURI RYT	Harsud & Khandwa	1042.220	165.390	876.830	876.830	876.830
191	-DO-	TORNIYA RYT	Harsud & Khandwa	895.400	96.740	798.660	798.660	798.660
192	-DO-	CHHIPURA	Harsud & Khandwa	424.510	58.690	365.820	365.820	365.820
193	-DO-	DOT KHEDA	Harsud & Khandwa	840.504	259.185	581.319	581.319	581.319

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT	
	Broad Concept Design and Layout Report	
	Revision 0	24 of 566

Contractor : M/S NEC-PEL (JV), Indore

194	- DO -	BARUD	Harsud & Khandwa	932.630	328.740	603.890	603.890
195	- DO -	KASRAWAD	Harsud & Khandwa	857.700	544.960	312.740	312.740
196	- DO -	BRAMOGAON	Harsud & Khandwa	611.770	75.940	535.830	366.550
197	- DO -	GONDI KHEDA	Harsud & Khandwa	637.150	589.590	47.560	47.560
198	- DO -	Khirkiya (np)	Khirkiya & Harda	986.077	136.546	849.531	774.531
199	- DO -	Choukadi	Khirkiya & Harda	1408.757	89.728	1319.029	824.029
200	- DO -	Ledhiya khedi	Khirkiya & Harda	357.845	20.902	336.943	136.943
201	- DO -	Golpura	Khirkiya & Harda	130.518	3.205	127.313	127.313
			TOTAL	101839.807	20016.198	81823.609	64110.643

For NEC-PEL JV

(Authorised signatory)

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report
	Revision: 0
	25 of 566

Table 2.0. PUMP HEAD AND POWER CALCULATIONS:

Power calculation for MORAND COMMAND (PH1 to Morand Command): SCHEME-1			
Item	Unit	Value	Remarks
Low water level	m	352	
Ground level (m)	m	372	
Pump Floor level (m)	m	373	
Highest level in command area (m)	m	362	
Static head	m	10	
Headlosses including minor losses	m	13.7	
Residual head at 20Ha chak	m	26.3	
Total Head (H)	m	50.03	
Discharge (Q)	m ³ /hr	23297	For Area of 18490 Ha CCA
Pump Efficiency (Eff)	%	88	Minimum as per Tender
Motor Efficiency (Eff)	%	95.5	Minimum as per Tender
Power calculations			
Formula			
$P (Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$			
$P (Kw) = (23297 * 50) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$			
Total power	Kw	3792.15	Calculated with comb eff of 84.04%
Total power	MW	3.792	

Power calculation for GANJAL COMMAND (PH2 to Delivery Chamber): RISING MAIN 1:			
Item	Unit	Value	Remarks
Low water level	m	355.4	
Ground level (m)	m	362	
Pump Floor level (m)	m	363	
Highest level in command area (m)	m	383	
Static head	m	27.6	
Headlosses including minor losses	m	3.4	
Residual head at 20Ha chak	m	0	
Total Head (H)	m	31.0	
Discharge (Q)	m ³ /hr	21051	For Area of 16707 Ha CCA
Pump Efficiency (Eff)	%	88	Minimum as per Tender
Motor Efficiency (Eff)	%	95.5	Minimum as per Tender
Power calculations			
Formula			
$P (Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$			
$P (Kw) = (21051 * 31) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$			
Total power	Kw	2114.67	Calculated with comb eff of 84.04%
Total power	MW	2.115	

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT		
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report		
	Revision 0		26 of 566

Power calculation for GANJAL COMMAND (PH2 to GANJAL Command): SCHEME -2:			
Item	Unit	Value	Remarks
Low water level	m	355.4	
Ground level (m)	m	362	
Pump Floor level (m)	m	363	
Highest level in command area (m)	m	363	
Static head	m	7.6	
Headlosses including minor losses	m	36.4	
Residual head at 20Ha chak	m	27 ✓	
Total Head (H)	m	71.0	
Discharge (Q)	m ³ /hr	5922	For Area of 4700 Ha CCA
Pump Efficiency (Eff)	%	88	Minimum as per Tender
Motor Efficiency (Eff)	%	95.5	Minimum as per Tender
Power calculations			
Formula			
$P. (Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$			
$P. (Kw) = (5922 * 71) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$			
Total power	Kw	1362.50	Calculated with comb eff of 84.04%
Total power	MW	1.363	

Power calculation for GANJAL COMMAND (PH3 to GANJAL Command): SCHEME-4:			
Item	Unit	Value	Remarks
Low water level	m	348	
Ground level (m)	m	350	
Pump Floor level (m)	m	351	
Highest level in command area (m)	m	(348) 324	
Static head	m	0	
Headlosses including minor losses	m	24.29 ✓	
Residual head at 20Ha chak	m	(27) 26.5 ✓	
Total Head (H)	m	27.0 ✓	
Discharge (Q)	m ³ /hr	11800	For Area of 9365 Ha CCA ✓
Pump Efficiency (Eff)	%	88	Minimum as per Tender
Motor Efficiency (Eff)	%	95.5	Minimum as per Tender
Power calculations			
Formula			
$P. (Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$			
$P. (Kw) = (11800 * 27) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$			
Total power	Kw	1032.41	
Total power	MW	1.032 ✓	

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT		
Contractor: M/S. NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report		
	Revision 0		27 of 566

Power calculation for GANJAL COMMAND (PH3 to GANJAL Command): SCHEME-5:			
Item	Unit	Value	Remarks
Low water level	m	348	
Ground level (m)	m	350	
Pump Floor level (m)	m	351	
Highest level in command area (m)	m	360	
Static head	m	12	
Headlosses including minor losses	m	16.5	
Residual head at 20Ha chak	m	27	
Total Head (H)	m	55.5	
Discharge (Q)	m ³ /hr	6056	For Area of 4806 Ha CCA
Pump Efficiency (Eff)	%	88	Minimum as per Tender
Motor Efficiency (Eff)	%	95.5	Minimum as per Tender
Power calculations			
Formula			
$P (Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$			
$P (Kw) = (6056 * 55.5) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$			
			Calculated with comb eff of 84.04%
Total power:	Kw	1089.08	
Total power:	MW	1.089	


Power calculation for ISP COMMAND (PH4 to ISP Command): SCHEME -6:			
Item	Unit	Value	Remarks
Low water level	m	247	
Ground level (m)	m	262	
Pump Floor level (m)	m	263	
Highest level in command area (m)	m	300	
Static head	m	53	
Headlosses including minor losses	m	11.2	
Residual head at 20Ha chak	m	26.8	
Total Head (H)	m	92.0	
Discharge (Q)	m ³ /hr	9986	For Area of 7925 Ha CCA
Pump Efficiency (Eff)	%	88	Minimum as per Tender
Motor Efficiency (Eff)	%	95.5	Minimum as per Tender
Power calculations			
Formula			
$P (Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$			
$P (Kw) = (9986 * 92) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$			
			Calculated with comb eff of 84.04%
Total power:	Kw	2976.93	
Total power:	MW	2.977	

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT		
Contractor: M/S. NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report		
	Revision 0		28 of 566

Power calculation for ISP COMMAND (PH4 to ISP Command): SCHEME-7:			
Item	Unit	Value	Remarks
Low water level	m	247	
Ground level (m)	m	262	
Pump Floor level (m)	m	263	
Highest level in command area (m)	m	297	
Static head	m	50	
Headlosses including minor losses	m	13	
Residual head at 20Ha chak	m	29	
Total Head (H)	m	92.0	
Discharge (Q)	m ³ /hr	6565	For Area of 5210 Ha CCA
Pump Efficiency (Eff)	%	88	Minimum as per Tender
Motor Efficiency (Eff)	%	95.5	Minimum as per Tender
Power calculations			
Formula			
$P (Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$			
$P (Kw) = (6565 * 92) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$			
			Calculated with comb eff of 84.04%
Total power	Kw	1957.07	
Total power	MW	1.957	

Power calculation for ISP COMMAND (PH4 to ISP Command): SCHEME-8:			
Item	Unit	Value	Remarks
Low water level	m	247	
Ground level (m)	m	262	
Pump Floor level (m)	m	263	
Highest level in command area (m)	m	300	
Static head	m	53	
Headlosses including minor losses	m	24	
Residual head at 20Ha chak	m	27	
Total Head (H)	m	104.0	
Discharge (Q)	m ³ /hr	13961	For Area of 11080 Ha CCA
Pump Efficiency (Eff)	%	88	Minimum as per Tender
Motor Efficiency (Eff)	%	95.5	Minimum as per Tender
Power calculations			
Formula			
$P (Kw) = (Q * H) / (367.2 * Eff)$			
$P (Kw) = (13961 * 104) / (367.2 * 0.88 * 0.955)$			
			Calculated with comb eff of 84.04%
Total power	Kw	4704.95	
Total power	MW	4.705	

Client: Narmada Valley Development Authority (NVDA)	MORAND & GANJAL DAMS PRESSURIZED PIPE IRRIGATION PROJECT		
Contractor: M/S NEC-PEL (JV), Indore	Broad Concept Design and Layout Report		
	Revision 0	2	29 of 566



LEGEND

NO.	PARTICULARS	SYMBOL
1	RESERVOIR	[Symbol]
2	GRAVITY MAIN	[Symbol]
3	1000 DIA. TRANSMISSION MAIN	[Symbol]
4	MAIN PIPE ROAD	[Symbol]
5	DISTRIBUTION CHAMBER (DC)	[Symbol]
6	PUMP HOUSE	[Symbol]
7	FOREST BOUNDARY	[Symbol]
8	INDIA BOUNDARY	[Symbol]
9	RAILWAY TRACK	[Symbol]
10	VALVE	[Symbol]
11	DC BOUNDARY	[Symbol]

GOVERNMENT OF MADHWA PAPER NO. _____
 PROJECT: _____
 TITLE: _____
 CONTRACTOR: _____
 DRAWN BY: _____
 CHECKED BY: _____
 DATE: _____
 SCALE: _____
 SHEET NO. _____ OF _____
 PROJECT LOCATION: _____
 PROJECT AREA: _____
 PROJECT PERIOD: _____
 PROJECT COST: _____
 PROJECT STATUS: _____
 PROJECT OFFICER: _____
 PROJECT ENGINEER: _____
 PROJECT ASSISTANT: _____
 PROJECT SUPERVISOR: _____
 PROJECT INCHARGE: _____
 PROJECT CLERK: _____
 PROJECT ACCOUNTANT: _____
 PROJECT STOREKEEPER: _____
 PROJECT LABORER: _____
 PROJECT WATCHMAN: _____
 PROJECT SECURITY: _____
 PROJECT MAINTENANCE: _____
 PROJECT REPAIR: _____
 PROJECT REPLACEMENT: _____
 PROJECT UPGRADE: _____
 PROJECT MODIFICATION: _____
 PROJECT DESTRUCTION: _____
 PROJECT ABANDONMENT: _____
 PROJECT CANCELLATION: _____
 PROJECT SUSPENSION: _____
 PROJECT RESUMPTION: _____
 PROJECT COMPLETION: _____
 PROJECT HANDOVER: _____
 PROJECT ACCEPTANCE: _____
 PROJECT CERTIFICATE: _____
 PROJECT RECORD: _____
 PROJECT ARCHIVE: _____
 PROJECT LEGACY: _____
 PROJECT HISTORY: _____
 PROJECT FUTURE: _____
 PROJECT LEGACY: _____
 PROJECT HISTORY: _____
 PROJECT FUTURE: _____

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

:: तकनीकी स्वीकृति आदेश ::

आदेश क्र./एफ-3/16/2018/10-11/53

भोपाल, दिनांक 3-10-23

कार्यालयीन आदेश क्र./एफ-3/16/2018/10-11/41, दिनांक 07.08.2023 "मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना" के केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की तकनीकी स्वीकृति से संबंधित है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1180 दिनांक 23.09.2023 से वर्तमान दर पर पुनरीक्षित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील गार्ड लाईन के अनुक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-3/2019/10-11/03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 05.05.2021 अनुसार प्राप्त संशोधित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार कार्यों पर प्रदान की जाती है :-

परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के कार्यों का विवरण		
क्रं.	प्रस्तावित कार्य	राशि (लाख में)
I	Treatment works under catchment area	
1	Treatment Works under Non Forest Area	
	(i) Biological Measures	216.57
	(ii) Engineering Measures	53.47
2	Treatment works under Forest Area	
	(i) Biological Measures	5196.02
	(ii) Engineering Measures	333.84
	Sub Total (i)=	5799.90
II	Work Cost	
1	Preparation of watershed project reports (0.2% of (i))	11.59
2	Entry point activity and constitution of watershed committee (0.2% of (i))	11.59
3	Support to farm production system and micro enterprises (2% of (i))	115.98
4	Natural Resource Management Activites (2% of (i))	115.98
	Sub Total (ii)=	255.14
	Sub Total (i+ii)=	6055.04

उक्त संशोधित तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगी :-

- परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्ताव पर दी जाती है। यदि प्लान में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं।
- प्रस्तुत प्राक्कलन में वनक्षेत्र से बाहर प्रस्तावित कार्यों को आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा एवं वनक्षेत्र में प्रस्तावित कार्य वनविभाग द्वारा किये जावेंगे।
- संबंधित वनमण्डलाधिकारी इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

05.10.18

की और सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

नमोदापुरम, मध्यप्रदेश।

5. परियोजना प्रशासक, मोरंड मंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, पी.आर्.ई.यू. सिवनी मालवा, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. वनसंरक्षणिकारी, सामान्य वन मण्डल, हरदा/होशंगाबाद/खण्डवा/उत्तर बैरौल/पश्चिम बैरौल/
3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वृत्त होशंगाबाद/वृत्त खण्डवा/वृत्त बैरौल, मध्यप्रदेश।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।

प्रतिलिपि:-

पु. क्र./एफ-3/16/2018/10-11/4409

भोपाल, दिनांक 3-10-18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

(प्र.प.स.मोहोदारी)

05.10.18

9. कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुसंधान डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करावे।
8. कोई भी सामग्री क्रय करते समय मजदूर क्रय नियम का पालन करे।
7. केबलस्ट एरिया ट्रीटमेंट खान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावे। किया जावे।
6. केबलस्ट एरिया ट्रीटमेंट खान अंतराल कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही कार्य आनिवार्य होगा।
- प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी
5. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शाए गए तकनीकी
4. इस कार्य की उपयुक्तता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।
- जावे।
- के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावे। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया



न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0028/अ-20(3)/2021-22

आदेश

(दिनांक 21/09/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद, जिला खरगोन द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी नवीन प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 20 कुल रकबा 228.81.34 में से 62.86 है। भूमि मॉरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में जांच उपखण्ड अधिकारी सुसनेर नलखेडा तथा तहसीलदार सुसनेर से करवाई गई। तहसीलदार सुसनेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08/09/2021 में उल्लेख किया कि मॉरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86 भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर भूमि पडती व अतिक्रमण मुक्त पाई गई व ग्राम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1049.46 हेक्टेयर है जिसके दो प्रतिशत रकबा निस्तार गोचर भूमि आरक्षण हेतु रकबा 20.98 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है तथा वर्तमान में चरनाई गोचर भूमि का रकबा 353.25 हेक्टेयर अभिलेख में अंकित है इसलिए यदि उक्त भूमि आवंटित की जाती है तो चरनाई का दो प्रतिशत रकबा प्रभावित नहीं होगा। पंचो व ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा भूमि आवंटित करने में मौखिक असहमती भी जताई है तथा उक्त भूमि आवंटन नहीं करने हेतु आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर गैर वन भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	सर्वे नम्बर	रकबा हे	आवंटित रकबा भूमि (हे.)	भूमि नोईयत
1	8	10.11	10.11	चरनाई
2	11	10.500	10.500	चरनाई
3	193	20.400	20.00	गैरमुम्किन
4	100	14.40	10.00	चरनाई
5	188	0.200	0.200	नाला
6	189	2.700	2.700	चरनाई
7	100	0.210	0.210	नाला
8	191	2.550	2.550	चरनाई
9	192	0.160	0.160	नाला
10	195	9.000	6.000	चरनाई
11	194	0.600	0.400	नाला
	कुल किता 11	कुल रकबा 70.860	62.860	

3/ अंतः ग्राम पटवारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए तहसीलदार सुसनेर ने ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल कित्ता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर गैर वन भूमि मॉरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा ने तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

4/ संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1653/नगानि/अभिमत/2021 उज्जैन, दिनांक 26.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर में स्थित सर्वे क्रमांक 08, 11, 193, 196, 188, 189, 190, 191, 192, 194 एवं 195 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर भूमि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित किसी निवेश क्षेत्र सीमा अंतर्गत नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्र में आती है। अतः उक्त भूमि को नियमानुसार मॉरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त गैर वन भूमि आवंटन किया जाता है। तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

5/ परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला आगर मालवा ने पत्र क्रमांक /इडा/2021/916 आगर मालवा दिनांक 28.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 193 रकबा 20.4 में से 20.00, सर्वे क्रमांक 196 रकबा 14.40 में से 10.00 हे. सर्वे क्रमांक 8 रकबा 10.11 हे. सर्वे क्रमांक 11 रकबा 10.5, सर्वे क्रमांक 188 रकबा 0.20, सर्वे क्रमांक 189 रकबा 2.70, सर्वे क्रमांक 190 रकबा 0.24, सर्वे क्रमांक 191 रकबा 2.55, सर्वे क्रमांक 192 रकबा 0.16, सर्वे क्रमांक 195 रकबा 9.00 में से 6.00, भूमि सर्वे क्रमांक 194 रकबा 0.60 में से 0.40, कुल कित्ता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर भूमि की मांग वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र की है। भूमि नगर पालिका क्षेत्र की नहीं होने से यदि भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

6/ जिला नजूल निर्वहन समिति की बैठक दिनांक 17.09.2021 को वंचुअल गुंगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की गयी जिसमें ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल कित्ता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86 हेक्टेयर भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7/ अतः जिला नजूल निर्वहन समिति की बैठक में उक्त भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा एवं तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम श्यामपुरा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 193 रकबा 20.4 में से 20.00, सर्वे क्रमांक 196 रकबा 14.40 में से 10.00 हे. सर्वे क्रमांक 8 रकबा 10.11 हे. सर्वे क्रमांक 11 रकबा 10.5, सर्वे क्रमांक 188 रकबा 0.20, सर्वे क्रमांक 189 रकबा 2.70, सर्वे क्रमांक 190 रकबा 0.24, सर्वे क्रमांक 191 रकबा 2.55, सर्वे क्रमांक 192 रकबा 0.16, सर्वे क्रमांक 195 रकबा 9.00 में से 6.00, भूमि सर्वे क्रमांक 194 रकबा 0.60 में से 0.40, कुल कित्ता 11 कुल रकबा 70.86 में से 62.86

हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) तथा मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 17 के प्रावधान के तहत बिना कर निर्धारण के निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी ।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा ।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा ।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यत्व हो जावेगा।

8/ तहसीलदार सुसनेर की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें ।

(अवधेश शर्मा)

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर-मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2021/ 359

आगर-मालवा, दिनांक 21 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि -

1. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल, जिला शाजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मुख्य अभियंता, इंदिरा आगर परियोजना (नहर), मलावत, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुसनेर - मलखड़ा ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला आगर-मालवा ।
5. तहसीलदार सुसनेर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराये तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें ।

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा म.प्र.
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर मिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0029/अ-20(3)/2021-22



(दिनांक 21/09/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद , जिला खरगोन द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ-6-75-2019-सात -शा.3 -भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी नवीन प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 09 कुल रकबा 148.34 में से 93.38 हे. भूमि मौरड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ पत्र में अंकित तथ्यों के सबंध में जांच उपखण्ड अधिकारी सुसनेर नलखेडा तथा तहसीलदार सुसनेर से करवाई गई। तहसीलदार सुसनेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08/09/2021 में उल्लेख किया कि मौरड गंजाल संयुक्त सिचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जांच मौजा पटवारी द्वारा करवाई गई। पटवारी ने मौका पचनामा में उल्लेख किया कि मौका देखा गया आवेदित सभी भूमि सर्वे नम्बर की भूमि मौके पर पडती एवं खुला हुड पायी गयी साथ ही सर्वे नं. 292/2 रकबा 77.16 हे. भूमि पर से पक्की सडक ग्राम गरडा से डोंगरगाव तहसील सुसनेर की ओर बनी है। अभिलेख अनुसार ग्राम का कुल भौगोलिक रकबा का दो प्रतिशत प्रस्तावित आवेदित भूमि उपरोक्त वर्तमान अभिलेख अनुसार ग्राम का दो प्रतिशत चरनोई का रकबा प्रभावित नहीं होता है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ठहराव क्रमांक 02 में ग्राम पंचायत द्वारा अनापति दर्शाई गई है। ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 93.38 हेक्टर वृक्षारोपण हेतु वन भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	सर्वे नम्बर	रकबा हे.	आवदित रकबा भूमि (हे.)	भूमि नोईयत
1	292/2	77.16	36.00	बडी चरनोई चारागाह
2	311	8.26	8.26	वन हेतु
3	304/1	18.87	18.87	कांका नो.मु.
4	304/3	13.88	13.28	चारागाह
5	305	0.18	0.18	नाला
6	308	0.40	0.40	नाला
7	309	0.97	0.97	नाला
8	310	0.42	0.42	नाला
9	219	28.80	15.00	बडी चरनोई पंचवन
	कुल किता 09	कुल रकबा 148.34	93.38	

3/ अतः ग्राम पटवारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए तहसीलदार सुसनेर ने ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 93.38 हेक्टेयर भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा ने तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

4/ संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1652/न्यायि/अभिमत/2021 उज्जैन, दिनांक 26.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम गरडा तहसील सुसनेर में स्थित सर्वे क्रमांक 292/2, 311, 304/1, 305, 309, 308, 310, 219 एवं 304/3 कुल रकबा में से 93.38 हे. भूमि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित किसी निवेश क्षेत्र सीमा अंतर्गत नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्र में आती है। अतः उक्त भूमि को नियमानुसार मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त वन भूमि आवंटन किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

5/ परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला आगर, मालवा ने पत्र क्रमांक /इडा/2021/9/14 आगर मालवा दिनांक 28/07/2021 में उल्लेख किया कि ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 292/2 रकबा 77.16 में से 36.00, सर्वे क्रमांक 304/1 रकबा 18.87, सर्वे क्रमांक 304/3 रकबा 13.88 में से 13.28, सर्वे क्रमांक 305 रकबा 0.18, सर्वे क्रमांक 308 रकबा 0.40, सर्वे क्रमांक 309 रकबा 0.97, सर्वे क्रमांक 310 रकबा 0.42, सर्वे क्रमांक 311 रकबा 8.26, सर्वे क्रमांक 219 रकबा 28.80 में से 15.00 कुल किता 9 कुल रकबा 148.94 में से 93.38 हेक्टेयर भूमि की मांग वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है, उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र की है। भूमि नगर पालिका क्षेत्र की नहीं होने से यदि भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

6/ जिला नजूल निवर्तन समिति की बैठक दिनांक 17-09-2021 को वचुअल गुगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की गयी जिसमें ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल 9 कुल रकबा 148.94 में से 93.38 हेक्टेयर भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7/ अतः जिला नजूल निवर्तन समिति की बैठक में उक्त भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा एवं तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम गरडा तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 292/2 रकबा 77.16 में से 36.00, सर्वे क्रमांक 304/1 रकबा 18.87, सर्वे क्रमांक 304/3 रकबा 13.88 में से 13.28, सर्वे क्रमांक 305 रकबा 0.18, सर्वे क्रमांक 308 रकबा 0.40, सर्वे क्रमांक 309 रकबा 0.97, सर्वे क्रमांक 310 रकबा 0.42, सर्वे क्रमांक 311 रकबा 8.26, सर्वे क्रमांक 219 रकबा 28.80 में से 15.00 कुल किता 9 कुल रकबा 148.94 में से 93.38 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश अधिराजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान

के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) तथा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 17 के प्रावधान के तहत बिना कर निर्धारण के निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मंद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

8/ तहसीलदार सुसनेर की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवाये।

(अवधेश शर्मा)

कलेक्टर

जिला आगरा-मालवा (म.प्र.)
जिला आगरा-मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2021/358

आगरा-मालवा, दिनांक 21 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि -

1. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल जिला आगरा की ओर सूचनाएं प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनाएं।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर - नलखेडा।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला आगरा-मालवा।
5. तहसीलदार सुसनेर की ओर भेजवाये गए हैं कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराये तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवाये।

कलेक्टर

कलेक्टर

जिला आगरा-मालवा म.प्र.
जिला आगरा-मालवा (म.प्र.)



न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0030/अ-20(3)/2021-22

आदेश

(दिनांक 24/09/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद, जिला खरगोन द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी नवीन प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 18 कुल रकबा 133.32 में से 33.98 हे. भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन-भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में जांच उपखण्ड अधिकारी सुसनेर नलखडा तथा तहसीलदार सुसनेर से करवाई गई। तहसीलदार सुसनेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08/09/2021 में उल्लेख किया कि मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन-भूमि के बदले में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जांच मौजा पटवारी द्वारा करवाई गई। पटवारी ने प्रतिवेदित किया कि प्रस्तावित सर्वे नम्बर की प्रस्तावित भूमि सोके पर पडत व रिक्त तथा नाला है। ग्राम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 451.56 हेक्टेयर है जिसके दो प्रतिशत रकबा निस्तार भूमि आरक्षण हेतु रकबा 9.03 हे. भूमि की आवश्यकता है तथा वर्तमान में चरनाई गोचर भूमि का रकबा 192.18 हेक्टेयर अभिलेख में अंकित है इसलिए यदि उक्त भूमि आवंटित की जाती है तो चरनाई का दो प्रतिशत रकबा प्रभावित नहीं होगा। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ठहराव क्रमांक 02 में ग्राम पंचायत द्वारा अनापति दर्शाई गयी है। ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 33.98 हेक्टेयर वृक्षारोपण हेतु वन-भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	सर्वे नम्बर	रकबा हे.	आवंटित रकबा भूमि (हे.)	भूमि नोडयत
1	461	9.55	9.55	बडी चरनाई
2	462	5.60	5.60	बडी चरनाई
3	463	3.06	3.06	बडी चरनाई
4	468	11.01	11.01	बडी चरनाई
5	464	0.04	0.04	बडी चरनाई
6	465	3.63	3.63	नाला
7	466	0.04	0.04	बडी चरनाई
8	467	1.05	1.05	नाला
	कुल किता 08	कुल रकबा 33.98	33.98	बडी चरनाई

3/ अतः ग्राम पटवारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए तहसीलदार सुसनेर ने ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 33.98 हेक्टेयर भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन-भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन

अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा ने तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

4/ संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1654/नग्रानि/अभिमत/2021 उज्जैन, दिनांक 26.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467 एवं 468 कुल रकबा 33.98 भूमि मं.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित किसी निवेश क्षेत्र सीमा अंतर्गत नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्र में आती है। अतः उक्त भूमि को नियमानुसार मोरङ गजाल संयुक्त सिचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त गोर वन भूमि आवंटन किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

5/ परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला आगर, मालवा ने पत्र क्रमांक /इडा/2021/9/14 आगर मालवा दिनांक 28.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 461 रकबा 9.55, सर्वे क्रमांक 462 रकबा 5.60, सर्वे क्रमांक 463 रकबा 3.06, सर्वे क्रमांक 464 रकबा 0.04, सर्वे क्रमांक 465 रकबा 3.63, सर्वे क्रमांक 466 रकबा 0.04, सर्वे क्रमांक 467 रकबा 1.05, सर्वे क्रमांक 468 रकबा 11.01 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 33.98 हेक्टेयर भूमि की मांग वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है, उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र की है, भूमि नगर पालिका क्षेत्र की नहीं होने से यदि भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

6/ जिला नजूल निवर्तन समिति की बैठक दिनांक 17.09.2021 को वचुअल गुगल मीट के माध्यम से आनलाइन आयोजित की गयी जिसमें ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल कित्ता 8 कुल रकबा 33.98 हेक्टेयर भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7/ अतः जिला नजूल निवर्तन समिति की बैठक में उक्त भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा एवं तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 461 रकबा 9.55, सर्वे क्रमांक 462 रकबा 5.60, सर्वे क्रमांक 463 रकबा 3.06, सर्वे क्रमांक 464 रकबा 0.04, सर्वे क्रमांक 465 रकबा 3.63, सर्वे क्रमांक 466 रकबा 0.04, सर्वे क्रमांक 467 रकबा 1.05, सर्वे क्रमांक 468 रकबा 11.01 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 33.98 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) तथा मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 17 के प्रावधान के तहत बिना कर निर्धारण के निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है।

(3)

प्रकरण क्रमांक 0030/अ-20(3)/2021-22



1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी ।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आर्बाटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा ।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा ।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

8/ तहसीलदार सुसनेर की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवाये।

(अवधेश शर्मा)

कलेक्टर
खिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2021/36

आगर मालवा, दिनांक 21 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि -

1. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल जिला राजापुर की ओर सूचनाएं प्रेषित ।
2. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनाएं।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर, नलखंडा ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा ।
5. तहसीलदार सुसनेर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराये तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवाये।

कलेक्टर
कलेक्टर
खिला आगर-मालवा (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0031/अ-20(3)/2021-22



(दिनांक 21/09/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद, जिला खरगोन द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी नवीन प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल कित्ता 20 कुल रकबा 147.55 में से 85.06 हे. भूमि मोरड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

21 पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में जांच उपखण्ड अधिकारी सुसनेर नलखेडा तथा तहसीलदार सुसनेर से करवाई गई। तहसीलदार सुसनेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08/09/2021 में उल्लेख किया कि मोरड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल कित्ता 12 कुल रकबा 112.42 में से 85.06 हेक्टर भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें लोके पर भूमि पडती व अतिक्रमण मुक्त पाई गई व ग्राम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अनुसार चरनाई का दो प्रतिशत रकबा भूमि आवंटन में प्रभावित नहीं होता है। पंचो व ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा भूमि को आवंटित करने में मौखिक असहमती भी जताई है। ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर में वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	सर्व नम्बर	रकबा हे.	आवंटित रकबा भूमि (हे.)	भूमि जोड़यत
1	16	5.65	3.00	गैर मुमकिन बडी
2	35	2.51	2.51	बिड
3	151	1.09	1.09	चरनाई
4	158	13.47	12.00	बिड
5	160	6.74	6.00	गैर मुमकिन बडी
6	190	10.98	10.00	गैर मुमकिन बडी
7	192	10.22	10.00	गैर मुमकिन बडी
8	199	7.31	7.00	गैर मुमकिन बडी
9	213	1.05	1.05	बिड
10	215	10.39	9.00	बिड
11	193	5.80	5.20	चरनाई
12	34	37.21	18.21	बिड
	कुल कित्ता 12	कुल रकबा 112.42	85.06	

3/ अतः ग्राम पटवारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए तहसीलदार सुसनेर ने ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 112.42 में से 85.06 हेक्टेयर भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा ने तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

4/ संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1655/नगानि/अभिमत/2021 उज्जैन, दिनांक 26/07/2021 में उल्लेख किया कि ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्व क्रमांक 16, 35, 34, 151, 158, 160, 190, 192, 193, 199, 213 एवं 215 कुल रकबा 85.06 है। भूमि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित किसी निवेश क्षेत्र सीमा अंतर्गत नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्र में आती है। अतः उक्त भूमि को नियमानुसार मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त गैर वन भूमि आवंटन किया जाता है। तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

5/ परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला आगर मालवा ने पत्र क्रमांक 173/2021/9/14 आगर मालवा दिनांक 28/07/2021 में उल्लेख किया कि ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्व क्रमांक 16 रकबा 5.65 में से 3.00 है, सर्व क्रमांक 35 रकबा 2.51, सर्व क्रमांक 34 रकबा 37.21 रकबा 18.21, सर्व क्रमांक 151 रकबा 1.09, सर्व क्रमांक 158 रकबा 13.47 में से 12.00 है, सर्व क्रमांक 160 रकबा 6.740 में से 6.00 है, सर्व क्रमांक 190 रकबा 10.98 में से 10.00 है, सर्व क्रमांक 192 रकबा 10.22 में से 10.00 है, सर्व क्रमांक 199 रकबा 7.31 में से 7.00, सर्व क्रमांक 213 रकबा 1.05, सर्व क्रमांक 215 रकबा 10.39 में से 9.00, सर्व क्रमांक 193 रकबा 5.80 में से 5.20 है। कुल किता 12 कुल रकबा 112.42 में से 85.06 हेक्टेयर भूमि की मांग वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र की है। भूमि नगर पालिका क्षेत्र की नहीं है। यदि भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

6/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 17/09/2021 को वसुअल गुगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की गयी जिसमें ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 112.42 में से 85.06 हेक्टेयर भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7/ अतः जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक में उक्त भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा एवं तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्व क्रमांक 16 रकबा 5.65 में से 3.00 है, सर्व क्रमांक 35 रकबा 2.51, सर्व क्रमांक 34 रकबा 37.21 रकबा 18.21, सर्व क्रमांक 151 रकबा 1.09, सर्व क्रमांक 158 रकबा 13.47 में से 12.00 है, सर्व क्रमांक 160 रकबा 6.740 में से 6.00 है, सर्व क्रमांक 190 रकबा 10.98 में से 10.00 है, सर्व क्रमांक 192 रकबा 10.22 में से 10.00 है, सर्व क्रमांक

(3)

प्रकरण क्रमांक 0031/अ-20(3)/2021-22



199 रकबा 7.31 में से 7.00 , सर्वे क्रमांक 213 रकबा 1.05 , सर्वे क्रमांक 215 रकबा 10.39 में से 9.00 , सर्वे क्रमांक 193 रकबा 5.80 में से 5.20 हे. कुल किता 12 कुल रकबा 112.42 में से 85.06 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) तथा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 17 के प्रावधान के तहत बिना कर निर्धारण के निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत् शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यत्व हो जावेगा।

8/ तहसीलदार सुसनेर की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवाये।

(अवधेश शर्मा)

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर-मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2021/360

आगर मालवा दिनांक 02/सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल जिला शाजापुर की ओर सूचनाथ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनाथ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर - तलखेडा।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर-मालवा।
5. तहसीलदार सुसनेर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराये तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवाये।

कलेक्टर

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा म.प्र.
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर मू-अभिलेख जबलपुर

क्रमांक / 150/न.स.स. / 2019
 प्रति,

जबलपुर दिनांक 18/02/2019

**उपाध्यक्ष,
 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
 59 नमोदा मवन, अरेरा, हिल्स, जेजुरी रोड
 सोपाल, मध्यप्रदेश।**

विषय- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास निवास, नर्मदा घाटी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा 2018-19 के लिए निवासों का निर्माण करवाया जा रहा है।

सूचना- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नर्मदा घाटी विकास निवास (नर्मदा घाटी विकास निवास) का निर्माण करवाया जा रहा है।
 दिनांक 28/07/2018

-10-

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नर्मदा घाटी विकास निवास (नर्मदा घाटी विकास निवास) का निर्माण करवाया जा रहा है।
 दिनांक 28/07/2018 का निर्माण करवाया जा रहा है।
 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नर्मदा घाटी विकास निवास (नर्मदा घाटी विकास निवास) का निर्माण करवाया जा रहा है।
 दिनांक 28/07/2018 का निर्माण करवाया जा रहा है।

अनुविभागीय अधिकारी गुरुग्राम एवं मिर्जापुर द्वारा गिल्ल 170 अंचल में अतिवृद्धि बंदीकरण हेतु
 दिनांक 28/07/2018 का निर्माण करवाया जा रहा है।
 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नर्मदा घाटी विकास निवास (नर्मदा घाटी विकास निवास) का निर्माण करवाया जा रहा है।
 दिनांक 28/07/2018 का निर्माण करवाया जा रहा है।

क्रमांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरी क्षेत्र	कुल रकमा (हेक्टर में)	कुल में से रकमा (हेक्टर में)
1	मन्दाजी	बसुवा	136	121.15	14
2	मन्दाजी	खजुरी	188	23.07	20
3	कुपड़म	कामलापुरी	180	71.65	50
	योग	3	3	215.91	70

**कलेक्टर
 जिला-जबलपुर**

कार्यालय कलेक्टर(भू-अभिलेख) जिला बैतूल (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांक:- /एल.आर.2/भू.अभि./2018/ 1707

बैतूल, दिनांक 25/9/2018

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-23 नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल के पत्र क्रमांक:- 2679/तक./मो.- गं./का.यं.-23/2018-19, दिनांक 19-9-2018 द्वारा, नर्मदा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना से प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण के लिए वन विभाग द्वारा तैयार की योजना के अनुसार जिले की निम्नानुसार 662 हेक्टेयर भूमि आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है:-

अ. क्र.	तहसील	ग्राम	ख. नं.	कुल रकबा (हेक्टे. में)	मद	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे. में)	रिमांक (खसरा वर्ष 2017-18 में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार स्थिति)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
1	चिचोली	अटारी	93/1	21.901	वन	25,000				
		अटारी	115/1	24.947	वन					
		अटारी	128/1	31.169	वन					
		अटारी	131/1	38.171	वन					
		अटारी	75/1	25.479	वन					
		अटारी	63	1.635	वन					
		जोगलीखास	463	27.087	वन					
2	भैसदेही	सिंगारचावडी	1/1/1	26.601	वन	25,000				
		सिंगारचावडी	41/1	1.757	चरनीई					
		झापल	31/1	26.535	वन					
		ठेंगना	32/1	42.778	बड़े झाड़ का जंगल					
		काबरा	157/1	35.814	बड़े झाड़ का जंगल					
		आंकी रयत	37/1	5.362	घास					
			38	12.995	पहाड़					
			42/1	2.015	चरनीई					

अपर कलेक्टर
बैतूल

			44	3.536	बड़े झाड़ के जंगल		
		मोहदा	142/1	16.494	पहाड़	14.000	
		जडिया	159	3.153	घास	30.000	चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घास मद् में दर्ज है।
			160	28.280	चट्टान		चालू खसरा में आबादी गाँवठान के साथ चट्टान दर्ज है।
			161	2.427	घास		चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घास मद् में दर्ज है।
		जडिया	152/1	113.029	चट्टान	30.000	चालू खसरा में उक्त सर्वे नंबर, बड़े झाड़ का जंगल और चट्टान दर्ज है।
			152/2	0.901	घास		चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घास मद् में दर्ज है।
			152/4	4.16	घास		चालू खसरा में उक्त सर्वे नं. घास मद् में दर्ज है।
3	आमला	हसलपुर	82/1	12.343	पहाड़	10.000	रक्षा विभाग की व्यवस्था में है।
4	बैतूल	सेहरा	412/1	12.890	बड़े झाड़ का जंगल	10.000	
		सेहरा	465	15.361	बड़े झाड़ का जंगल	10.000	
		दीवनचारसी	45	11.918	बड़े झाड़ का जंगल	10.000	
		नायकचारसी	222	19.867	वन	10.000	चालू खसरा की क्वालिटी के अनुसार उक्त सर्वे नंबर चराई के लिए मुकरर है।
		कोलगाव	321/1	16.778	चरनोई	10.000	
5	आमला	लालावाड़ी	491/1	10.218	चरनोई	4.000	
		लालावाड़ी	598	70.144	चरनोई	30.000	
		लालावाड़ी	666	29.985	चरनोई	12.000	
		लालावाड़ी	668	18.487	चरनोई	10.000	
		तिरमह	830	10.878	वन	7.000	
6	घोडाडोगरी	गोपालपुर	1	387.442	बड़े झाड़ का जंगल	70.000	चालू रिकार्ड के अनुसार इस सर्वे नंबर में से 134.004 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की जा चुकी है।
		गांधीग्राम	11	130.85	बड़े झाड़ का जंगल	25.000	वर्तमान खसरा के अनुसार खसरा नंबर 11/1 एक बा. 60.850 हेक्टेयर भूमि ही रिक्त है, शेष भूमि वन विभाग को पूर्व में ही हस्तांतरित की जा चुकी है।
		सूकाढाना	5/1	27.009	वन	20.000	
		शोभापुर	2/2	94.611	बड़े झाड़ का जंगल	25.000	ख. नं. 2/2 में से 1.900 हेक्टे. पर काबिज व्यक्तियों की वनाधिकार पत्र प्रदाय किये गये हैं।

		2/1	29.003	बड़े झाड़ का जंगल	20.00	
	सूकाढाना	1	12.384	वन	10.00	
	पाढरा	414	12.145	वन	10.00	
	बोडना	54/1	59.229	वन	20.00	
	मोरडोंगरी	320/1	61.964	वन	25.00	
	चापड़रैयत	17	89.140	छोटे झाड़ का जंगल	35.00	वर्तमान खसरा के अनुसार खसरा नंबर 17/1 रकबा 54.140 हेक्टेयर भूमि ही रिक्त है।
			कुल योग		662.00	

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-23 नर्मदा भवन अरैरा हिल्स भोपाल के दिनांक 19-9-2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा मार्च-2017 में की गई थी, परन्तु परियोजना हेतु क्षतिपूर्क वनीकरण के लिए भू-आवृत्त उपलब्ध न होने के कारण भूमि व्यपवर्तन (प्रथम चरण) का प्रकरण मंत्रालय को नहीं भेजा जा सका है, जिसके आभाव में मंत्रालय द्वारा औपचारिक पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है। विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा की वैधता सितम्बर-2018 में समाप्त हो रही है एवं दिनांक 27-9-2018 को मंत्रालय में इस संबंध में बैठक का आयोजन भी किया गया है। उपरोक्तानुसार परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बैतूल जिले में प्रस्तावित 662 हेक्टेयर भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल को आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार भूमि हस्तांतरण/आरक्षण के संबंध में संबंधित राजस्व अधिकारियों यथा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदक विभाग द्वारा प्रतिवेदन की गई तत्कालिकता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रस्तावित सर्वे नंबर की खसरा प्रति (या लू वर) एवं अधिकार अभिलेख से मिलान करवाया गया। राजस्व अभिलेखों के मिलान उपरान्त सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में परिलक्षित हुई वस्तुस्थिति का विवरण उपरोक्त सारणी के कालम नंबर 8 में दर्शाया गया है। आरक्षण हेतु प्रस्तावित छोटे बड़े झाड़ का जंगल मद के खसरा नंबर भी सम्मिलित होने के कारण उक्त सूची की प्रति सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बैतूल को भेजकर यह जानकारी प्राप्त की गई कि उक्त छोटे बड़े झाड़ के खसरा नंबरों में वनाधिकार प्रमाण पत्र तो जारी नहीं किए गए हैं। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बैतूल द्वारा उक्त सूची में ही जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बैतूल एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख बैतूल द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन व वस्तुस्थिति का विवरण उपरोक्त सारणी के कालम नंबर 8 में दर्शाया गया है। उपरोक्त सारणी में अंकित विवरण के अनुसार चरनोई (घास) के सर्वे नंबर भी वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। संबंधित ग्राम में चरनोई के सूनतम रक्षित रकबा की जानकारी के बिना चरनोई की भूमि आरक्षित किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अन्य कुछ सर्वे नंबर भूमि स्वामी मद में दर्ज होने के कारण उन सर्वे नंबरों को भी आवेदित प्रयोजन हेतु आरक्षित किया जाना उचित नहीं है। चरनोई भूमि के एकज में छोटे बड़े झाड़ का जंगल एवं पहाड़ चट्टान मद की भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की जा सकती है। अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तथ्यो एवं आवेदक विभाग द्वारा बतलाई गई तत्कालिकता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु प्रारंभिक रूप से प्रशासकीय आधार पर आरक्षित की जाती है:-

अ. क्र.	तहसील	ग्राम	ख. नं.	कुल रकबा (हेक्टे. में)	मद	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चिचोली	अटारी	93/1	21.901	वन	25.000
		अटारी	115/1	12.947	वन	
		अटारी	128/1	31.169	वन	
		अटारी	131/1	38.171	वन	
		अटारी	75/1	25.479	वन	
		अटारी	63	1.635	वन	
2	भेसदेही	जोगलीखास	463	27.087	वन	25.000
		ठेंगना	1/1/1	26.601	वन	25.000
					बड़े झाड़ का जंगल	30.000

अपर कलेक्टर
बैतूल

		आंकी रैयत	38	12.995	पहाड़	12.995
			44	3.536	बड़े झाड़ के जंगल	3.536
		मोहदा	142/1	16.494	पहाड़	14.000
		जडिया	152/1	113.029	चटान	90.000
3	बैतूल	सेहरा	412/1	12.890	बड़े झाड़ का जंगल	10.000
		सेहरा	465	15.361	बड़े झाड़ का जंगल	12.000
		दीवनचारसी	45	11.918	बड़े झाड़ का जंगल	10.000
4	आमला	तिरमह	830	10.878	वन	10.000
5	घोडाडोंगरी	गोपालपुर	1	387.442	बड़े झाड़ का जंगल	120.000
		गांधीग्राम	11	130.85	बड़े झाड़ का जंगल	59.469
		सकाढाना	5/1	27.009	वन	20.00
		शोभापुर	2/2	94.611	बड़े झाड़ का जंगल	25.00
			2/1	29.003	बड़े झाड़ का जंगल	20.00
		सकाढाना	1	12.384	वन	10.00
		पोढरा	4/4	12.145	वन	10.00
		बोडना	54/1	59.229	वन	20.00
		मोरडोंगरी	320/1	61.964	वन	25.00
		चापड़रियत	17	89.140	छोटे झाड़ का जंगल	35.00
				कुल योग		662.00

उक्त आरक्षित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (सा.) से प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत, यथास्थिति उदभूत होने वाली स्थिति के अनुसार भूमि हस्तांतरण का आदेश पत्रक से पारित किया जाएगा।

(मूल पर वसूली)
अपर कलेक्टर
अपर कलेक्टर
बैतूल
दिनांक: 25/9/2018

पत्रकमांक: एल.आर.2/भू.अभि./2018/ 1768
प्रतिलिपि:

1. उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव म.प. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 59 अरेरा हिल्स जेल रोड नर्मदा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की सूचनार्थ।
3. वनमंडल अधिकारी उत्तर-दक्षिण एवं पश्चिम (सा) वनमंडल बैतूल जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल, भेसदेही, मुलताई, शाहपुर की ओर सूचनार्थ।
5. तहसीलदार बिचोली, आमला, भेसदेही, घोडाडोंगरी, बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आरक्षित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के लिए नियमानुसार प्रोजेक्ट प्रकरण तैयार करके 15 दिवस के भीतर सुस्पष्ट प्रतिवेदन सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर कलेक्टर
अपर कलेक्टर
बैतूल
दिनांक: 25/9/2018

न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क्र. 25 अ./19(3) वर्ष 17-18
 ग्राम डोंगर, सलैया, जेतपुर कछया, शिरिया, छिरारी,
 मुहारा, बाहोरी, विलकी, चपक विलकी, खजौला,
 शरिया, पट्टना खुद, चिरई, रंगाडौली
 तहसील कसली, रहली, देवरी जिला सागर (म.प्र.)

उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव
 म.प्र.नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
 भोपाल (MOPRO)

न.प्र.शासन

विरुद्ध

आवेदक

अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 18/09/2018)

उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल का अति सापत्र क्रमांक
 नं 231/ मोरपड-गजाल/14 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 के द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के
 अंतर्गत नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर सिंचाई परियोजना प्रस्तावित होने से उक्त योजना में
 2371 हे. वन भूमि प्रभावित होने से वन भूमि के व्यपवतन हेतु गैर वन भूमि की आवश्यकता होने का
 उल्लेख किया गया है।

सागर जिले के अंतर्गत महान कोल परियोजना हेतु आवंटित 967650 हे. गैर वन भूमि
 परियोजना के निरस्त होने के कारण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पक्ष में म.प्र.शासन द्वारा 50345
 हे. भूमि प्राधिकरण को आवंटित की गई है। प्राधिकरण की इस परियोजना हेतु शेष वैकल्पिक गैर वन
 भूमि की उपलब्धता हेतु सागर जिले में काफी बड़ी मात्रा में गैर वन भूमि/ जेट-वड झाड़ की जंगल
 भूमि उपलब्ध होने से सागर जिले की तहसील रहली, गढाकोटा एवं देवरी में उपलब्ध भूमि को
 जानकारी देते हुए 2000 हे. भूमि प्राथमिकता से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। जिसके
 संबंध में अधीक्षक म-अभिलेख से जानकारी लेनी गई है। अधीक्षक म-अभिलेख सागर द्वारा अपर पत्र
 क्रमांक 76/अ.म.अ./म.प्र./2018 दिनांक 12.04.18 अनुसार 1097.75 हे. भूमि उपयुक्त पाया जाना
 लख किया गया। जिसके संबंध में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं वन विभाग तथा
 राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त स्थल जांच की गई।

अधीक्षक म-अभिलेख सागर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं वन विभाग
 तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के संयुक्त जांच उपसर्त पत्र क्रमांक 158/अ.म.अ./म.प्र./2018
 सागर दिनांक 28.08.18 के साथ सलैन नदी अनुसार तहसील कसली रहली एवं देवरी की कुल भूमि
 1021.99 हे. एवं तहसीलदार देवरी के पत्र क्रमांक 1275/शे=1/2018 देवरी दिनांक 24.08.18
 अनुसार ग्राम जेतपुर कछया की भूमि ख.नं. 571/1 के से 50.00 हे. अतः कुल 1071.99 हे. भूमि
 आरोपण हेतु उपयुक्त पायी है।

तहसील देवरी की भूमि (सूची क्रमांक-19)

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	संयुक्त स्थल द्वारा किये गये सर्वे न की जानकारी	तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रकवा हे. में	भूमि की नोंडयत	वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित रकवा हे. में	अतिक्रमण मुक्त रकवा हे. में
01	02	03	04	05	06	07	08
01	देवरी	डोंगर सलैया	181	114	100.00	चरनोई	100.00
		जेटपुर कछया	571/1	120-29	50.00		50.00
		शिरिया	103/1	19.02	4.00	चरनोई	4.00
			23	23.92	11.92	चरनोई	11.92
			100	29.34	9.32	चरनोई	9.32
			13	95.11	45.11	चरनोई	45.11
कुल योग			401.68	220.35		220.35	215.97

1-9 SEP 2018
 MCE (A/P)
 MCE (Engg)
 CE (C/S)
 Engr. S. K. S. S. S.

D.M. (Banda)

सदस्य (पर्या. एवं वन)
 न.घा.वि.प्रा., भोपाल

A/P
 कलेक्टर
 सागर

1/2/1

प्रकरण क. 25 अ/19(3) वर्ष 17-18

तहसील रहली की भूमि - (सूची क्रमांक-2)

क्र	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	संयुक्त दल द्वारा किये गये सर्वेजनी की जानकारी		तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रकवा हे. में	भूमि की नोडियत	वन मण्डलाधिकारी द्वारा	
			प्रस्तावित रकवा हे. में	अतिक्रमण मुक्त रकवा हे. में				
01	02	03	04		05	06	07	08
02	रहली	छिचारी	1122	214.00	141.00	चरनाई	141.00	141.00
			275	22.44	12.44	चरनाई	12.44	12.44
			372	29.81	27.81	चरनाई	27.81	27.81
			332	12.20	3.20	चरनाई	3.20	3.20
			446/1	18.91	6.91	चरनाई	6.91	6.91
			1156/1	18.44	10.44	चरनाई	10.44	10.44
			1109	22.20	0	चरनाई	0	20.20
			1217	24.53	20.53	चरनाई	20.53	20.53
			1107	11.33	0.02	चरनाई	0.02	11.33
1200	5.18	3.18	चरनाई	3.18	3.18			
कुल योग-			374.04	225.63		225.63	257.04	

तहसील केसली की भूमि - (सूची क्रमांक-3)

क्र	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	संयुक्त दल द्वारा किये गये सर्वेजनी की जानकारी		तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रकवा हे. में	भूमि की नोडियत	वन मण्डलाधिकारी द्वारा		
			प्रस्तावित रकवा हे. में	अतिक्रमण मुक्त रकवा हे. में					
01	02	03	04		05	06	07	08	
03	केसली	भुहारा	120	6.32	5.32	चरनाई	5.32	5.32	
			21	82.83	78.03	चरनाई	78.03	78.83	
			232	15.90	5.90	चरनाई	5.90	5.90	
		बहारी	245	20.00	18.00	चरनाई	18.00	18.00	
			287	38.22	32.22	चरनाई	32.22	32.22	
			288	0.11	0.11	चरनाई	0.11	0.11	
		विलेकी	292	11.70	9.70	चरनाई	9.70	9.70	
			295	17.21	13.21	चरनाई	13.21	13.21	
			3	21.64	21.64	चरनाई	21.64	21.64	
		चक	21	25.46	17.46	चरनाई	17.46	17.46	
			22	6.50	6.50	चरनाई	6.50	6.50	
			24	10.93	8.93	चरनाई	8.93	8.93	
		विलेकी	62	31.86	19.86	चरनाई	19.86	19.06	
			69	17.01	16.01	चरनाई	16.01	16.01	
			108	0.18	0.18	चरनाई	0.18	0.18	
		खोला	109	13.26	11.26	चरनाई	11.26	11.26	
			317/1	48.10	43.10	चरनाई	43.10	43.10	
			71	32.09	18.09	चरनाई	18.09	18.09	
		धिरिया	24	35.68	27.68	चरनाई	27.68	27.68	
			84/1	18.32	14.32	चरनाई	14.32	14.32	
			402/1	36.06	30.06	चरनाई	30.06	30.06	
		पटना	444	18.41	15.41	चरनाई	15.41	15.41	
			447	19.03	11.03	चरनाई	11.03	11.03	
			1673	41.56	41.56	शासन भूमि	41.56	41.56	
		खुर्द	336	45.54	14.54	शासन भूमि	14.54	14.54	
			103	105.66	100.66	शासन भूमि	105.66	100.66	
			234/1	98.46	20.00	चरनाई	20.00	20.00	
		योग	9	811.04	601.68		635.60	601.58	
		कुल योग-			1586.76	1047.46		1081.48	1071.99

P.10

1/3/11

प्रकरण क्र. 25 अ/19(3) वर्ष 17-18

अतः आदेश की सूची क्रमांक-01, 02 एवं 03 के कालम नंबर 08 में दर्शाई गई ग्राम डोंगर सलैया, जैतपुर कठैया, झिरियां, छिरारी, मुहारां, बन्हारी, विलैकी, चक्क विलैकी, खटौला, झिरियां, पटना खुर्द, चिरई, रेगाझोली तहसील केसली, रहली, देवरी जिला सागर की भूमि का मं.प्र.भू.सं.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2011) की धारा 237(3) के तहत मद्द प्रसिक्वत करते हुए रकबा 1074.99 हे. होरागावाड़ जिले की मौरड-गजाल संयुक्त परियोजना से प्रभावित वन भूमि के मद्दले क्षति पूर्ति यन्त्रिकरण के लिए सागर जिले में वृक्षारोपण हेतु कुल रकबा 1074.99 हे. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल को आरक्षित की जाती है।

उक्त भूमि के आरक्षित होने से ग्राम का आम जित्तार का रकबा अप्रभावित रहेगा। आरक्षित भूमि का नियत प्रयोजन से उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकती।

(अलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर

जिला-सागर
सागर दिनांक 12/03/2018

पु0क्र0/10459/री0कल0/2018
प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव म.प्र.नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 59, अररा हिल्स जेल रोड नर्मदा भवन, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागरको सूचनाएं।
3. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर (सा) वन मंडल सागर जिला सागर (म.प्र.) की ओर सूचनाएं।
4. उप वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर/देवरी को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी केसली/देवरी/रहली जिला सागर की ओर सूचनाएं।
6. तहसीलदार केसली/रहली/देवरी जिला सागर को आदेशानुसार अभिलेख दुरुस्ती एवं आरक्षित भूमि का अधिपत्य संबंधित विनामा को दिलाये जाने उपरान्त संशोधित अभिलेख खसरा नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं अधिपत्य दिये जाने का पंचनामा प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को भेजे।
7. वन परिक्षेत्र अधिकारी डाना/केसली/देवरी/गोरशामर को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला-सागर

कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) - 482 001

आदेश

क्रमांक/व्यय0/ 67

जबलपुर दिनांक 9/10/2023

जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खंडवा के अंतर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे0 वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 एफ-3/16/2018/10-11/4302 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा 17,00,000 पौधों को रोपित करने की 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तयार करने के निर्देश के फलस्वरूप वनमण्डलाधिकारी, सा0 वनमण्डल, जबलपुर के पत्र क्र0/मा0चि0/1345 दिनांक 03.10.2023 से प्राप्त पुनरीक्षित 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्राकलन का परीक्षण उपरांत एवं व0 म0 अ0 जबलपुर द्वारा की गयी अनुशांसा उपरांत म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र0/1194/191/2022/नियम/4/दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से म0प्र0 बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 के भाग-2 के अंतर्गत अनुक्रमांक 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

योजना का नाम	परिक्षेत्र	बीट	कक्ष क्र0	रकबा (हे0 में)	अवधि	अनुमानित राशि (रूपये में)
मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण	कुण्डम	ददरगवां	RF 340	40.00	2025-2026 से 2035-36 तक	2,18,56,417.00
		ददरगवां	RF 340	30.00		1,62,16,700.00
		बारतौरी	O-587, RF-296	40.00		2,19,23,761.00
		डबरा	RF-311	25.00		1,44,50,336.00
		बघराजी	O-593	35.00		2,03,39,046.00
		योग		170.00		9,47,86,260.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (1) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये हैं। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएँ। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावे।
- (2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- (3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।
- (4) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यों के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी जारी करायेगे।
- (5) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेगे। उक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

(कमल अरोरा, भा0व0से0)

वन संरक्षक

मध्यवृत्त जबलपुर

Email 12.22 PM

09-10-23

R. H. H. H.

पृ०क्रमांक / मा०चि०
प्रतिलिपि :-

6713

जबलपुर, दिनांक 9 / 10 / 2023

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) म० प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म० प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र० / मा०चि० / 1345 दिनांक 03.10.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

वन संरक्षक,
मध्यवृत्त जबलपुर
9/10/23



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वर्ष	:- 2025-26 से 2035-36
परिक्षेत्र का नाम	:- कुंडम
समिति का नाम	:- ददरगवां
बीट का नाम	:- ददरगवां
कक्ष क्रमांक	:- RF 340
फेलिंग सीरीज	:- वृक्षारोपण
कूप क्रमांक	:- —
क्षेत्रफल (हेक्टर)	:- 40
कुल राशि (रु.)	:- 21856417.00

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण


अधारभूत जानकारी :-


1	योजना	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	कार्यस्थल का नाम	---	ददरगवां
3	कक्ष कं.	---	RF 340
4	कक्ष का कुल रकवा	---	290.60
5	वनखण्ड का नाम	---	51 दशरथपुर
6	पातन श्रेणी	---	तिलसानी
7	प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल	---	40
8	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	---	2025-26
9	कार्य की अवधि	---	2025-26 to 2035-36
10	परिसर	---	ददरगवां
11	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	कुण्डम
12	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
13	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
14	समिति का प्रकार एवं नाम	---	वन सुरक्षा समिति ददरगवां
15	स्थल चयनकर्ता अधिकारी	---	(1.) श्री एम.एल. बरकडे, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य)
16		---	(2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य)
17	कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम	---	श्री राजूलाल बर्मन वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक इमलई
18	समिति का गठन दिनांक	---	श्री विवेक पटेल वनरक्षक, बीटगार्ड ददरगवां
		---	24.06.1996


प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- 1 समस्त कार्य वन समिति ददरगवां के माध्यम से कराये जायेंगे।
- 2 अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति ददरगवां के द्वारा किया जावेगा।
- 3 वनसुरक्षा समिति ददरगवां गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- 4 सी.बी.ओ. कार्य 15 से0मी0 से अधिक एवं 90 से0मी0 गोलाई की आढी-टेढी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित टूठों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिक्री आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- 5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- 6 कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।


परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-इमलई


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)


उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

**भाग एक
सामान्य विवरण**

01 परियोजना का विवरण

अ	योजना का नाम	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
ब	सरकार का अनुमोदन	---	---
स	प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	जिला	---	जबलपुर
3	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
4	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
5	ग्राम	---	ददरगावां
6	तहसील	---	कुंडम
7	विधान सभा क्षेत्र	---	सिहोरा
8	ग्राम पंचायत	---	डोली
9	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	इमलई
10	परिसर	---	ददरगावां
(2)	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :-		
1	वन सुरक्षा समिति	---	ददरगावां
2	कक्ष क्रं.	---	आर.एफ. 340
3	रकबा	---	40 हेक्ट.
4	कार्यवृत्त	---	---
5	उपचार श्रेणी	---	---
6	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	---	30 कि.मी.
7	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	---	---
8	गठित समिति का प्रकार	---	वनसुरक्षा समिति
9	समिति का मुख्यालय	---	ददरगावां
10	समिति में सम्मिलित गांव	---	डोली
11	समिति के अध्यक्ष का नाम	---	श्री इंदर सिंह मरावी
12	परिसर रक्षक का नाम	---	श्री विवेक पटेल व.र.
13	परिक्षेत्र सहायक का नाम	---	श्री राजूलाल बर्मन उपवनक्षेत्रपाल

विवरण	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
अ.जा.	18	7	25	0	0	0	182	168	350	0	0	0	22	175	375
अ.ज.जा.	3	0	3	0	0	0	17	15	32	0	0	0	20	15	35
अ.पि.व.	45	15	60	25	4	29	830	757	15	0	0	0	900	776	1676
सामान्य	28	13	41	24	12	36	18	26	44	0	0	0	70	51	121
योग	94	25	129	49	16	65	1047	966	2013	0	0	0	1190	1017	2207

14	उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना		
A	टोपोग्राफी	---	अर्धपहाडी
B	एस्पेक्ट	---	पश्चिमी
C	ढलान	---	मध्यम
D	पानी निकासी	---	अच्छी
E	भू क्षरण	---	मध्यम एवं गली
F	चट्टानों का विवरण	---	सेन्ड स्टोन लेटेराईट
G	मिट्टी का प्रकार	---	पथरीली मुरमीली
H	औसत वार्षिक वर्षा	---	110 एम.एम.
I	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	---	30 हेक्ट.
J	नरम मिट्टी का क्षेत्र	---	10 हेक्ट.
K	पथरीली मिट्टी का क्षेत्र	---	3.24 हेक्ट.
L	उपलब्ध प्रजाति	---	सागौन, पलास, लैडिया तेंदू
वृक्षों की जानकारी			

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध	20 से.मी. से अधिक के वृक्ष
सतकठा	678	412
सागौन	0	0

1	साईट क्वालिटी	---	IVB
2	पूर्ण वन वृर्धन का क्षेत्र	---	40 हेक्ट.
3	उपलब्ध प्रजाति	---	सतक. पलास, लैडिया तेंदू

जैविक दबाव

प्रकार	---	जैविक दबाव
वन्यप्राणी	---	औसत
चराई	---	अत्यधिक
मानव	---	अत्यधिक


उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण


1	कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र	---	02 हेक्ट.
2	वृक्षारोपण का क्षेत्र	---	40 हेक्ट.
3	लैंटाना	---	38 हेक्ट.
4	रोपणी का नाम	---	परियट रोपणी
5	रोपणी से स्थल की दूरी	---	55 कि.मी.
6	पौधों का परिवहन	---	55 कि.मी.
7	सिर बोझ द्वारा	---	01 कि.मी.
8	योजना की अवधि	---	2025-26 से 2035-36 तक
9	योजना पर होने वाला संभावित व्यय	---	18063155
10	प्रति हेक्ट. व्यय	---	451578.87
11	अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय	---	2004962
12	प्रति हेक्ट. व्यय	---	50124.06

लेण्टाना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट ददरगवां के कक्ष कं० RF 340 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 40 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 38 हेक्ट. लेण्टाना उपलब्ध है।

21/2/16
परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-इमलई



वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)



उप वनमंडलाधिकारी
सिंहारा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट ददरगवां के कक्ष क० RF 340 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 40 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगौन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त काली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम


उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 40000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति	पौधों की संख्या	पौधों की आयु	पौधों की उंचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	24000	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
आवंला	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
नीम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
खम्हेर	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
सिरस	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
शीशम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
बहेडा	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
अन्य	4000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
योग पौधा	40000			


3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकुरेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्टर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :- क्षेत्र में टूट ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जावेगी। एवं गणना की पृविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मै उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क्र. 67 दिनांक 9/10/23 द्वारा जारी की गई


वनसंरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 40 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

40

हेक्टेयर

(असिद्धित)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर 33449/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	40	ha	0.45	प्रति हे०	18	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	40	ha	1.00		40	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	40	ha	4.00	प्रति हे०	160	जॉबदर
अ.	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन)	30	ha	22.00	प्रति हेक्ट	660	जॉबदर
ब	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	ha	12.50	प्रति हेक्ट	63	जॉबदर
स	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विरल)	3	ha	8.00	प्रति हेक्ट	24	जॉबदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	3600	Rmt	2.4	Rmt	8640	गणना के आधार पर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	40000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	100	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	40000	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	2000	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय अथितन का 20 प्रतिशत	729	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	1094	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 10 प्रतिशत	364.5	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	1094	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	40000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	600	जॉबदर
11	2 हट निर्माण		L.S.			100	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					100	अनुमानित
	योग					14692	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	3673	अनुमानित
	कुल योग					18364	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोर (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	रोपणी कार्य						
1	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	40000	पौधे		12/प्रति पौधा	1294	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	8000	पौधे		12/प्रति पौधा	259	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	48000	पौधे	1.5	1.5/100	720	जॉबदर
3	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	48000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	192	जॉबदर
	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	38	हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	160	जॉबदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	40000	पौधे	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	720	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25/100	500	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1/100	400	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1/100	400	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई :	40000	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	240	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.6	कि.मी.	5.5	2.25/किमी	20	जॉबदर
10	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		2X9			540	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	40000	पौधे		Lumsum	700	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					400	अनुमानित
					योग:-	6544	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रियाज
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	4000	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	129	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4000	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	60	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4000	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	16	जॉबदर
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					40	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	500	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.6	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	20	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	40000	पौधे		Lumsum	700	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					50	अनुमानित
योग:-						3035	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिंहसा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जुबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	4000	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	129	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4000	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	60	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4000	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	16	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	500	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1 मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.6	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	20	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक			12 माह		360	अनुमानित
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
योग:-						1685	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिक फॉसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	अनुमानित
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	500	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			624	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					1694	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जयलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					790	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					790	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोर (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					790	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					790	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					790	

योजना का ग्यारहवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.6	mtr	5.5	किमी	20	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					790	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुरा (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 40 हे0 असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि
प्रथम	18364	1	18364	8245604
द्वितीय	6544	1.06	6937	3114723
तृतीय	3035	1.1236	3410	1531237
चतुर्थ	1685	1.191	2007	901165
पंचम	1694	1.2625	2138	960152
षष्ठम	790	1.3382	1057	474553
सप्तम	790	1.4185	1120	503029
अष्टम	790	1.504	1188	533349
नवम	790	1.594	1259	565265
दशम	790	1.69	1335	599308
ग्यारहवा	790	1.79	1414	634770
कुल योग			40230	18063155

आस्था मूलक कार्य	5 प्रतिशत	903158
मानव संसाधन विकास	1 प्रतिशत	180632
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	4 प्रतिशत	722526
कुल योग		19869470
पर्यवेक्षण शुल्क	10 प्रतिशत	1986947
महायोग		21856417
Or say		218.56 Lakh Only

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा सामान्य

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1
कक्ष की स्थिति

विवरण			
1.	वनमण्डल	जबलपुर	
2.	परिक्षेत्र	कुण्डम	
3.	वनखण्ड	51-दशरथपुर	
3.1.	अधिसूचना का विवरण	887 Dated 20.07.1879 & 194 Dated 10.03.1915	
3.2.	टोपोशीट क्रमांक (1:12,500)	64A/4/C/1 & 64A/4/C/2	
4.	कक्ष क्रमांक	340	
5.	सानान्य विवरण	-	
6.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	281.95	
7.	भौगोलिक स्थिति	अक्षांश	23° 10' 20" देशान्तर 80° 12' 00"
8.	सीमा विवरण		
8.1.	उत्तर	ग्राम ददरगवां की राजस्व भूमि।	
8.2.	पूर्व	संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 343 की सीमा लाईन।	
8.3.	दक्षिण	ग्राम देवरी की राजस्व भूमि।	
8.4.	पश्चिम	ग्राम डुंगरगवां की राजस्व भूमि।	
9.	वैधानिक स्थिति	आरक्षित वन	
10.	वन संरचना		
10.1.	वनों का प्रकार	सागौन✓ / साल / मिश्रित / बांस / अन्य	
10.2.	आयु वर्ग	मुख्यतः परिपक्व / मुख्यतः मध्यम आयु / मुख्यतः युवा आयु✓ / मुख्यतः अग्रिम पौधे	
10.3.	सन्निधि	अति सघन / मध्यम सघन / विरल✓ / झाड़ी वन	
10.4.	स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.)	I, II, III, IVa, IVb✓, Va, Vb	
11.	सामान्य स्थलाकृति		
11.1.	धरातल विवरण	समतल✓ / अर्द्ध पहाड़ी / पहाड़ी / दुर्गम पहाड़ी / ऊबड़-खाबड़✓	
12.	समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में)		
12.1.	न्यूनतम	मीटर	
12.2.	अधिकतम	मीटर	
12.3.	बेंच मार्क		
12.4.	स्थायी चिन्ह		

उत्तर उत्तर-पूर्व पूर्व दक्षिण-पूर्व दक्षिण दक्षिण-पश्चिम / पश्चिम / उत्तर-पश्चिम / चारों ओर ✓		
डाल प्रेडिक्ट)	डाल वर्ग (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
	10 तक	178.27
	10 से 30 तक	95.89
	30 से 40 तक	7.79
	40 से अधिक	-
	योग-	281.95
भौमिकी	आरकियन / विन्ध्यान / विजावर / लोअर गोंडवाना / अपर गोंडवाना ✓ / लमेटा / डेक्कन ट्रेप	
शील (चट्टानें)	बेसाल्ट / सैंडस्टोन ✓ / शेल / स्लेट / शिष्ट / नीस / ग्रनाइट / क्वार्टजाइट / चर्ट / कांगलोमेरट / लाइमस्टोन / मेटामॉर्फिक	
नृदा का विवरण		
प्रकार	दोमट / चिकनी / काली / रेतीली दोमट ✓ / रेतीली / चिकनी दान्ट कंकरीली / लाल लेटेराइट / जलोढ़	
संरचना	भुरभुरी / किंचित ठोस ✓ / अत्यधिक ठोस	
आर्द्रता	दलदल / आर्द्र / शुष्क ✓ / अतिशुष्क	
गहराई	मिट्टी विहीन / बहुत उथली / उथली ✓ / मध्यम गहरी ✓ / गहरी / बहुत गहरी	
ह्यूमस	ह्यूमस विहीन / अपर्याप्त ✓ / मध्यम / पर्याप्त / अधिक	
भू-क्षरण		
स्थिति	नगण्य / सामान्य / मध्यम ✓ / बहुत अधिक	
प्रकार	शीट / गली ✓ / अन्य	
जल धारण क्षमता	कम / मध्यम ✓ / अधिक	
वन संनिधि का विवरण		
9.1	सामान्य विवरण - कक्ष में मुख्यतः चारगाह विकास हेतु उपयुक्त रिक्त क्षेत्र है। कक्ष के उत्तरी एवं पूर्वी सीमा पर निम्न संनिधि युक्त सागौन का विरल वन पाया गया है, पाए गए वृक्ष मुख्यतः युवा आयु वर्ग के हैं तथा स्थल गुणश्रेणी चतुर्थ 'ब' है।	

19.1	वृक्ष	है/नहीं है✓	
19.2	झाड़ियाँ	ल-टा'ना	
19.3	राज	चकौड़ा।	
19.4	ठिठुरे प्रजातियाँ	-	
19.5	दुर्लभ प्रजातियाँ	-	
19.6	मुख्य अलाष्ठीय प्रजातियाँ		
19.2.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियाँ	महुआ।	
19.2.2	अधः स्तरीय प्रजातियाँ	-	
19.2.3	निम्न स्तरीय प्रजातियाँ	तेन्दू।	
19.2.4	झाड़ी प्रजातियाँ	-	
19.2.5	शाक प्रजातियाँ	चकौड़ा।	
19.2.6	कंद प्रजातियाँ	-	
19.2.7	बेला प्रजातियाँ	-	
20.	पुनरुत्पादन का विवरण		
	प्रकार	वर्गीकरण	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
20.1	नवागत पौध	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
20.2	अस्थापित	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
20.3	स्थापित	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
21.	अवैध कटाई	नगण्य/कम✓/मध्यम/बहुत अधिक	
22.	चराई विवरण		
22.1	चराई भार	नगण्य/कम/मध्यम✓/बहुत अधिक	
22.2	पशु शिविर	है/नहीं✓	
23	अग्नि घटनाएं	नगण्य/कम✓/मध्यम/अधिक	
24	जैविक हस्तक्षेप	नगण्य/कम/मध्यम✓/अधिक/अत्यधिक	
25	प्राकृतिक प्रकोप	शीर्षमरण/एकाकीमरण/पाला/सूखा/कीट/रोग	

गांव वन समिति चक्रवातों कीट-चक्रवातों

बैठक दिनांक 10/05/02

उपस्थित वन अधिकारियों का समक्षी प्रमाणित की जाय	दिनांक	बैठक की कार्यवाही काथारी का निर्दिष्ट विवरण	गिरी / संकल्पना का प्रस्ताव / संकल्पना का प्रस्ताव	उपस्थित समिति के सदस्य
श्री. इंटर फ्रीड भारतीय अल्प	कंपन कं. RF-340 में कुलपण रकबा 35 ha. में 40 ha. में	अनु विवरण 10/05/2013 को अल्प अल्प की अल्पना में बैठक की गई बैठक में विवरण रकबा 341 की कीट चक्रवातों के कृष कं. RF-340 में कुलपण किया जावे नाकि चक्रवातों के लक्षण हैं	श्री. समिति के प्रस्ताव पारित किया गया	इंटर फ्रीड
श्री. न्याय फ्रीड भारतीय अल्प		इंटर फ्रीड		मंडल
श्री. अल्प फ्रीड अल्प		इंटर फ्रीड		अल्प
श्री. अल्प फ्रीड भारतीय अल्प		इंटर फ्रीड		अल्प
श्री. अल्प फ्रीड भारतीय अल्प		इंटर फ्रीड		अल्प
श्री. अल्प फ्रीड अल्प		इंटर फ्रीड		अल्प
श्री. अल्प फ्रीड अल्प		इंटर फ्रीड		अल्प
श्री. अल्प फ्रीड अल्प		इंटर फ्रीड		अल्प


गांव वन समिति चक्रवातों

गांव वन समिति चक्रवातों



अल्प अल्प

23° 0' 0" N



Dura

gh at N

Dense mixed jungle

Dungargawan

Dadargawan

वन परिक्षेत्र अधिकारियों
कुपडा (रा.)

7

340

Devi

8

२१५८१६
D. 21 58 15

२१ ८१



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वर्ष	:-	2025-26 से 2035-36
परिक्षेत्र का नाम	:-	कुंडम
समिति का नाम	:-	ददरगवां
बीट का नाम	:-	ददरगवां
कक्ष क्रमांक	:-	RF 340
फेलिंग सीरीज	:-	वृक्षारोपण
कूप क्रमांक	:-	—
क्षेत्रफल (हेक्टर)	:-	30
कुल राशि (रु.)	:-	16216700.00

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-

1	योजना	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	कार्यस्थल का नाम	---	ददरगवां
3	कक्ष क्रं.	---	RF 340
4	कक्ष का कुल रकवा	---	290.60
5	वनखण्ड का नाम	---	51 दशरथपुर
6	पातन श्रेणी	---	तिलसानी
7	प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल	---	30
8	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	---	2025-26
9	कार्य की अवधि	---	2025-26 to 2035-36
10	परिसर	---	ददरगवां
11	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	कुण्डम
12	वन परिक्षेत्र	---	कुण्डम (सामान्य)
13	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
14	समिति का प्रकार एवं नाम स्थल चयनकर्ता अधिकारी	---	वन सुरक्षा समिति ददरगवां (1.) श्री एम.एल. बरकडे, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य)
15		---	(2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य)
16		---	श्री राजूलाल बर्मन वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक इमलई
17	कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम	---	श्री विवेक पटेल वनरक्षक, बीटगार्ड ददरगवां
18	समिति का गठन दिनांक	---	24.06.1996

प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- 1 समस्त कार्य वन समिति ददरगवां के माध्यम से कराये जायेंगे।
- 2 अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति ददरगवां के द्वारा किया जावेगा।
- 3 वनसुरक्षा समिति ददरगवां गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- 4 सी.बी.ओ. कार्य 15 से0मी0 से अधिक एवं 90 से0मी0 गोलाई की आढी-टेढी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित टूठों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिक्री आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- 5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- 6 कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।

अरुण
परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-इमलई

Md
वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

M/000
उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

**भाग एक
सामान्य विवरण**

01 परियोजना का विवरण

अ	योजना का नाम	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
ब	सरकार का अनुमोदन	---	--
स	प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	जिला	---	जबलपुर
3	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
4	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
5	ग्राम	---	ददरगवां
6	तहसील	---	कुंडम
7	विधान सभा क्षेत्र	---	सिहोरा
8	ग्राम पंचायत	---	डोली
9	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	इमलई
10	परिसर	---	ददरगवां
(2)	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :-		
1	वन सुरक्षा समिति	---	ददरगवां
2	कक्ष क्र.	---	आर.एफ. 340
3	रकबा	---	30 हेक्ट.
4	कार्यवृत्त	---	--
5	उपचार श्रेणी	---	--
6	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	---	30 कि.मी.
7	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	---	--
8	गठित समिति का प्रकार	---	वनसुरक्षा समिति
9	समिति का मुख्यालय	---	ददरगवां
10	समिति में सम्मिलित गांव	---	डोली
11	समिति के अध्यक्ष का नाम	---	श्री इंदर सिंह मरावी
12	परिसर रक्षक का नाम	---	श्री विवेक पटेल व.र.
13	परिक्षेत्र सहायक का नाम	---	श्री राजूलाल बर्मन उपवनक्षेत्रपाल

विवरण	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
अ.जा.	18	7	25	0	0	0	182	168	350	0	0	0	22	175	375
अ.ज.जा.	3	0	3	0	0	0	17	15	32	0	0	0	20	15	35
अ.पि.व.	45	15	60	25	4	29	830	757	15	0	0	0	900	776	1676
सामान्य	28	13	41	24	12	36	18	26	44	0	0	0	70	51	121
योग	94	25	129	49	16	65	1047	966	2013	0	0	0	1190	1017	2207

14	उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना		
A	टोपोग्राफी	---	अर्धपहाडी
B	एस्पेक्ट	---	पश्चिमी
C	ढलान	---	मध्यम
D	पानी निकासी	---	अच्छी
E	भू क्षरण	---	मध्यम एवं गली
F	चट्टानों का विवरण	---	सेन्ड स्टोन लेटेराईट
G	मिट्टी का प्रकार	---	पथरीली मुरमीली
H	औसत वार्षिक वर्षा	---	110 एम.एम.
I	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	---	25 हेक्ट.
J	नरम मिट्टी का क्षेत्र	---	5 हेक्ट.
K	पथरीली मिट्टी का क्षेत्र	---	3.24 हेक्ट.
L	उपलब्ध प्रजाति	---	सागौन, पलास, लैडिया तेंदू
वृक्षों की जानकारी			

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध	20 से.मी. से अधिक के वृक्ष
सतकठा	800	500
सागौन	0	0

1	साईट क्वालिटी	---	IVB
2	पूर्ण वन वृर्धन का क्षेत्र	---	30 हेक्ट.
3	उपलब्ध प्रजाति	---	सतक. पलास, लैडिया तेंदू

जैविक दबाव

प्रकार	---	जैविक दबाव
वन्यप्राणी	---	औसत
चराई	---	अत्यधिक
मानव	---	अत्यधिक


उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण


1	कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र	---	02 हेक्ट.
2	वृक्षारोपण का क्षेत्र	---	30 हेक्ट.
3	लैंटाना	---	27 हेक्ट.
4	रोपणी का नाम	---	परियट रोपणी
5	रोपणी से स्थल की दूरी	---	55 कि.मी.
6	पौधों का परिवहन	---	55 कि.मी.
7	सिर बोझ द्वारा	---	01 कि.मी.
8	योजना की अवधि	---	2025-26 से 2035-36 तक
9	योजना पर होने वाला संभावित व्यय	---	13402231
10	प्रति हेक्ट. व्यय	---	446741.03
11	अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय	---	2814468
12	प्रति हेक्ट. व्यय	---	93815.60

लेटना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट ददरगवां के कक्ष क0 RF 340 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 30 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 27 हेक्ट. लेटना उपलब्ध है।

21/2/14
परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-इमलई



वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)



उप वनमोहलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट ददरगवां के कक्ष क0 RF 340 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 30 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगाउन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त काली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम


उप वनमंडल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 30000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति	पौधों की संख्या	पौधों की आयु	पौधों की उंचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	18000	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
आवंला	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
नीम	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
खम्हेर	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
सिरस	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
शीशम	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
बहेडा	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
अन्य	3000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
योग पौधा	30000			


3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकुरेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्टर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 भा.दि.प्र. हैक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिक फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :- क्षेत्र में टूट ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जावेगी। एवं गणना की पृविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क. 67 दिनांक 7/10/2023 द्वारा जारी की गई


वनसंरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-30 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा 30

हेक्टेयर

(असिंचित)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर 21449/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	30	ha	0.45	प्रति हे०	14	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	30	ha	1.00		30	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	30	ha	4.00	प्रति हे०	120	जॉबदर
अ	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन)	20	ha	22.00	प्रति हेक्ट	440	जॉबदर
ब	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	ha	12.50	प्रति हेक्ट	63	जॉबदर
स	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विरल)	2	ha	8.00	प्रति हेक्ट	16	जॉबदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की चुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	3300	Rmt	2.4	Rmt	7920	गणना के आधार पर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	30000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	75	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	30000	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	1500	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु क्य आयतन का 20 प्रतिशत	546.75	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	820	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु क्य आयतन का 10 प्रतिशत	273.375	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	820	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	30000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	450	जॉबदर
11	2 हट निर्माण		L.S.			100	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैंट, चूना आदि)					100	अनुमानित
	योग					12467	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	3117	अनुमानित
	कुल योग					15584	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	रोपणी कार्य						
1	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	30000	पौधे		12/प्रति पौधा	1294	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	6000	पौधे		12/प्रति पौधा	194	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	36000	पौधे	1.5	1.5/100	540	जॉबदर
3	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	36000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	144	जॉबदर
	लेंटाना मापिंग अप आपरेशन	38	हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	160	जॉबदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	30000	पौधे	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	540	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	1.25/100	375	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1	1/100	300	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1	1/100	300	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	30000	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	180	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	कि.मी.	5.5	2.25/किमी	18	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			270	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	30000	पौधे		Lumsum	200	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
					योग:-	4715	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3000	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	97	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3000	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	45	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3000	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	12	जॉबदर
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					40	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	375	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	300	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	300	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	18	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	30000	पौधे		Lumsum	200	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					100	अनुमानित
योग:-						1847	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरी (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरीपण हेतु)	3000	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	97	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3000	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	45	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3000	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	12	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	375	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1	1 मा.दि.प्र.सै.	300	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	18	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक			12 माह		360	अनुमानित
8	अन्य व्यय (क्रीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
योग:-						1407	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

वन मण्डल अधिकारी
सिद्धारा (सा.)

वन मण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	अनुमानित
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	375	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	30000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	300	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					1203	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					428	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					428	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					428	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					428	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					428	

योजना का ग्यारहवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					428	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)


उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोर (सा.)


वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)


गोश्वारा, आदर्श रोपण 30 हे० असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि
प्रथम	15584	1	15584	6997244
द्वितीय	4715	1.06	4998	2244067
तृतीय	1847	1.1236	2075	931898
चतुर्थ	1407	1.191	1676	752505
पंचम	1203	1.2625	1519	682021
षष्ठम	428	1.3382	573	257255
सप्तम	428	1.4185	607	272692
अष्टम	428	1.504	644	289128
नवम	428	1.594	682	306430
दशम	428	1.69	724	324885
ग्यारहवा	428	1.79	766	344108
कुल योग			29849	13402231

आस्था मूलक कार्य	5 प्रतिशत	670112
मानव संसाधन विकास	1 प्रतिशत	134022
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	4 प्रतिशत	536089
कुल योग		14742454
पर्यवेक्षण शुल्क	10 प्रतिशत	1474245
महायोग		16216700
Or say		162.16 Lakh Only


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य


उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा सामान्य


वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास


प्रपत्र - 1

कक्ष की स्थिति

विवरण			
1.	वनमण्डल	जबलपुर	
2.	परिक्षेत्र	कुण्डम	
3.	वनखण्ड	51-दशरथपुर	
3.1.	अधिसूचना का विवरण	887 Dated 20.07.1879 & 194 Dated 10.03.1915	
3.2.	टोपोशीट क्रमांक (1:12,500)	64A/4/C/1 & 64A/4/C/2	
4.	कक्ष क्रमांक	340	
5.	सामान्य विवरण	-	
6.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	281.95	
7.	भौगोलिक स्थिति	अक्षांश	23° 10' 20 "
		देशान्तर	80° 12' 00 "
8.	सीमा विवरण		
8.1.	उत्तर	ग्राम ददरगवां की राजस्व भूमि।	
8.2.	पूर्व	संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 343 की सीमा लाईन।	
8.3.	दक्षिण	ग्राम देवरी की राजस्व भूमि।	
8.4.	पश्चिम	ग्राम डुंगरगवां की राजस्व भूमि।	
9.	वैधानिक स्थिति	आरक्षित वन	
10.	वन संरचना		
10.1.	वनों का प्रकार	सागौन✓ / साल / मिश्रित / बांस / अन्य	
10.2.	आयु वर्ग	मुख्यतः परिपक्व / मुख्यतः मध्यम आयु / मुख्यतः युवा आयु✓ / मुख्यतः अग्रिम पौधे	
10.3.	सन्निधि	अति सघन / मध्यम सघन / विरल✓ / झाड़ी वन	
10.4.	स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.)	I, II, III, IVa, IVb✓, Va, Vb	
11.	सामान्य स्थलाकृति		
11.1.	धरातल विवरण	समतल✓ / अर्द्ध पहाड़ी / पहाड़ी / दुर्गम पहाड़ी / ऊबड़-खाबड़✓	
12.	समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में)		
12.1.	न्यूनतम	मीटर	
12.2.	अधिकतम	मीटर	
12.3.	बेंच मार्क		
12.4.	स्थायी चिन्ह		

19.1	मृदा प्रजातियां	मृदा प्रजातियां
19.2	हवा	है / नहीं है ✓
19.3	जल	लेप्टाना
19.4	चक्र	चक्रौड़ा।
19.5	देखरो प्रजातियां	—
19.6	दुर्लभ प्रजातियां	—
19.7	मुख्य अक्लाषीय प्रजातियां	
19.2.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	महुआ।
19.2.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	—
19.2.3	निम्न स्तरीय प्रजातियां	तेन्दू।
19.2.4	झाड़ी प्रजातियां	—
19.2.5	शाक प्रजातियां	चक्रौड़ा।
19.2.6	कंद प्रजातियां	—
19.2.7	बेला प्रजातियां	—
20.	पुनरुत्पादन का विवरण	
	प्रकार	वर्गीकरण
20.1	नवागत पौध	अपर्याप्त ✓ / पर्याप्त / प्रचुर
20.2	अस्थापित	अपर्याप्त ✓ / पर्याप्त / प्रचुर
20.3	स्थापित	अपर्याप्त ✓ / पर्याप्त / प्रचुर
21	अवैध कटाई	नगण्य / कम ✓ / मध्यम / बहुत अधिक
22.	चराई विवरण	
22.1	चराई भार	नगण्य / कम / मध्यम ✓ / बहुत अधिक
22.2	पशु शिविर	है / नहीं ✓
23	अग्नि घटनाएं	नगण्य / कम ✓ / मध्यम / अधिक
24	जैविक हस्तक्षेप	नगण्य / कम / मध्यम ✓ / अधिक / अत्यधिक
25	प्राकृतिक प्रकोप	शीर्षमरण / एकाकीमरण / पाला / सूखा / कीट / रोग

1	उत्तर/उत्तर-पूर्व, पूर्व, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम /पश्चिम/उत्तर-पश्चिम/चारों ओर		
2	डाल वर्ग (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
	10 तक	178.27	
	10 से 30 तक	95.89	
	30 से 40 तक	7.79	
	40 से अधिक	-	
	योग-	281.95	
3	नौनिकी	आरकियन/विन्ध्यान/विजावर/लोअर गोंडवाना/ अपर गोंडवाना/ लमेटा/डेक्कन ट्रेप	
4	शील (चट्टानें)	बेसाल्ट/सैंडस्टोन/शेल/स्लेट/शिष्ट/नौस/ग्रेनाइट/ क्वार्टजाइट/ चर्ट/कांगलोमेरट/लाइमस्टोन/नेटानार्निक	
7	नृदा का विवरण		
7.1	प्रकार	दोमट/चिकनी/काली/रेतीली दोमट/रेतीली/चिकनी दोमट, कंकरीली/लाल लेटेराइट/जलोढ़	
7.2	संरचना	भुरभुरी/किंचित ठोस/अत्यधिक ठोस	
7.3	आर्द्रता	दलदल/आर्द्र/शुष्क/अतिशुष्क	
7.4	गहराई	मिट्टी विहीन/बहुत उथली/उथली/मध्यम गहरी/गहरी/ बहुत गहरी	
7.5	ह्यूमस	ह्यूमस विहीन/अपर्याप्त/मध्यम/पर्याप्त/अधिक	
8	भू-क्षरण		
8.1	स्थिति	नगण्य/सामान्य/मध्यम/बहुत अधिक	
8.2	प्रकार	शीट/गली/अन्य	
8.3	जल धारण क्षमता	कम/मध्यम/अधिक	
9	वन संनिधि का विवरण		
19.1	सामान्य विवरण - कक्ष में मुख्यतः चारगाह विकास हेतु उपयुक्त रिक्त क्षेत्र है। कक्ष के उत्तरी एवं पूर्वी सीमा पर निम्न संनिधि युक्त सागौन का विरल वन पाया गया है, पाए गए वृक्ष मुख्यतः युवा आयु वर्ग के हैं तथा स्थल गुणश्रेणी चतुर्थ 'ब' है।		



23

23°10'N

Dadargawan

Durgargawan

Dura

Dense mixed jungle

340

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

M.S.

7
2120115
4221 5701 J

Devri

TILSA



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वर्ष	:- 2025-26 से 2035-36
परिक्षेत्र का नाम	:- कुंडम
समिति का नाम	:- तौरी
बीट का नाम	:- बारतौरी
कक्ष क्रमांक	:- O- 587 RF 296
फेलिंग सीरीज	:- RDF
कूप क्रमांक	:- -
क्षेत्रफल (हेक्टर)	:- 40
कुल राशि (रु.)	:- 21923761.00

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण


अधारभूत जानकारी :-


1	योजना	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	कार्यस्थल का नाम	---	तौरी
3	कक्ष क्रं.	---	O- 587 RF 296
4	कक्ष का कुल रकवा	---	138.48
5	वनखण्ड का नाम	---	खम्हरिया
6	पातन श्रेणी	---	कुण्डम
7	प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल	---	40
8	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	---	2025-26
9	कार्य की अवधि	---	2025-26 to 2035-36
10	परिसर	---	बारतौरी
11	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	कुण्डम
12	वन परिक्षेत्र	---	कुण्डम (सामान्य)
13	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
14	समिति का प्रकार एवं नाम	---	वन सुरक्षा समिति तौरी
15	स्थल चयनकर्ता अधिकारी	---	(1.) श्री एम.एल. बरकडे, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य)
16		---	(2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य)
17	कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम	---	श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक कुण्डम
18	समिति का गठन दिनांक	---	श्री महेन्द्र ककोटिया वनरक्षक, बीटगार्ड बारतौरी


प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- 1 समस्त कार्य वन समिति सदस्यों के माध्यम से कराये जायेंगे।
- 2 अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति तौरी के द्वारा किया जावेगा।
- 3 वनसुरक्षा समिति तौरी गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- 4 सी.बी.ओ. कार्य 15 से0मी0 से अधिक एवं 90 से0मी0 गोलाई की आढी-टेढी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित टूटों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिक्री आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- 5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- 6 कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।


परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-कुण्डम


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)


उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

**भाग एक
सामान्य विवरण**

01 परियोजना का विवरण

अ	योजना का नाम	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
ब	सरकार का अनुमोदन	---	--
स	प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	जिला	---	जबलपुर
3	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
4	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
5	ग्राम	---	तौरी
6	तहसील	---	कुंडम
7	विधान सभा क्षेत्र	---	सिहोरा
8	ग्राम पंचायत	---	खिन्हा
9	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	कुण्डम
10	परिसर	---	बारतौरी
(2)	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :-		
1	वन सुरक्षा समिति	---	तौरी
2	कक्ष क्रं.	---	ओ. 587 पी.एफ. 296
3	रकबा	---	40 हेक्ट.
4	कार्यवृत्त	---	वृक्षारोपण
5	उपचार श्रेणी	---	कुण्डम
6	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	---	35 कि.मी.
7	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	---	-
8	गठित समिति का प्रकार	---	वनसुरक्षा समिति
9	समिति का मुख्यालय	---	तौरी
10	समिति में सम्मिलित गांव	---	खिन्हा
11	समिति के अध्यक्ष का नाम	---	श्री प्रहलाद सिंह
12	परिसर रक्षक का नाम	---	श्री महेन्द्र ककोटिया व.र.
13	परिक्षेत्र सहायक का नाम	---	श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय वनक्षेत्रपाल

विवरण	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
अ.जा.	3	7	10	0	0	0	8	11	19	0	0	0	11	18	29
अ.ज.जा.	18	0	18	0	0	0	16	12	28	0	0	0	34	12	46
अ.पि.व.	45	15	60	25	4	29	19	17	36	0	0	0	89	36	125
सामान्य	28	13	41	24	12	36	5	4	9	0	0	0	57	29	86
योग	94	25	129	49	16	65	48	44	92	0	0	0	191	95	286

14	उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना		
A	टोपोग्राफी	---	अर्धपहाडी
B	एस्पेक्ट	---	पश्चिमी
C	ढलान	---	मध्यम
D	पानी निकासी	---	अच्छी
E	भू क्षरण	---	मध्यम एवं गली
F	चट्टानों का विवरण	---	सेन्ड स्टोन लेटेराईट
G	मिट्टी का प्रकार	---	पथरीली मुरमीली
H	औसत वार्षिक वर्षा	---	110 एम.एम.
I	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	---	30 हेक्ट.
J	नरम मिट्टी का क्षेत्र	---	10 हेक्ट.
K	पथरीली मिट्टी का क्षेत्र	---	3.24 हेक्ट.
L	उपलब्ध प्रजाति	---	सागौन, पलास, लैडिया तेंदू
वृक्षों की जानकारी			

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध	20 से.मी. से अधिक के वृक्ष
सतकटा	1000	600
सागौन	0	0

1	साईट क्वालिटी	---	IVB
2	पूर्ण वन वृर्धन का क्षेत्र	---	40 हेक्ट.
3	उपलब्ध प्रजाति	---	सतक. पलास, लैडिया तेंदू

जैविक दबाव

प्रकार	---	जैविक दबाव
वन्यप्राणी	---	औसत
चराई	---	अत्यधिक
मानव	---	अत्यधिक

उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1	कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र	---	02 हेक्ट.
2	वृक्षारोपण का क्षेत्र	---	40 हेक्ट.
3	लैंटाना	---	37 हेक्ट.
4	रोपणी का नाम	---	परियट रोपणी
5	रोपणी से स्थल की दूरी	---	55 कि.मी.
6	पौधों का परिवहन	---	55 कि.मी.
7	सिर बोझ द्वारा	---	01 कि.मी.
8	योजना की अवधि	---	2025-26 से 2035-36 तक
9	योजना पर होने वाला संभावित व्यय	---	18118811
10	प्रति हेक्ट. व्यय	---	452970.27
11	अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय	---	3804950
12	प्रति हेक्ट. व्यय	---	95123.75

लेटना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट बारतौरी के कक्ष क्र० O- 587 PF 296 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 40 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 37 हेक्ट. लेटना उपलब्ध है।



परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-कुण्डम



वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)





उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट बारतौरी के कक्ष क0 O- 587 PF 296 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 40 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगौन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त पीली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम


उप वनमंडल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 40000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति	पौधों की संख्या	पौधों की आयु	पौधों की उंचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	24000	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
आवंला	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
नीम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
खम्हेर	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
सिरस	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
शीशम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
बहेडा	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
अन्य	4000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 समी.	3.5 से 5.0 से.मी.
योग पौधा	40000			


3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकूलेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्टर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हेक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :- क्षेत्र में ठूठ ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जायेगी। एवं गणना की पृविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत

राजस शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क. 67 दिनांक 9/10/2023 द्वारा जारी की गई


वनसंरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 40 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण रकबा 40 हेक्टेयर

(असिंचित)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर 374 449

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	40	ha	0.45	प्रति हे०	18	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट.	40	ha	1.00		40	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	20	ha	4.00	प्रति हे०	80	जॉबदर
अ	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन)	30	ha	22.00	प्रति हेक्ट	660	जॉबदर
ब	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	ha	12.50	प्रति हेक्ट	63	जॉबदर
स	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विरल)	2	ha	8.00	प्रति हेक्ट	16	जॉबदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	4800	Rmt	2.4	Rmt	11520	गणना के आधार पर
6	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइन्मेंट	40000	गड्डे	2.5	प्रति हजार	100	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्डा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	40000	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	2000	जॉबदर
8	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 20 प्रतिशत	729	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	1094	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 10 प्रतिशत	364.5	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	1094	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	40000	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	600	जॉबदर
11	2 हट निर्माण		L.S.			100	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					50	अनुमानित
	योग					17434	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 10 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	980	अनुमानित
	कुल योग					18414	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप-वनमण्डल अधिकारी
सिद्धेश (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	रोपणी कार्य						
1	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	40000	पौधे		12/प्रति पौधा	1294	वाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	8000	पौधे		12/प्रति पौधा	259	वाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	48000	पौधे	1.5	1.5/100	720	जॉबदर
3	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	48000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	192	जॉबदर
	लेंटाना मापिंग अप आपरेशन	37	हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	296	जॉबदर
4	रोपण 45x45x45 cm.	40000	पौधे	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	720	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25/100	500	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1/100	400	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1/100	400	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	40000	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	240	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	4.8	कि.मी.	5.5	2.25/किमी	26	जॉबदर
10	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		2X9			540	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	40000	पौधे		Lumsun	700	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
					योग:-	6487	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिगार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	4000	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	129	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4000	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	60	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4000	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	16	जॉबदर
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					40	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	500	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	4.8	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	26	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	40000	पौधे		Lumsum	500	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					300	अनुमानित
योग:-						3092	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिंहारा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	4000	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	129	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4000	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	60	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4000	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	16	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	500	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	40000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	4.8	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	26	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक			12 माह		360	अनुमानित
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
				योग:-		1692	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					50	अनुमानित
3	प्रथम निदाई पौधों में	40000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	500	जॉबदर
4	द्वितीय निदाई पौधों में	40000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	400	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					1746	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					796	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					796	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					796	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					796	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					796	

योजना का ग्यारहवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	4.8	mtr	5.5	किमी	26	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					796	

वन परिक्षेत्र अधिकारी:
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 40 हे० असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि
प्रथम	18414	1	18414	8267662
द्वितीय	6487	1.06	6876	3087404
तृतीय	3035	1.1236	3410	1531147
चतुर्थ	1692	1.191	2015	904695
पंचम	1746	1.2625	2205	989969
षष्ठम	796	1.3382	1066	478518
सप्तम	796	1.4185	1130	507232
अष्टम	796	1.504	1198	537806
नवम	796	1.594	1269	569988
दशम	796	1.69	1346	604316
ग्यारहवा	796	1.79	1426	640075
कुल योग			40354	18118811

आस्था मूलक कार्य	5 प्रतिशत	905941
मानव संसाधन विकास	1 प्रतिशत	181188
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	4 प्रतिशत	724752
कुल योग		19930692
पर्यवेक्षण शुल्क	10 प्रतिशत	1993069
महायोग		21923761
Or say		219.23 Lakh Only

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कृष्णम सामान्य

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा सामान्य

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य

कार्यवाही विवरण

प्रस्ताव

ग्राम खम्हरिया में स्थित
देवराजगंज 0.581 P
296 में वृक्षारोपण करने
के सम्बन्ध में

निर्णय

आज दिनांक 10/05/23 को ग्राम
खम्हरिया में सुरक्षा समिति की
बैठक का आयोजन किया गया
जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा
ग्राम खम्हरिया में स्थित (देवरा)
जंगल 0.581 P-296 में खाली
पड़े वन भूमि में वृक्षारोपण
कराने का प्रस्ताव रखा गया है
बैठक में उपस्थित सभी सदस्य ग्राम
के अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव
सर्व सम्मति से पारित किया गया

क्र	सदस्य का नाम	हस्ताक्षर
1	प्रकाश सिंह	प्रकाश सिंह
2	अध्यक्ष सुन्ना सिंह	सुन्ना सिंह
3	रूप सिंह	रूप सिंह
4	राज सिंह	राज सिंह
5	अर्जुन सिंह	अर्जुन सिंह
6	अनिल कुमार	अनिल कुमार
7	अरुण सिंह	अरुण सिंह
8		अर्जुन सिंह पंच
9		अनिल कुमार
		राज सिंह
		अरुण सिंह

(Signature)
यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया

23°16'0"N

N

Kuhhi Kalan

Guraiya

KUNDAM PLANT T.S

Guraiya

6

O-590
VIP
P-298


M

XIP
P-297

XIP

57

611



जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1

कक्ष की स्थिति

विवरण

1.	वनमण्डल	जबलपुर			
2.	परिक्षेत्र	कुण्डम			
3.	वनखण्ड	खम्हरिया			
3.1.	अधिसूचना का विवरण				
3.2.	टोपोशीट क्रमांक (1:12,500)	64A/3/C/3,64A/7/A/3			
4.	कक्ष क्रमांक	O-587			
5.	सामान्य विवरण				
6.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	52.63			
7.	भौगोलिक स्थिति	अक्षांश	23° 15' 18''	देशान्तर	80° 15' 15''
8.	सीमा विवरण				
8.1.	उत्तर	कक्ष क0-PF-296 की सीमा लाईन।			
8.2.	पूर्व	कक्ष क0-PF-296 की सीमा लाईन एवं ग्राम-तौरी की राजस्व सीमा।			
8.3.	दक्षिण	ग्राम-खम्हरिया की राजस्व सीमा।			
8.4.	पश्चिम	ग्राम-पिटकुही की राजस्व सीमा।			
9.	वैधानिक स्थिति	प्रस्तावित आरक्षित वन			
10.	वन संरचना				
10.1.	वनों का प्रकार	सागौन✓/साल/मिश्रित/बांस/अन्य - अतिक्रमण			
10.2.	आयु वर्ग	मुख्यतः परिपक्व/मुख्यतः मध्यम आयु/मुख्यतः युवा आयु✓/ मुख्यतः अग्रिम पौधे			
10.3.	सन्निधि	अति सघन/मध्यम सघन✓/विरल/झाड़ी वन			
10.4.	स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.)	I, II, III, IVa, IVb✓, Va, Vb			
11.	सामान्य स्थलाकृति				
11.1.	धरातल विवरण	समतल/अर्द्ध पहाड़ी✓/पहाड़ी/दुर्गम पहाड़ी/उबड़-खाबड़			
12.	समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में)				
12.1.	न्यूनतम				
12.2.	अधिकतम				

12.3	बेच मार्क		
12.4	स्थायी चिन्ह		
13.	ढाल की दिशा	उत्तर/उत्तर-पूर्व/ पूर्व/दक्षिण-पूर्व/दक्षिण/दक्षिण-पश्चिम /पश्चिम/उत्तर-पश्चिम/चारों ओर✓	
14.	ढाल (ग्रेडिएंट)	ढाल वर्ग (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
		10 तक	25.71
		10 से 30 तक	16.85
		30 से 40 तक	10.07
		40 से अधिक	0.00
		योग-	52.63
15.	भौमिकी	आरकियन/विन्ध्यान/विजावर/लोअर गोंडवाना/ अपर गोंडवाना/लमेटा/डेक्कन ट्रेप✓	
16.	शैल (चट्टानें)	बेसाल्ट✓/सेंडस्टोन/शैल/स्लेट/शिष्ट/नीस/ग्रेनाइट/ क्वार्टजाइट/ चर्ट/कांगलोमेरट/लाइमस्टोन/मेटामार्मिक	
17.	मृदा का विवरण		
17.1	प्रकार	दोमट/चिकनी/काली/रेतीली दोमट✓/रेतीली/चिकनी दोमट/ कंकरीली/लाल लेटेराइट/जलोढ़	
17.2	संरचना	भुरभुरी✓/किंचित ठोस/अत्यधिक ठोस	
17.3	आर्द्रता	दलदल/आर्द्र/शुष्क✓/अतिशुष्क	
17.4	गहराई	मिट्टी विहीन/बहुत उथली/उथली/मध्यम गहरी✓/गहरी/ बहुत गहरी	
17.5	ह्यूमस	ह्यूमस विहीन/अपर्याप्त/मध्यम✓/पर्याप्त/अधिक	
18.	भू-क्षरण		
18.1	स्थिति	नगण्य/सामान्य✓/मध्यम/बहुत अधिक	
18.2	प्रकार	शीट/गली✓/अन्य	
18.3	जल धारण क्षमता	कम/मध्यम✓/अधिक	
19.	वन सन्निधि का विवरण		
19.1	सामान्य विवरण-	कक्ष मुख्यतः रिक्त वन का है तथा कक्ष का कुछ क्षेत्र अतिक्रमित है एवं कक्ष के कुछ क्षेत्र में जल भराव है।	

वर्ष स्तरीय प्रजातियां	सागौन, धवा, महुआ	
त्रः स्तरीय प्रजातियां	पलास, अमलतास, महुआ, कोसम, कार्कें	
धोस्तरीय प्रजातियां	तेंदु, भिलमा, दूधी	
स	नहीं है	
ाड़ियां	लेण्टाना, करौंदा	
ाक	चकौड़ा, वनतुलसी	
खरी प्रजातियां	सागौन	
र्लभ प्रजातियां	खैर	
ख्य अकाष्ठीय प्रजातियां		
ोर्ष स्तरीय प्रजातियां	महुआ	
धः स्तरीय प्रजातियां	महुआ	
ेम्न स्तरीय प्रजातियां	भिलमा	
ाड़ी प्रजातियां	करौंदा	
ाक प्रजातियां	चकौड़ा, चिरचिटा	
न्द प्रजातियां	—	
ाला प्रजातियां	अमरबेल	
नरुत्पादन का विवरण		
प्रकार	वर्गीकरण	बीजांकुर / स्थूण प्ररोह
वापोष	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर✓ / स्थूण प्ररोह
अस्थापित	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर / स्थूण प्ररोह✓
स्थापित	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर / स्थूण प्ररोह✓
प्रवैध कटाई	नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक	
वराई विवरण		
वराई भार	नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक	
शु शिविर	है / नहीं✓	
अग्नि घटनाएं	नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक	
जैविक हस्तक्षेप	नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक / अत्यधिक	
प्राकृतिक प्रकोप	शीर्षमरण / एकाकीमरण / पाला / सूखा / कीट / रोग	

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1

कक्ष की स्थिति

विवरण

1.	वनमण्डल	जबलपुर			
2.	परिक्षेत्र	कुण्डम			
3.	वनखण्ड	180-भजिया			
3.1.	अधिसूचना का विवरण	9-x-58 Dated 10.07.1958			
3.2.	टोपोशीट क्रमांक (1:12,500)	64A/03/C/3, 64A/07/A/3, 64A/08/A/1			
4.	कक्ष क्रमांक	P-296			
5.	सामान्य विवरण	-			
6.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	85.85			
7.	भौगोलिक स्थिति	अक्षांश	23° 14' 50 "	देशान्तर	80° 15' 40 "
8.	सीमा विवरण				
8.1	उत्तर	ग्राम पिटकुही कला की राजस्व सीमा।			
8.2	पूर्व	ग्राम तौरी की राजस्व सीमा।			
8.3	दक्षिण	ग्राम भजिया की राजस्व सीमा।			
8.4	पश्चिम	ग्राम पिटकुही कला की राजस्व सीमा।			
9.	वैधानिक स्थिति	संरक्षित वन			
10.	वन संरचना				
10.1	वनों का प्रकार	सागौन✓/साल/मिश्रित/बांस /अन्य			
10.2	आयु वर्ग	मुख्यतः परिपक्व/मुख्यतः मध्यम आयु/मुख्यतः युवा आयु✓/ मुख्यतः अग्रिम पौधे			
10.3	सन्निधि	अति सघन/मध्यम सघन✓/विरल/झाड़ी वन			
10.4	स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.)	I, II, III, IVa, IVb✓, Va, Vb			
11.	सामान्य स्थलाकृति				
11.1	धरातल विवरण	समतल/अर्द्ध पहाड़ी✓/पहाड़ी/दुर्गम पहाड़ी/ऊबड़-खाबड़			
12	समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में)				
12.1	न्यूनतम	मीटर			
12.2	अधिकतम	मीटर			
12.3	बेंच मार्क				
12.4	स्थायी चिन्ह				

13.	ढाल की दिशा	उत्तर/उत्तर-पूर्व/ पूर्व/दक्षिण-पूर्व/दक्षिण/दक्षिण-पश्चिम /पश्चिम/उत्तर-पश्चिम✓/चारों ओर	
14.	ढाल (ग्रेडिएंट)	ढाल वर्ग (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
		10 तक	26.71
		10 से 30 तक	26.12
		30 से 40 तक	33.02
		40 से अधिक	0.00
		योग-	85.85
15.	भौमिकी	आरकियन/विन्ध्यान/विजावर/लोअर गोंडवाना/ अपर गोंडवाना✓/लमेटा/डेक्कन ट्रेप	
16.	शैल (चट्टानें)	बेसाल्ट/सैंडस्टोन/शैल/स्लेट/शिष्ट/नीस/ग्रेनाइट/ क्वार्टजाइट/ चर्ट/कांगलोमेरट✓/लाइमस्टोन✓/मेटामॉर्फिक	
17.	मृदा का विवरण		
17.1	प्रकार	दोमट/चिकनी/काली/रेतीली दोमट/रेतीली/चिकनी दोमट/ कंकरीली✓/लाल लेटेराइट/जलोढ़	
17.2	संरचना	भुरभुरी/किंचित ठोस✓/अत्यधिक ठोस	
17.3	आर्द्रता	दलदल/आर्द्र/शुष्क✓/अतिशुष्क	
17.4	गहराई	मिट्टी विहीन/बहुत उथली/उथली✓/मध्यम गहरी/गहरी/बहुत गहरी	
17.5	ह्यूमस	ह्यूमस विहीन/अपर्याप्त✓/मध्यम/पर्याप्त/अधिक	
18.	भू-क्षरण		
18.1	स्थिति	नगण्य /सामान्य /मध्यम✓/बहुत अधिक	
18.2	प्रकार	शीट/गली✓/अन्य	
18.3	जल धारण क्षमता	कम/मध्यम✓/अधिक	
19.	वन संनिधि का विवरण		
19.1	सामान्य विवरण - कक्ष में मुख्यतः सागौन वन पाया गया है जिसकी स्थल गुणवत्ता चतुर्थ 'ब' है तथा कक्ष का घनत्व 0.5 तक पाया गया है। कक्ष में पाए गए वृक्ष मुख्यतः युवा आयुवर्ग के हैं। कक्ष के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में पट्टी नुमा रिक्त क्षेत्र पाया गया है। कक्ष के उत्तर पश्चिमी भाग में US-2 का 0.3 हेक्टेयर का (लगभग) 1/2 हेक्टेयर का वन क्षेत्र है।		

19	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	सागौन, महुआ, लेडिया, धावड़ा।	
19.1.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	अचार, पलास, भिलवा।	
19.1.3	अधोस्तरीय प्रजातियां	तेन्दू।	
19.1.4	बांस	है / नहीं है✓	
19.1.5	झाड़ियां	लेण्टाना।	
19.1.6	शाक	—	
19.1.7	बिखरी प्रजातियां	महुआ।	
19.1.8	दुर्लभ प्रजातियां	—	
19.2	मुख्य अकाष्ठीय प्रजातियां		
19.2.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	महुआ।	
19.2.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	अचार।	
19.2.3	निम्न स्तरीय प्रजातियां	—	
19.2.4	झाड़ी प्रजातियां	—	
19.2.5	शाक प्रजातियां	वनतुलसी।	
19.2.6	कंद प्रजातियां	—	
19.2.7	बेला प्रजातियां	—	
20.	पुनरुत्पादन का विवरण		
	प्रकार	वर्गीकरण	बीजांकुर / स्थूण प्ररोह
20.1	नवागत पौध	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर✓ / स्थूण प्ररोह
20.2	अस्थापित	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर✓ / स्थूण प्ररोह
20.3	स्थापित	अपर्याप्त✓ / पर्याप्त / प्रचुर	बीजांकुर✓ / स्थूण प्ररोह
21.	अवैध कटाई	नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक	
22.	चराई विवरण		
22.1	चराई भार	नगण्य / कम✓ / मध्यम / बहुत अधिक	
22.2	पशु शिविर	है / नहीं✓	
23	अग्नि घटनाएं	नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक	
24	जैविक हस्तक्षेप	नगण्य / कम✓ / मध्यम / अधिक / अत्यधिक	
25	प्राकृतिक प्रकोप	शीर्षमरण / एकाकीमरण / पाला / सूखा / कीट / रोग	
26	अतिक्रमण / उत्खनन	—	



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वर्ष	:- 2025-26 से 2035-36
परिक्षेत्र का नाम	:- कुंडम
समिति का नाम	:- सौठी
बीट का नाम	:- डबरा
कक्ष क्रमांक	:- RF 311
फेलिंग सीरीज	:- RDF
कूप क्रमांक	:- —
क्षेत्रफल (हेक्टर)	:- 25
कुल राशि (रु.)	:- 14450336.00

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-


1	योजना	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	कार्यस्थल का नाम	---	सौठी
3	कक्ष क्रं.	---	RF 311
4	कक्ष का कुल रकवा	---	268.77
5	वनखण्ड का नाम	---	40 बुधारी
6	पातन श्रेणी	---	डबरा
7	प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल	---	25
8	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	---	2025 - 2025-2026
9	कार्य की अवधि	---	2025-26 to 2025-26
10	परिसर	---	डबरा
11	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	मनेरा
12	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
13	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
14	समिति का प्रकार एवं नाम	---	वन सुरक्षा समिति ददरगवां
15	स्थल चयनकर्ता अधिकारी	---	(1.) श्री एम.एल. बरकडे, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य)
16		---	(2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य)
17	कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम	---	श्री रामलाल तिवारी उवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक मनेरा
18	समिति का गठन दिनांक	---	श्री जितेन्द्र अग्रवाल वनरक्षक, बीटगार्ड डबरा


प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- 1 समस्त कार्य वन समिति सौठी के माध्यम से कराये जायेंगे।
- 2 अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति सौठी के द्वारा किया जावेगा।
- 3 वनसुरक्षा समिति सौठी गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- 4 सी.बी.ओ. कार्य 15 से0मी0 से अधिक एवं 90 से0मी0 गोलाई की आढी-टेढी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित टूटों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिक्री आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- 5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- 6 कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।


परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-मनेरा


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)


उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

**भाग एक
सामान्य विवरण**

01 परियोजना का विवरण

अ	योजना का नाम	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
ब	सरकार का अनुमोदन	---	--
स	प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	जिला	---	जबलपुर
3	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
4	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
5	ग्राम	---	सौठी
6	तहसील	---	कुंडम
7	विधान सभा क्षेत्र	---	सिहोरा
8	ग्राम पंचायत	---	डबरा
9	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	मनेरा
10	परिसर	---	डबरा
(2)	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :-		
1	वन सुरक्षा समिति	---	सौठी
2	कक्ष क्रं.	---	आर.एफ. 311
3	रकबा	---	25 हेक्ट.
4	कार्यवृत्त	---	आर.डी.एफ.
5	उपचार श्रेणी	---	डबरा
6	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	---	40 कि.मी.
7	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	---	--
8	गठित समिति का प्रकार	---	वनसुरक्षा समिति
9	समिति का मुख्यालय	---	सौठी
10	समिति में सम्मिलित गांव	---	डबरा
11	समिति के अध्यक्ष का नाम	---	श्रीमति कौशल बाई
12	परिसर रक्षक का नाम	---	श्री जितेन्द्र अग्रवाल व.र.
13	परिक्षेत्र सहायक का नाम	---	श्री रामलाल तिवारी उपवनक्षेत्रपाल

विवरण	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
अ.जा.	3	3	6	3	3	6	2	1	3	0	0	0	8	7	15
अ.ज.जा.	18	20	38	18	20	38	7	5	12	0	0	0	43	45	88
अ.पि.व.	10	9	19	10	9	19	3	3	6	0	0	0	23	21	44
सामान्य	4	4	8	4	4	8	8	7	15	0	0	0	16	15	31
योग	35	36	71	35	36	71	20	16	36	0	0	0	90	88	178

14	उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना		
A	टोपोग्राफी	---	अर्धपहाडी
B	एस्पेक्ट	---	पश्चिमी
C	ढलान	---	मध्यम
D	पानी निकासी	---	अच्छी
E	भू क्षरण	---	मध्यम एवं गली
F	चट्टानों का विवरण	---	सेन्ड स्टोन लेटेराइट
G	मिट्टी का प्रकार	---	पथरीली मुरमीली
H	औसत वार्षिक वर्षा	---	110 एम.एम.
I	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	---	20 हेक्ट.
J	नरम मिट्टी का क्षेत्र	---	5 हेक्ट.
K	पथरीली मिट्टी का क्षेत्र	---	3.24 हेक्ट.
L	उपलब्ध प्रजाति	---	सागौन, पलास, लैडिया तेंदू
वृक्षों की जानकारी			

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध	20 से.मी. से अधिक के वृक्ष
सतकडा	700	400
सागौन	0	0

1	साईट क्वालिटी	---	IVB
2	पूर्ण वन वर्धन का क्षेत्र	---	25 हेक्ट.
3	उपलब्ध प्रजाति	---	सतक. पलास, लैडिया तेंदू

जैविक दबाव


प्रकार	---	जैविक दबाव
वन्यप्राणी	---	औसत
चराई	---	अत्यधिक
मानव	---	अत्यधिक


उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण


1	कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र	---	02 हेक्ट.
2	वृक्षारोपण का क्षेत्र	---	25 हेक्ट.
3	लैंटाना	---	22 हेक्ट.
4	रोपणी का नाम	---	दरौली रोपणी
5	रोपणी से स्थल की दूरी	---	40 कि.मी.
6	पौधों का परिवहन	---	40 कि.मी.
7	सिर बोझ द्वारा :	---	01 कि.मी.
8	योजना की अवधि	---	2025-26 से 2035-36 तक
9	योजना पर होने वाला संभावित व्यय	---	11942427
10	प्रति हेक्ट. व्यय	---	477697.08
11	अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय	---	2507909.70
12	प्रति हेक्ट. व्यय	---	100316.38

लेण्टाना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट डबरा के कक्ष क्र० RF 311 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 25 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 22 हेक्ट. लेण्टाना उपलब्ध है।


परिक्षेत्र सहायक
वृत-मनेरा



वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)



उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट डबरा के कक्ष क0 RF 311 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 25 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगौन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त काली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम


उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 25000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति	पौधों की संख्या	पौधों की आयु	पौधों की उंचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	12500	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
आवंला	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
नीम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
खम्हेर	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
सिरस	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
शीशम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
बहेडा	1500	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
अन्य	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
योग पौधा	25000			


3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पक्युलेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्टर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिक फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरूत्पादन सफाई :- क्षेत्र में टूट ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जावेगी। एवं गणना की पृविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मै उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क. 67 दिनांक 9/10/2023 द्वारा जारी की गई



वनसंरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-25 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

25

हेक्टेयर



क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर 274 449

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	25	ha	0.45	प्रति हे०	11	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	25	ha	1.00		25	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	25	ha	4.00	प्रति हे०	100	जॉबदर
अ	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन)	15	ha	22.00	प्रति हेक्ट	330	जॉबदर
ब	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	ha	12.50	प्रति हेक्ट	63	जॉबदर
स	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विरल)	2	ha	8.00	प्रति हेक्ट	16	जॉबदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिंग फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	2900	Rmt	2.4	Rmt	6960	गणना के आधार पर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	25000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	63	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	25000	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	1250	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 20 प्रतिशत	455.625	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	683	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 10 प्रतिशत	227.8125	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	683	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	25000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	375	जॉबदर
11	2 हट निर्माण		L.S.			100	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					100	अनुमानित
	योग					10759	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	2690	अनुमानित
	कुल योग					13449	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	रोपणी कार्य						
1	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	25000	पौधे		12/प्रति पौधा	1294	वाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	5000	पौधे		12/प्रति पौधा	162	वाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	30000	पौधे	1.5	1.5/100	450	जॉयदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	30000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	120	जॉयदर
3	लैंटाना मार्पिंग अप आपरेशन	38	हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	160	जॉयदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	25000	पौधे	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	450	जॉयदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1.25	1.25/100	312.5	जॉयदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1	1/100	250	जॉयदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1	1/100	250	जॉयदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	25000	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	150	जॉयदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	2.9	कि.मी.	5.5	2.25/किमी	16	जॉयदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह					270	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	25000	पौधे		Lumsum	200	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					100	अनुमानित
					योग:-	4184	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहारा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	2500	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	81	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2500	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	38	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2500	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	10	जॉबदर
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					40	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	312.5	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	250	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	250	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	2.9	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	16	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक			12 माह		360	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	25000	पौधे		Lumsum	300	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					100	अनुमानित
योग:-						1757	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	2500	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	81	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
2	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	2500	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	38	जॉबदर
	सिर, बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2500	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	10	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	312.5	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	25000	पौधे	1	1 मा.दि.प्र.सै.	250	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	2.9	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	16	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक			12 माह		360	अनुमानित
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					100	अनुमानित
योग:-						1167	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिंहारा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	अनुमानित
3	प्रथम निंदाई पौधों में	25000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	312.5	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई पौधों में	25000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	250	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					1088	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष


(असिंचित)


क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					426	


योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					426	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)


उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)


वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					426	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					426	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					426	

योजना का ग्यारहवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	2.9	mtr	5.5	किमी	16	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					426	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उम वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 25 हे0 असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि
प्रथम	13449	1	13449	6038559
द्वितीय	4184	1.06	4435	1991321
तृतीय	1757	1.1236	1974	886306
चतुर्थ	1167	1.191	1390	623964
पंचम	1088	1.2625	1374	617001
षष्ठम	426	1.3382	570	255933
सप्तम	426	1.4185	604	271290
अष्टम	426	1.504	641	287642
नवम	426	1.594	679	304855
दशम	426	1.69	720	323215
ग्यारहवा	426	1.79	762	342340
कुल योग			26598	11942427

आस्था मूलक कार्य	5 प्रतिशत	597121
मानव संसाधन विकास	1 प्रतिशत	119424
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	4 प्रतिशत	477697
कुल योग		13136669
पर्यवेक्षण शुल्क	10 प्रतिशत	1313667
महायोग		14450336
Or say		144.50 Lakh Only

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा सामान्य

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य



क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वर्ष	:- 2025-26 से 2035-36
परिक्षेत्र का नाम	:- कुंडम
समिति का नाम	:- जमुनिया
बीट का नाम	:- बघराजी
कक्ष क्रमांक	:- O- 593
फेलिंग सीरीज	:- RDF
कूप क्रमांक	:- -
क्षेत्रफल (हेक्टर)	:- 35
कुल राशि (रु.)	:- 20339046.00

सामान्य वनमण्डल जबलपुर

परियोजना प्रतिवेदन
असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

अधारभूत जानकारी :-

1	योजना	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	कार्यस्थल का नाम	---	तौरी
3	कक्ष क्रं.	---	0- 593
4	कक्ष का कुल रकबा	---	36.43
5	वनखण्ड का नाम	---	41 नारायणपुर
6	पातन श्रेणी	---	डबरा
7	प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल	---	35
8	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	---	2025=26
9	कार्य की अवधि	---	2025-26 to 2035=36
10	परिसर	---	बघराजी
11	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	बघराजी
12	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (सामान्य)
13	वनमण्डल	---	जबलपुर (सामान्य)
14	समिति का प्रकार एवं नाम स्थल चयनकर्ता अधिकारी	---	वन सुरक्षा समिति जमुनिया (1.) श्री एम.एल. बरकडे, उप वनमण्डलाधिकारी सिहोरा (सामान्य) (2.) श्री महेशचन्द्र कुशवाह, वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम (सामान्य) श्री विनोद कुमार अहिरवार उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक बघराजी
15		---	
16		---	
17	कार्य कराने वाले कर्मचारी का नाम	---	श्री संजीत शाह वनरक्षक, बीटगार्ड बघराजी
18	समिति का गठन दिनांक	---	24.06.1996

प्रस्तावित कार्य अयोजना :-

प्रस्तावित कार्य अयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किया जावेगा।

- समस्त कार्य वन समिति जमुनिया के माध्यम से कराये जायेंगे।
- अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि सुरक्षा का कार्य वनसुरक्षा समिति जमुनिया के द्वारा किया जावेगा।
- वनसुरक्षा समिति जमुनिया गठन दिनांक से वनक्षेत्र की अवैध अवैध चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा कर रही है।
- सी.वी.ओ. कार्य 15 से0मी0 से अधिक एवं 90 से0मी0 गोलाई की आढी-टेढी विकृत पौध एवं मूल्यवान प्रजातियों के जीवित पौधों में कराया जावेगा तथा कार्य से प्राप्त बिक्री आयोग्य वनोपज ग्रामवन समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रदान किया जावेगा।
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य शासकीय नियमानुसार राग्य समय पर किया जावेगा।
- कराये गये उपचार कार्यों का संदर्भ विवरण तैयार कर अभिलेख एवं फोटोग्राफ रखे जायेंगे।

परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-बघराजी

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उपवनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

**भाग एक
सामान्य विवरण**

01 परियोजना का विवरण

अ	योजना का नाम	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
ब	सरकार का अनुमोदन	---	--
स	प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	---	मोरण्ड गंजाल जिला होसंगाबाद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	जिला	---	जबलपुर
3	वनमण्डल	---	जबलपुर (समान्य)
4	वन परिक्षेत्र	---	कुंडम (समान्य)
5	ग्राम	---	जमुनिया
6	तहसील	---	कुंडम
7	विधान सभा क्षेत्र	---	सिहोरा
8	ग्राम पंचायत	---	टिकरिया
9	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	---	बघराजी
10	परिसर	---	बघराजी
(2)	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल विशेष की जानकारी :-		
1	वन सुरक्षा समिति	---	जमुनिया
2	कक्ष क्रं.	---	ओ. 593
3	रकबा	---	35 हेक्ट.
4	कार्यवृत्त	---	आर.डी.एफ.
5	उपचार श्रेणी	---	डबरा
6	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	---	40 कि.मी.
7	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	---	--
8	गठित समिति का प्रकार	---	वनसुरक्षा समिति
9	समिति का मुख्यालय	---	जमुनिया
10	समिति में सम्मिलित गांव	---	--
11	समिति के अध्यक्ष का नाम	---	श्री सबल सिंह
12	परिसर रक्षक का नाम	---	श्री संजीत शाह व.र.
13	परिक्षेत्र सहायक का नाम	---	श्री विनोद कुमार अहिरवार उपवनक्षेत्रपाल

विवरण	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
अ.जा.	3	7	10	0	0	0	8	11	19	0	0	0	11	18	29
अ.ज.जा.	45	15	60	25	4	29	19	17	36	0	0	0	89	36	125
अ.पि.व.	4	3	7	5	4	9	4	2	6	0	0	0	13	9	22
सामान्य	28	13	41	24	12	36	5	4	9	0	0	0	57	29	86
योग	80	38	118	54	20	74	36	34	70	0	0	0	170	92	786

14	उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना		
A	टोपोग्राफी	---	अर्धपहाड़ी
B	एस्पेक्ट	---	पश्चिमी
C	ढलान	---	मध्यम
D	पानी निकासी	---	अच्छी
E	भू क्षरण	---	मध्यम एवं गली
F	चट्टानों का विवरण	---	सेन्ड स्टोन लेटेराइट
G	मिट्टी का प्रकार	---	पथरीली मुरमीली
H	औसत वार्षिक वर्षा	---	110 एम.एम.
I	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	---	30 हेक्ट.
J	नरम मिट्टी का क्षेत्र	---	5 हेक्ट.
K	पथरीली मिट्टी का क्षेत्र	---	3.24 हेक्ट.
L	उपलब्ध प्रजाति	---	सागौन, पलास, लैडिया तेंदू
वृक्षों की जानकारी			

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौध	20 से.मी. से अधिक के वृक्ष
सतकठा	700	500
सागौन	0	0

1	साईट क्वालिटी	---	IVB
2	पूर्ण वन वृर्धन का क्षेत्र	---	35 हेक्ट.
3	उपलब्ध प्रजाति	---	सतक. पलास, लैडिया तेंदू

जैविक दबाव

प्रकार	---	जैविक दबाव
वन्यप्राणी	---	औसत
चराई	---	अत्यधिक
मानव	---	अत्यधिक

उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1	कटबेक ऑपरेशन का क्षेत्र	---	02 हेक्ट.
2	वृक्षारोपण का क्षेत्र	---	35 हेक्ट.
3	लैंटाना	---	28 हेक्ट.
4	रोपणी का नाम	---	परियट रोपणी
5	रोपणी से स्थल की दूरी	---	60 कि.मी.
6	पौधों का परिवहन	---	60 कि.मी.
7	सिर बोझ द्वारा	---	01 कि.मी.
8	योजना की अवधि	---	2025-26 से 2035-36 तक
9	योजना पर होने वाला संभावित व्यय	---	16809129
10	प्रति हेक्ट. व्यय	---	480260.82
11	अनुश्रवण मूल्यांकन, आस्था मूलक एवं पर्यवेक्षण शुल्क पर व्यय	---	3529917
12	प्रति हेक्ट. व्यय	---	100854.77

लेण्टाना की उपलब्धता का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट बघराजी के कक्ष क0 O- 593 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 35 हेक्टेयर का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। क्षेत्र में परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 28 हेक्ट. लेण्टाना उपलब्ध है।



परिक्षेत्र सहायक
वृत्त-बघराजी



वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)





उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

भाग - 2

रोपण क्षेत्र चयन करने का प्रमाण पत्र

— प्रमाणित किया जाता है कि असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत बीट बघराजी के कक्ष क0 O- 593 में प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र रकबा 35 हैक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया, जिसमें सगौन एवं मिश्रित प्रजाति के जड़ भण्डार पर्याप्त मात्रा में है, क्षेत्र मुरुमयुक्त पीली मिट्टी युक्त है। क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से वृक्षारोपण सफल हो सकता है। क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) कुण्डम


उप वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) सिहोरा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 35000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति	पौधों की संख्या	पौधों की आयु	पौधों की उंचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	21000	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
आवंला	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
नीम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
खम्हेर	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
सिरस	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
शीशम	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
बहेडा	2000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
अन्य	0	1 वर्ष	न्यूनतम 45 स.मी.	3.5 से 5.0 से.मी.
योग पौधा	35000			


3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर पकुलेशन टैंक बनाया जायेगा। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में मौजूद नालों में बोल्टर चेकडेम निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए 24.50 मा.दि.प्र. हैक्ट. राशि का प्रावधान प्रथम वर्ष में किया गया है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चेनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जायेगी।
5. पुनरुत्पादन सफाई :- क्षेत्र में टूट ड्रेसिंग कार्य एवं सिंगलिंग कार्य परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में रोपण एवं रोपण उपरांत प्रत्येक वर्ष परियोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष प्रीमानसून एवं पोस्टमानसून की स्थिति में जीवित पौधों की गणना एवं गोलाई की गणना की जायेगी। एवं गणना की पृविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार होगा।

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इराके अतिरिक्त रहेगा।


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र स्थल का उप वनमण्डल अधिकारी सिहोरा (सा.) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम द्वारा निरीक्षण किया गया। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मै उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


वनमण्डल अधिकारी
(सामान्य) वनमण्डल जबलपुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति अ.क.दिनांक.....द्वारा जारी की गई


वनसंरक्षक
मध्य वृत्त जबलपुर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-35 हेक्टेयर)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

35

हेक्टेयर



क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर 371 449

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	35	ha	0.45	प्रति हे०	16	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट.	35	ha	1.00		35	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	35	ha	4.00	प्रति हे०	140	जॉबदर
अ	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन)	20	ha	22.00	प्रति हेक्ट	440	जॉबदर
ब	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	ha	12.50	प्रति हेक्ट	63	जॉबदर
स	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (विरल)	3	ha	8.00	प्रति हेक्ट	24	जॉबदर.
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रिट से भरा जायेगा।	3370	Rmt	2.4	Rmt	8088	गणना के आधार पर
6	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	35000	गड्डे	2.5	प्रति हजार	88	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्डा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	35000	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	1/50	जॉबदर
8	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु कम आयतन का 20 प्रतिशत	637.875	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	957	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कम आयतन का 10 प्रतिशत	318.9375	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	957	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	35000	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	525	जॉबदर.
11	2 हट निर्माण		L.S.			100	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना नोर्ड, पैट, चूना आदि)					100	अनुमानित
	योग					13281	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	3320	अनुमानित
	कुल योग					16602	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिंहोपा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	रोपणी कार्य						
1	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	35000	पौधे		12/प्रति पौधा	1294	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	7000	पौधे		12/प्रति पौधा		बाजार दर
						226	
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	42000	पौधे	1.5	1.5/100	630	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	42000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	168	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	38	हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	160	जॉबदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	35000	पौधे	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	630	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1.25	1.25/100	437.5	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1	1/100	350	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1	1/100	350	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	35000	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	210	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	कि.मी.	5.5	2.25/किमी	18	जॉबदर
10	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		2X9			540	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	35000	पौधे		Lumsum	600	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					300	अनुमानित
						योग:-	5914

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सां.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सां.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सां.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3500	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	113	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3500	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	53	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3500	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	14	जॉबदर
3	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					40	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	437.5	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	350	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	350	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	18	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	35000	पौधे		Lumsum	600	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
योग:-						2895	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3500	पौधे		12 रुपये प्रति पौधा	113	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3500	पौधे	1.5	1.5 मा.दि.प्र.सै.	53	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3500	पौधे	0.4	0.4 मा.दि.प्र.सै.	14	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	437.5	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	35000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	350	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	कि.मी.	5.5	मा.दि.प्र.कि.मी.	18	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
योग:-						1545	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिंहारा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचमं वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	अनुमानित
3	प्रथम निंदाई पौधों में	35000	पौधे	1.25	1.25 मा.दि.प्र.सै.	437.5	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई पौधों में	35000	पौधे	1	1 मादि मा.दि.प्र.सै.	350	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग-					1676	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहौरा (सा.)

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमंडलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का ग्यारहवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

योजना का अष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

योजना का ग्यारहवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी	3.3	mtr	5.5	किमी	18	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					788	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम (सा.)

उप वनमण्डलाधिकारी
सिहोरा (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण 35 हे0 असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि
प्रथम	16602	1	16602	7454172
द्वितीय	5914	1.06	6269	2814645
तृतीय	2895	1.1236	3253	1460697
चतुर्थ	1545	1.191	1841	826394
पंचम	1676	1.2625	2116	949863
षष्ठम	788	1.3382	1055	473561
सप्तम	788	1.4185	1118	501978
अष्टम	788	1.504	1185	532235
नवम	788	1.594	1256	564084
दशम	788	1.69	1332	598056
ग्यारहवा	788	1.79	1411	633444
कुल योग			37437	16809129

आस्था मूलक कार्य	5 प्रतिशत	840456
मानव संसाधन विकास	1 प्रतिशत	168091
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	4 प्रतिशत	672365
कुल योग		18490042
पर्यवेक्षण शुल्क	10 प्रतिशत	1849004
महायोग		20339046
Or say		203.39 Lakh Only

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम सामान्य

उप वनमण्डल अधिकारी
सिहोरा सामान्य

वनमण्डल अधिकारी
जबलपुर सामान्य

जबलपुर वनमण्डल की कार्य आयोजना

कक्ष इतिहास

प्रपत्र - 1


कक्ष की स्थिति

विवरण

1.	वनमण्डल	जबलपुर
2.	परिक्षेत्र	कुण्डम
3.	वनखण्ड	नारायणपुर
3.1.	अधिसूचना का विवरण	-
3.2.	टोपोशीट क्रमांक (1:12,500)	64A/07/A/3
4.	कक्ष क्रमांक	O-593
5.	सामान्य विवरण	-
6.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	38.60
7.	भौगोलिक स्थिति	अक्षांश ... ° ... ' ... " देशान्तर ... ° ... ' ... "
8.	सीमा विवरण	
8.1.	उत्तर	ग्राम जमुनिया की राजस्व भूमि।
8.2.	पूर्व	ग्राम जमुनिया की राजस्व भूमि।
8.3.	दक्षिण	संरक्षित वन का कक्ष क्रमांक 299 की सीमा लाईन।
8.4.	पश्चिम	ग्राम जमुनिया की राजस्व भूमि।
9.	वैधानिक स्थिति	प्रस्तावित आरक्षित वन
10.	वन संरचना	
10.1.	वनों का प्रकार	सागौन✓ / साल / मिश्रित / बांस / अन्य
10.2.	आयु वर्ग	मुख्यतः परिपक्व / मुख्यतः मध्यम आयु✓ / मुख्यतः युवा आयु / मुख्यतः अग्रिम पौधे
10.3.	सन्निधि	अति सघन / मध्यम सघन / विरल✓ / झाड़ी वन
10.4.	स्थल गुणश्रेणी (म.प्र.)	I, II, III, IVa✓, IVb, Va, Vb
11.	सामान्य स्थलाकृति	
11.1.	धरातल विवरण	समतल✓ / अर्द्ध पहाड़ी / पहाड़ी✓ / दुर्गम पहाड़ी / ऊबड़-खाबड़
12.	समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में)	
12.1.	न्यूनतम	मीटर
12.2.	अधिकतम	मीटर

12.3	बन्ध मार्क		
12.4	स्थायी चिन्ह		
13.	ढाल की दिशा	उत्तर/उत्तर-पूर्व/ पूर्व/दक्षिण-पूर्व/दक्षिण/दक्षिण-पश्चिम /पश्चिम✓/उत्तर-पश्चिम/चारों ओर	
14.	ढाल (ग्रेडिएंट)	ढाल वर्ग (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
		10 तक	18.01
		10 से 30 तक	3.06
		30 से 40 तक	17.53
		40 से अधिक	0.00
		योग-	38.60
15.	भौमिकी	आरकियन/विन्ध्यान/विजावर/लोअर गोंडवाना/अपर गोंडवाना/लमेटा/डेक्कन ट्रेप✓	
16.	शैल (चट्टानें)	बेसाल्ट✓/सेंडस्टोन/शैल/स्लेट/शिष्ट/नीस/ग्रेनाइट/ क्वार्टजाइट/चर्ट/कांगलोमेरट/लाइमस्टोन/मेटामार्मिक	
17.	मृदा का विवरण		
17.1	प्रकार	दोमट/चिकनी/काली/रेतीली दोमट✓/रेतीली/चिकनी दोमट/ कंकरीली/लाल लेटेराइट/जलोढ़	
17.2	संरचना	भुरभुरी✓/किंचित ठोस/अत्यधिक ठोस/ठोस	
17.3	आर्द्रता	दलदल/आर्द्र/शुष्क✓/अतिशुष्क	
17.4	गहराई	मिट्टी विहीन/बहुत उथली/उथली✓/मध्यम गहरी./गहरी/बहुत गहरी	
17.5	ह्यूमस	ह्यूमस विहीन/अपर्याप्त/मध्यम✓/पर्याप्त/अधिक	
18.	भू-क्षरण		
18.1	स्थिति	नगण्य/सामान्य✓/मध्यम/बहुत अधिक	
18.2	प्रकार	शीट✓/गली/अन्य	
18.3	जल धारण क्षमता	कम✓/मध्यम/अधिक	
19.	वन संनिधि का विवरण		
19.1	सामान्य विवरण - कक्ष में मुख्यतः निम्न संनिधि युक्त सागौन वन पाया गया है। जो चतुर्थ 'अ' स्थल गुणवत्ता का है तथा घनत्व 0.4 तक पाया गया है। कक्ष में पाए गए वृक्ष मुख्यतः मध्यम आयुवर्ग के हैं।		

19.1.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	सागौन, साजा, महुआ।	
19.1.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	पलास, अमलतास।	
19.1.3	अधोस्तरीय प्रजातियां	तेन्दू।	
19.1.4	बांस	है/नहीं है✓	
19.1.5	झाड़ियां	लेंटाना, करौंदा।	
19.1.6	शाक	चकौड़ा	
19.1.7	बिखरी प्रजातियां	-	
19.1.8	दुर्लभ प्रजातियां	-	
19.2	मुख्य अकाष्ठीय प्रजातियां		
19.2.1	शीर्ष स्तरीय प्रजातियां	तेन्दू।	
19.2.2	अधः स्तरीय प्रजातियां	अचार।	
19.2.3	निम्न स्तरीय प्रजातियां	तेन्दू।	
19.2.4	झाड़ी प्रजातियां	करौंदा।	
19.2.5	शाक प्रजातियां	चकौड़ा।	
19.2.6	कंद प्रजातियां	सफेद मूसली।	
19.2.7	बेला प्रजातियां	-	
20.	पुनरुत्पादन का विवरण		
	प्रकार	वर्गीकरण	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
20.1	नवागत पौध	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह✓
20.2	अस्थापित	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह
20.3	स्थापित	अपर्याप्त✓/पर्याप्त/प्रचुर	बीजांकुर/स्थूण प्ररोह✓
21.	अवैध कटाई	नगण्य /कम✓/मध्यम/बहुत अधिक	
22.	चराई विवरण		
22.1	चराई भार	नगण्य ✓/कम/मध्यम/बहुत अधिक	
22.2	पशु शिविर	है/नहीं✓	
23	अग्नि घटनाएं	नगण्य✓/कम/मध्यम/अधिक	
24	जैविक हस्तक्षेप	नगण्य✓/कम/मध्यम/अधिक/अत्यधिक	



La
 1:12,500
 SHEET NO. - 64A7A3
 RANGE - KUNDAM
 COMPTT - O-593

क्र.मां.क.	उपस्थित पंचों, पदाधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम	विषय एवं प्रस्तुत संकल्प	बैठक की कार्यवाही कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव / संकल्प जो पास हुये	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	सुबल सिंह (अध्यक्ष)	3	4	5	6
1.	सुब्बा सिंह (अध्यक्ष)	12/03/2023 को	आज दिवस 12/03/2023 को		
2.	सुब्बा सिंह (सदस्य)		वन विभाग समिति की काम-जमूनीया		
3.	सुब्बा सिंह (सदस्य)		में बैठक किया गया / अध्यक्ष-सुबल सिंह		
4.	सुब्बा सिंह (सदस्य)		एवं सभी सदस्यों की उपस्थिति में चर्चा		
5.	सुब्बा सिंह (सदस्य)		किया गया कि करू - 0-593 में		
6.	सुब्बा सिंह (सदस्य)		वाणिज्य कार्य एवं प्रशासकीय कार्य		
7.	सुब्बा सिंह (सदस्य)		कार्य किया जाना है		
8.	सुब्बा सिंह (सदस्य)		पूजन वन समिति एवं वन विभाग		
9.	सुब्बा सिंह (सदस्य)		के द्वारा प्रस्ताव दाल्य गया एवं वार्षिक से चर्चा		
10.	सुब्बा सिंह (सदस्य)		किया गया / प्रस्ताव एवं वन विभाग के द्वारा		
11.	सुब्बा सिंह (सदस्य)		अमर्षन किया गया तथा यह निर्णय किया		
			गया की करू - 0-593, करू-38 है		
			उक्त निर्णय वान विभाग द्वारा किया गया /		
			<i>(Signature)</i>		

श्री सुभाष हिन्दी पंचांग ही अपनाइये

वन सुरदा समिति
... (जमूनीया) ...

वन सुरदा मुद्रक विभाग सिटिंग प्रेस, 280, सराफा, दलहाई, जबलपुर फोन : 0761-2652427
... (जमूनीया) ...

कार्यालय परियोजना प्रशासक मोरण्ड -गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

Telephone no. 07570299010

Email ID - piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्रमांक 1419

सिवनी मालवा, दिनांक 22 /11/2022

प्रति,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक
भू-प्रबन्ध
भोपाल

विषय :- मोरण्ड, गंजाल बांध एवं दाब युक्त सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तित प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/36231/2018 को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृती प्रदान करने बाबत।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एफसी डिवीजन) F. No. 10-125/2013-FC (pt.-III) दिनांक 25 फरवरी, 2014 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार।

-00-

संदर्भित पत्र के माध्यम से "भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए दिशा-निर्देश - सिंचाई परियोजनाओं के लिए वन भूमि के विपथन के प्रस्तावों को विभिन्न चरणों में विभाजित कर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के सैद्धांतिक (चरण-1) अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अधिनियम के तहत परियोजना के लिए आवश्यक संपूर्ण वन भूमि के विचलन के लिए, आवश्यक वन भूमि की सीमा और इसके प्रत्येक चरण के निष्पादन के लिए समय-सारणी की सूचना दे सकता है, और केन्द्र सरकार से अंतिम (चरण-2) के अनुदान पर विचार करने का अनुरोध कर सकता है, के प्रावधान को पैराग्राफ 2.2(ii) में सम्मिलित किया गया।"

विषयांकित परियोजना हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में वनमण्डल हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल (उत्तर), बैतूल (पश्चिम) एवं खंडवा वनमण्डल की कुल 2272.05 हेक्टर भूमि प्रस्तावित है एवं परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल 2407.189 हेक्टर गैर वन भूमि क्रमशः सागर जिले की - 1575.44 हेक्टर, बैतूल जिले की 386.469 हेक्टर, आगर मालवा की 275.28 हेक्टर, एवं जबलपुर की 170.00 हेक्टर की गैर वनभूमि संबंधित जिलाधीश द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराई गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही सभी संबंधित वन विभाग कार्यालय द्वारा प्रचलित है।

परियोजना निर्माण कार्य चार वर्ष में होना संभावित है जिसमें वनभूमि की आवश्यकता चार चरण में प्रस्तावित की जाती है:-

प्रथम चरण में आवागमन मार्ग, विद्युत संचारण लाईन, बाँध निर्माण, खदान एवं मुख्य नहर के घटक में आवेदित भूमि कुल 138.27 हेक्टर, वनभूमि की आवश्यकता 2022-23 में होगी इसके लिए प्रतिपूरक गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला जबलपुर की 138.27 हेक्टर, गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

द्वितीय चरण (FRL-4) हेतु 1135.57 हेक्टर, वनभूमि की आवश्यकता 2024-25 में होगी, इसके समतुल्य गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जबलपुर जिले की शेष 31.73 हेक्टर, आगर मालवा की 275.28 हेक्टर, एवं सागर जिले की 828.56 हेक्टर की गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

तृतीय चरण (FRL-4) हेतु 616.748 हेक्ट. वनभूमि की आवश्यकता 2025-26 में होगी, इसके समतुल्य गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सागर जिले की शेष 616.748 हेक्ट. की गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

चतुर्थ चरण (FRL) हेतु 381.462 हेक्ट. की आवश्यकता 2025-26 में होगी इसके समतुल्य गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सागर जिले की शेष 130.132 हेक्ट. एवं बैतूल जिले की 251.33 हेक्ट., की गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि 2272.05 हेक्ट. के प्रतिपूरक भूमि वनीकरण हेतु कुल 2407.89 हेक्ट. जो कि संबंधित जिलाधीश द्वारा वन विभाग को आवांटित की गई हैं

परियोजना हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में कुल 2272.05 हेक्ट भूमि प्रस्तावित है एवं परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल 2407.89 हेक्ट. गैर वन भूमि उपलब्ध है जिससे 135.139 हेक्ट गैर वन भूमि अतिरिक्त समायोजन हेतु उपलब्ध है।

परियोजना निर्माण हेतु भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना को अनुमोदन प्राप्त है।

परियोजना निर्माण हेतु वनाधिकार कानून 2006 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 संबंधित जिलाधीश द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

अतः निवेदन है कि मोरण्ड, गंजाल बांध एवं दाब युक्त सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तित प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/36231/2018 को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृती प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रथम चरण निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित 138.27 हेक्ट. वनभूमि पर निर्माण कार्य आरंभ किया जा सके जिसके लिए प्रतिपूरक भूमि वनीकरण हेतु जिला—जबलपुर की 138.27 हेक्ट. की गैर वनभूमि जिलाधीश द्वारा वन विभाग को आवांटित की गई है।

संलग्न :- 01. पत्रक
02. संदर्भित पत्र

परियोजना प्रशासक

मोरण्ड—गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

पृ. क्रमांक

सिवनी मालवा, दिनांक * * / / 2022

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता / परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरण्ड—गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज (पी.एम.यू.) सनावद जिला—खरगोन (म.प्र.)

परियोजना प्रशासक

मोरण्ड—गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

मोरण्ड, गंजाल बांध एवं दाब युक्त सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तित प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/36231/2018 को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृती हेतु

पत्रक

क्रमांक	प्रस्तावित चरण	परियोजना निर्माण घटक	प्रस्तावित वनभूमि	निर्माण वर्ष	वनमण्डल	प्रस्तावित जिले वार क्षतिपूर्ति गैर वनभूमि
1	प्रथम	बौध निर्माण, मुख्य नहर, विद्युत संचारण लाईन, खदान, आवागमन मार्ग,	138.27 हेक्ट.	2022-23	हरदा, नर्मदापुरम, खंडवा	जबलपुर - 138.27 हेक्ट.
2	द्वितीय	डूब क्षेत्र (FRL-4)	1135.57 हेक्ट.	2024-25	नर्मदापुरम, बैतूल (उ.), बैतूल (प.)	जबलपुर -31.73 हेक्ट आगर मालवा-275.28 हेक्ट., सागर 828.56 हेक्ट.
3	तृतीय	डूब क्षेत्र (FRL-4)	616.748 हेक्ट	2025-26	हरदा	सागर 616.748 हेक्ट.
4	चतुर्थ	डूब क्षेत्र (FRL)	381.462 हेक्ट.	2025-26	हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल (उ.), बैतूल (प.)	सागर 130.132 हेक्ट. बैतूल 251.33 हेक्ट.
		कुल योग	2272.05 हेक्ट.			2272.05 हेक्ट.

** परियोजना हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में कुल 2272.05 हेक्ट भूमि प्रस्तावित है एवं परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल 2407.89 हेक्ट. गैर वन भूमि उपलब्ध है जिसमें से 135.139 हेक्ट गैर वन भूमि अतिरिक्त समायोजन हेतु उपलब्ध है।

D. N. G.
परियोजना प्रशासक

मोरण्ड - गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

F. No. 10-125/2013-FC (pt.-III)
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 510
Dated: 25th February, 2014

To
: The Principal Secretary (Forests),
All State / Union Territory Governments

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980- Submission of proposals for diversion of forest land for irrigation projects- reg.

Sir,

I am directed to say that this Ministry received suggestions to streamline the process for formulation of proposals for obtaining prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for irrigation project.

After careful examination of the matter I am directed to say that the following shall be added after Paragraph 2.2 (iii) in guidelines issued under the Forest (Conservation) Act, 1980:

"To have a holistic view of the impact on flora and fauna, proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for irrigation projects shall be processed in their entirety. However, keeping in view the long gestation period for such projects, user agency, for valid and cogent reasons, may split such projects into different phases. State Government while submitting proposal to obtain "in-principle (stage-I)" approval of Central Government under the Act for diversion of the entire forest land required for the project, may intimate extent of forest land required and time-schedule for execution of its each phase, and may request the Central Government to consider grant of "final (stage-II)" approval under the Act for diversion of forest land required for the project in the phased manner, as may be specified by them.

In such cases, at the time of submission of the proposal, scheme for compensatory afforestation for the forest land required for execution of initial phases, consisting of inter-alia the dam, reservoir and main canals originating from the reservoir, as indicated by the State Government in the proposal, may only be insisted upon. The Forest Advisory Committee after examination of such proposals, may stipulate time-schedule for transfer and mutation in favour of the State Forest Department, of the non-forest land and funds for creation of compensatory afforestation in lieu of the forest land required for execution of remaining phases, so as to ensure that expenditure

incurred on initial phases of the project does not become infructuous. Stage-II approval under the Act for diversion of forest land required for execution of such phases will be accorded with approval of the Forest Advisory Committee".

Yours faithfully

(H.C. Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
2. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
3. All Regional Offices, Ministry of Environment & Forests.
4. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF.
5. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in the Forest Conservation Division, MoEF.
6. Director, R.O. (HQ), Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi.
7. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
8. Sr. PPS to the Secretary, Environment and Forests.
9. Sr. PPS to the Director General of Forests & Special Secretary, MoEF.
10. Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEF.
11. PS to the Inspector General of Forests (Forest Conservation), MoEF.
12. Guard File.

(H.C. Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forests